


कक्षा
12

आजादी के बाद कास्वर्णिम भारत

भाग-2



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

आजादी के बाद का स्वर्णम् भारत

भाग-२

कक्षा 12



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

आजादी के बाद का स्वर्णम् भारत (भाग—2)

कक्षा 12

संयोजक

प्रोफेसर बी. एम. शर्मा

पूर्व अध्यक्ष

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

लेखकगण

डॉ. कमलेश माथुर

से.नि. सह आचार्य, इतिहास

34, सेन्ट्रल स्कूल स्कीम एयरफोर्स एरिया, जोधपुर

डॉ. सुनीता पचौरी

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय

अजमेर संभाग, अजमेर

डॉ. प्रेम प्रकाश ओला

व्याख्याता, इतिहास

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

गुंगारा, सीकर

डॉ. जीतेन्द्र डी. सोनी

सह आचार्य, भूगोल

राजकीय कला महाविद्यालय

सीकर

प्राककथन

राष्ट्र—निर्माण की गांधी—नेहरू विचार—परम्परा में अनेक महत्त्वपूर्ण योगदान के गौरवशाली अध्याय दर्ज हुए, जिससे उनकी महत्ता की निरन्तरता बनी रही। इसी श्रृंखला में लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' का नारा देते हुए भारत—पाक युद्ध में पाकिस्तान को एक जबर्दस्त शिक्षण देकर भारतीय जनमानस के मनोबल में अभूतपूर्व वृद्धि की। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारतीय लोकतन्त्र को सुदृढ़ कर भारतीयों की सोच में एक नये उत्साह एवं स्वाभिमान का संचार किया। सन् 1971 का भारत—पाक युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण तथा 93 हजार सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण, परमाणु परीक्षण, हरित तथा श्वेत क्रान्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि ऐसी युगान्तकारी घटनायें थीं जिन्होंने एक ओर विश्व में भारत का मान बढ़ाया तो दूसरी ओर देश के विकास में चार चाँद लगाये। युवा—हृदय सम्प्राट राजीव गांधी ने भारतीय समाज का 21वीं सदी के लिए आहवान कर भारतीय युवाओं की योग्यता एवं क्षमता का आंकलन कर और 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी', पर्यावरण—सुरक्षा एवं शासन के विकेन्द्रीकरण पर जोर देकर अपने भविष्यद्रष्टा एवं दूरदर्शी 'विजन' का परिचय दिया।

अपने 'विजन' के साथ देश के विकास को नई ऊँचाइयाँ प्रदान करने में राजीव गांधी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देकर लोकतन्त्र में भागीदार बनाने, राजनीति में शुचिता लाने के लिए दलबदल रोकने जैसे महत्त्वपूर्ण कानून के साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए गए। भारत को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने जैसे बड़े लक्ष्यों को साकार करने में राजीव गांधी का अद्वितीय योगदान रहा है।

राजीव गांधी ने देश की गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन से जूझा रहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 21वीं सदी में एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की। उन्होंने इस आहट को पहचान लिया था कि विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक तकनीकें अपनाकर ही देश के सामने मौजूद चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। देश में आधुनिक तकनीक और कम्प्यूटर क्रांति राजीव गांधी की ही देन है। आज दुनिया में भारत को लेकर विकास की जो छवि और नजरिया है उसकी आधारशिला राजीव गांधी ने ही रखी। यह उनके दृढ़ संकल्प और विजन का ही परिणाम है कि भारत आज हर क्षेत्र में मजबूती से खड़ा है।

राजीव गांधी ने भारतीय जनमानस और विशेषकर युवा शक्ति को सम्यक रूप से समझकर कहा कि 21वीं सदी आई.टी. की होगी और भारतीय युवा आई.टी. के क्षेत्र में कमाल दिखा सकते हैं। इसी का परिणाम है कि भारतीय युवा 'आई.टी.' के क्षेत्र में निष्णात एवं उत्कृष्ट हैं और इसी उत्कृष्टता के कारण 'सूचना—प्रौद्योगिकी' के क्षेत्र में भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों में अपना अग्रणी स्थान बनाकर

विश्वगुरुत्व की अपनी पुरानी छवि को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जाग्रत करने की दिशा में अग्रसर है।

राजनीतिक अस्थिरता के छोटे से दौर के बाद नरसिम्हा राव के शासनकाल में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक सुधारों का विमोचन हुआ, जिन्होंने लाइसेंस परमिट राज्य को समाप्त कर दिया।

अटलबिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में द्वितीय 'परमाणु परीक्षण (ऑपरेशन शक्ति)' तथा 'कारगिल युद्ध' ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं, जिनसे दुनियां में भारत के वर्चस्व में वृद्धि हुई। इसी प्रकार डॉ. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 'सूचना का अधिकार', 'मनरेगा', 'आधार कार्ड', 'शिक्षा का अधिकार' तथा 'भोजन का अधिकार' ऐसे अनेक उल्लेखनीय कदम उठाये गये जिनसे भारतीय लोकतंत्र को 'पारदर्शी' बनाने में सहायता मिली। शिक्षा के अधिकार से शिक्षा को बढ़ावा मिला तथा मनरेगा से ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका। इसी श्रृंखला में नरेन्द्र मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाये जिनमें 'योजना आयोग' के स्थान पर 'नीति आयोग' का गठन, 'स्वच्छ भारत मिशन', 'नोटबन्दी' तथा 'जीएसटी' का उल्लेख किया जा सकता है।

इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक सन् 1965 से आज तक की भारतीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं उपलब्धियों का ऐसा लेखा—जोखा प्रस्तुत करती है जिस पर प्रत्येक भारतीय को नाज होना स्वाभाविक है। इन प्रवृत्तियों एवं उपलब्धियों का ज्ञान विद्यार्थी जगत के लिए आवश्यक है। आशा है प्रस्तुत पुस्तक अपने इन उदात्त लक्ष्यों के साथ विद्यार्थियों के लिए ज्ञानार्जन हेतु उपयोगी साबित होगी।

संयोजक
प्रोफेसर बी. एम. शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विषय—सूची

अध्याय—1	भारत के विकास की यात्रा (सन् 1965 से 1984 तक)	1—21
	— इसरो	
	— बांग्लादेश का निर्माण	
	— प्रथम परमाणु परीक्षण	
	— हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति	
	— बैंकों का राष्ट्रीयकरण	
	— प्रिवी पर्स की समाप्ति	
अध्याय—2	भारत के विकास की यात्रा (सन् 1985 से 2004 तक)	22—40
	— चुनाव सुधार—राजनीतिक शुचिता, दल—बदल विरोधी कानून,	
	मताधिकार की आयु सीमा में कमी	
	— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जवाहर नवोदय विद्यालय	
	— सूचना एवं संचार क्रांति	
	— मण्डल आयोग	
	— उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण	
	— कावेरी जल विवाद	
	— ऑपरेशन शक्ति	
	— कारगिल युद्ध	
अध्याय—3	भारत के विकास की यात्रा (सन् 2004 से 2019 तक)	41—67
	— सूचना का अधिकार (लोकतंत्र एवं पारदर्शिता)	
	— भोजन का अधिकार	

	— मनरेगा 2005	
	— भारतीय विशिष्ट पहचान — आधार	
	— शिक्षा का अधिकार 2009	
	— योजना आयोग की समाप्ति एवं नीति आयोग गठन	
	— स्वच्छ भारत मिशन	
	— नोट बंदी	
	— वस्तु एवं सेवा कर	
अध्याय—4	स्वतंत्र भारत—भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन	68—79
	— भूमि सुधार	
	— भूदान आन्दोलन	
	— गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	
अध्याय—5	भारत की विदेश नीति	80—102
	— विदेश नीति के निर्माणक तत्व	
	— गुट निरपेक्षता की नीति	
	— भारतीय विदेश नीति की विकास यात्रा	
	— भारत—विदेश सम्बन्ध, भारत—पाकिस्तान सम्बन्ध, भारत—चीन सम्बन्ध,	
	भारत—बांग्लादेश सम्बन्ध, भारत—श्रीलंका सम्बन्ध, भारत—नेपाल सम्बन्ध,	
	भारत—अमेरिका सम्बन्ध, भारत सोवियत संघ / रूस सम्बन्ध	
	संदर्भ ग्रंथ सूची	103

अध्याय—1

भारत के विकास की यात्रा (सन् 1965 से 1984 तक)

27 मई, 1964 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू का देहावसान हो गया। उनके निधन के पश्चात् लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 माह भारत के प्रधानमंत्री रहे।

लाल बहादुर शास्त्री के बाद शासनसत्ता श्रीमती इन्दिरा गाँधी के हाथों में आई। जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी देश की प्रधानमंत्री बनी, उस समय देश में सूखे की वजह से अनाज की भारी कमी थी। श्रीमती गाँधी की सरकार ने सन् 1969 में बड़ा फैसला लेते हुए 14 बड़े बैंकों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मकसद था कि बैंकिंग सेवाएँ आम लोगों तक पहुँचे। सन् 1971 में श्रीमती गाँधी की सरकार भारतीय संविधान में संशोधन कर राजधानी को मिलने वाले प्रिवीपर्स को खत्म करने में कामयाब हुई। सन् 1971 के युद्ध में भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हार और बांग्लादेश के निर्माण को श्रीमती इन्दिरा गाँधी की बड़ी सामरिक और कूटनीतिक उपलब्धियों में गिना जाता है। श्रीमती गाँधी ने सन् 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति के कूटनीतिक मंच पर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। आजादी के बाद के भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के मददेनजर उनकी छवि 'गरीबों की हितैषी' के रूप में सामने आई। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत में सामाजिक न्याय को हासिल करने की दिशा में सन् 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया।

सन् 1977 के आम चुनाव में जनता ने श्रीमती गाँधी को वापस सत्ता सम्भालने का अवसर नहीं दिया। इस समय सत्ताशीर्ष पर पहुँचने का सौभाग्य क्रमशः मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को मिला। मोरारजी देसाई ने काले धन और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नोटबंदी की तथा परमाणु कार्यक्रमों में, सशक्त दिखने वाले अमेरिका की भूमिका को नकारने जैसे साहसिक कदम भी उठाए। लेकिन अल्पकाल के बाद सन् 1980 के आम चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारी बहुमत के साथ वापस सत्ता में आई। सन् 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। श्रीमती गाँधी की राकेश शर्मा से वार्ता का यह अंश बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसमें श्रीमती गाँधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि हिन्दुस्तान अंतरिक्ष से कैसा नजर आता है? इसके उत्तर में राकेश शर्मा ने कहा 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा'। पंजाब में पनपे आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए श्रीमती गाँधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार (3 जून 1984 से 8 जून 1984) का क्रियान्वयन करवाया, जिसके कारण दुर्भाग्यवश 31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी के निजी अंगरक्षकों ने ही उन पर गोलियाँ चला कर उनकी हत्या कर दी। वह देश के लिए शहीद हो गई।

'भारत के विकास की यात्रा (सन् 1965 से 1984 तक)' अध्याय में लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की शासनावधि के कुछ सुनहरे आयामों और कड़े फैसलों की चर्चा यहाँ की जा रही है।

इसरो

सन् 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (इन्कोस्पार) का गठन हुआ तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रमुख कर्णधार, दूरदृष्टा डॉ. विक्रम साराभाई के साथ इन्कोस्पार ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुंबा भूमध्यरेखीय राकेट प्रमोचन केंद्र (टल्सी) की स्थापना की।

सन् 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तत्कालीन इन्कोस्पार का अधिक्रमण किया। डॉ. विक्रम साराभाई ने राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए इसरो को विकास के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। तत्पश्चात् इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ प्रदान करने हेतु मिशनों पर कार्य प्रारंभ किया और उन्हें स्वदेशी तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की।

इन वर्षों में इसरो ने आम जनता के लिए तथा साथ ही साथ राष्ट्र की सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ध्येय को सदा बनाए रखा। इस प्रक्रिया में आज इसरो विश्व की छठी बृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसी बन गया है। इसरो के पास संचार



PSLV

GSLV

उपग्रह (इन्सैट) तथा सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रहों का बृहत्तम समूह है, जो द्रुत तथा विश्वसनीय संचार एवं भू प्रेक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करता है। इसरो राष्ट्र के लिए उपयोगी विशिष्ट उपग्रह उत्पाद एवं उपकरणों का विकास करता है जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं— प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्रकला, नौवहन, दूर-चिकित्सा समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह।

इन उपयोगों के अनुसार, संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने में, लागत प्रभावी एवं विश्वसनीय प्रमोचक प्रणालियां विकसित करना आवश्यक था जो ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) के रूप में उभरी। प्रतिष्ठित पी.एस.एल.वी. अपनी विश्वसनीयता एवं लागत प्रभावी होने के कारण विभिन्न देशों के उपग्रहों का सबसे प्रिय वाहक बन गया जिसने पहले कभी न हुए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। भू तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) को अधिक भारी और अधिक माँग वाले भू तुल्यकाली संचार उपग्रहों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया।

प्रौद्योगिक क्षमता के अतिरिक्त, इसरो ने देश में विज्ञान एवं विज्ञान की शिक्षा में भी योगदान दिया है। अंतरिक्ष विभाग के तत्त्वावधान में सुदूर संवेदन, खगोलिकी तथा खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान तथा सामान्य कार्यों में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र तथा स्वायत्त संस्थान कार्यरत हैं। वैज्ञानिक परियोजनाओं सहित इसरो के अपने चन्द्र तथा अंतरग्रहीय मिशन वैज्ञानिक समुदाय को बहुमूल्य आंकड़ा प्रदान करने के अलावा, विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा देते हैं, जो कि विज्ञान को समृद्ध करता है।

भविष्य की तैयारी प्रौद्योगिकी में आधुनिकता बनाए रखने की कुंजी है और इसरो, जैसे-जैसे देश की

आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं बढ़ती हैं, अपनी प्रौद्योगिकी को इष्टतमी बनाने व बढ़ाने का प्रयास करता है। इस प्रकार इसरो ने भारी वाहक प्रमोचितों, समानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं, पुनरुपयोगी प्रमोचक राकेटों, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन, एकल तथा दो चरणी कक्षा (एस.एस.टी.ओ. एवं टी.एस.टी.ओ.) राकेटों आदि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपयोगी सामग्री का विकास एवं उपयोग किया तथा लगातार इस दिशा में विकास की ओर अग्रसर है।

इस बात को सिद्ध करने के लिए कि उपग्रह प्रणाली राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकती है, इसरो के समक्ष यह स्पष्ट धारणा थी कि अनुप्रयोग विकास की पहल में अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दिनों में, विदेशी उपग्रहों का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि एक पूर्ण विकसित उपग्रह प्रणाली के परीक्षण से पहले, राष्ट्रीय विकास के लिए दूरदर्शन माध्यम की क्षमता को प्रमाणित करने के लिए कुछ नियंत्रित परीक्षणों को आवश्यक माना गया। तदनुसार, किसानों के लिए कृषि संबंधी सूचना देने हेतु टी.वी. कार्यक्रम 'कृषि दर्शन' की शुरुआत की गई, जिसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

अगला तर्कसंगत कदम था उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण (साइट), जो वर्ष 1975-76 के दौरान 'विश्व में सबसे बड़े समाजशास्त्रीय परीक्षण' के रूप में सामने आया। इस परीक्षण से छह राज्यों के 2400 ग्रामों के करीब 200,000 लोगों को लाभ पहुँचा तथा इससे अमरीकी प्रौद्योगिकी उपग्रह (ए.टी.एस.-6) का प्रयोग करते हुए विकास आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। एक वर्ष में प्राथमिक स्कूलों के 50,000 विज्ञान के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का श्रेय साइट को जाता है।

साइट के बाद, वर्ष 1977-79 के दौरान फ्रेंको-जर्मन सिमफोनी उपग्रह का प्रयोग करते हुए इसरो तथा डाक एवं तार विभाग (पी.एवं.टी.) की एक संयुक्त परियोजना उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना (स्टेप) की शुरुआत की गई। दूरदर्शन पर केन्द्रित साइट के क्रम में परिकल्पित स्टेप दूरसंचार परीक्षणों के लिए बनाया गया था। स्टेप का उद्देश्य था घरेलू संचार हेतु भूतुल्यकाली उपग्रहों का प्रयोग करते हुए प्रणाली जाँच प्रदान करना, विभिन्न भू खंड सुविधाओं के डिजाइन, उत्पादन, स्थापना, प्रचालन तथा रखरखाव में क्षमताओं तथा अनुभव को हासिल करना तथा देश के लिए प्रस्तावित प्रचालनात्मक घरेलू उपग्रह प्रणाली, इन्सैट के लिए आवश्यक स्वदेशी क्षमता का निर्माण करना।

साइट के बाद, 'खेड़ा संचार परियोजना (के.सी.पी.)' की शुरुआत हुई जिसने गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में आवश्यकतानुसार तथा स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण के लिए क्षेत्र प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया। के.सी.पी. को सन् 1984 में कुशल ग्रामीण संचार सक्षमता के लिए यूनेस्को-आई.पी.डी.सी. (संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम) पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवधि के दौरान, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह 'आर्यभट्ट' का विकास किया गया तथा सोवियत राकेट का प्रयोग करते हुए 19 अप्रैल, 1975 को इसका प्रमोचन किया गया। दूसरी प्रमुख उपलब्धि थी निम्न भू कक्षा (एल.ई.ओ.) में 40 कि.ग्रा. को स्थापित करने की क्षमता वाले प्रथम प्रमोचक राकेट एस.एल.वी.-3 का विकास करना, जिसकी पहली सफल उड़ान सन् 1980 में की गई। एस.एल.वी.-3 कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण राकेट डिजाइन, मिशन डिजाइन, सामग्री, हार्डवेयर संविचन, ठोस नोदन प्रौद्योगिकी, नियंत्रण ऊर्जा संयंत्र, उड़ानकी, राकेट समेकन जाँच तथा प्रमोचन प्रचालन के लिए सक्षमता का निर्माण किया गया। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने हेतु उपयुक्त नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के साथ बहु-चरणीय राकेट प्रणालियों का विकास करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

1980 के दशक के परीक्षणात्मक चरण में, प्रयोक्ताओं के लिए, सहयोगी भू प्रणालियों के साथ अंतरिक्ष प्रणालियों के डिजाइन, विकास तथा कक्षीय प्रबंधन में शुरू से अंत तक क्षमता प्रदर्शन किया गया। सुदूर

संवेदन के क्षेत्र में भास्कर—। एवं ॥ ठोस कदम थे जबकि भावी संचार उपग्रह प्रणाली के लिए एरियन यात्री नीतभार परीक्षण (एप्पल) अग्रदूत बना। जटिल संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.) के विकास ने नई प्रौद्योगिकियों जैसे स्ट्रैप-ऑन, बलबस ताप कवच, बंद पाश मार्गदर्शिका तथा अंकीय स्वपायलट के प्रयोग को भी प्रदर्शित किया। इससे, जटिल मिशनों हेतु प्रमोचक राकेट डिजाइन की कई बारीकियों को जानने का मौका मिला, जिससे पी.एस.एल.वी. तथा जी.एस.एल.वी. जैसे प्रचालनात्मक प्रमोचक राकेटों का निर्माण किया जा सका।

1990 के दशक के प्रचालनात्मक दौर के दौरान, दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत प्रमुख अंतरिक्ष अवसंरचना का निर्माण किया गया। एक का प्रयोग बहु-उद्देश्यीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट) के माध्यम से संचार, प्रसारण तथा मौसमविज्ञान के लिए किया गया तथा दूसरे का भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) प्रणाली के लिए। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) तथा भूतल्यकालीक उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) का विकास तथा प्रचालन इस चरण की विशिष्ट उपलब्धियाँ थीं।

यह विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुए। अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के फलस्वरूप बहुआयामी क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग से भू-अवलोकन, उपग्रह संचार, आपदा प्रबंधन, सैटेलाइट नेवीगेशन, जलवायु और पर्यावरण अध्ययन आदि क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति हुई।

बांग्लादेश का निर्माण

पाकिस्तान का निर्माण मुहम्मद अली जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर हुआ था, जिसमें यह कहा गया, कि अपने धार्मिक विश्वास के कारण भारत के मुसलमान एक अलग कौम हैं, अतः उनके लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के निर्माण ने इस सिद्धान्त को गलत सिद्ध कर दिया।

सन् 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सैनिक संकट फूट पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक अभिजातों ने शीघ्र ही पाकिस्तान के राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक स्थानों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव पनपने लगे। परिणामस्वरूप गुजरते समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में जनवाद तथा पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग के लिए एक शक्तिशाली आन्दोलन विकसित करने लगे। इस आन्दोलन के साथ समय रहते समझौता करने के बजाय पाकिस्तान के शासक वर्ग ने इसे कुचलने का फैसला किया, जिसने अन्ततः इस आन्दोलन को पाकिस्तान से आजादी के आन्दोलन में बदल दिया।

दिसम्बर, 1970 में पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल याह्या खान (General Yahya Khan) ने स्वतंत्र चुनाव करवाए, जिसमें बंगाल की आवामी लीग (Awami League) को शेख मुजीबुर रहमान (Sheikh Mujibur Rahman) के लोकप्रिय नेतृत्व के चलते पूर्वी बंगाल की 99 प्रतिशत से अधिक सीटें प्राप्त हुई और पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। परन्तु सेना एवं याह्या खान ने पश्चिमी पाकिस्तान के एक अग्रणी नेता जुल्फीकार अली भुट्टो (Zulfikar Ali Bhutto) को अपना समर्थन दिया और अवामी लीग को सरकार बनाने देने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने जब संसदीय प्रावधानों को लागू करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया तो 25 मार्च, 1971 को अचानक एक चाल चलते हुए याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई का आदेश दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार कर लिए गए और पश्चिमी पाकिस्तान में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाए गए। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने आतंकराज की स्थापना की, जिसमें नागरिकों की हत्या, गाँवों और फसलों को जलाना आदि शामिल था। छह

महीनों तक सेना बलात्कार, यातना, आगजनी, क्रूर हत्याएँ तथा अन्य जघन्य अपराध करती रही। पूर्वी पाकिस्तान की पुलिस एवं अर्द्ध-सैनिक बलों ने विद्रोह के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अवामी लीग के वे नेता जो कलकत्ता तक भागने में सफल हो गए थे, उन्होंने एक निर्वासित बांग्लादेश सरकार की स्थापना की तथा 'मुकितवाहिनी' का गठन करते हुए भूमिगत आन्दोलन तथा गोरिल्ला युद्ध आरम्भ कर दिया।

पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बर्बरता पूर्ण रवैया अपनाया। न केवल यहाँ के हिन्दुओं वरन् बड़ी संख्या में मुसलमानों, ईसाइयों और बौद्धों को अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल, असम तथा मेघालय में शरण लेने के लिए बाध्य किया गया। नवम्बर, 1971 तक पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की संख्या एक करोड़ तक पहुँच चुकी थी। पूर्वी बंगाल से आए लोगों के लिए भारत में सहानुभूति की एक लहर थी और पाकिस्तान के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की मँग तीव्र होती जा रही थी। हालांकि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी यह समझ रही थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को टाला जाना मुश्किल है, परन्तु वह जल्दबाजी में किसी भी कार्यवाही के पक्ष में नहीं थी। इस पूरे संकट के दौरान वह न केवल अत्यधिक साहस, बल्कि भरपूर सावधानी, सोच-विचार और ठण्डे दिमाग से की गई गणनाओं के आधार पर काम कर रही थी। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, जिससे भारत के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और तौर-तरीकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा सके। इन्दिरा गांधी की सोच थी कि यदि युद्ध होता है तो उसे भारत द्वारा चुने गए समय पर होना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक कार्यवाही मानसून के दौरान नहीं की जा सकती थी क्योंकि उस समय बड़ी संख्या में नदियाँ उफान पर होती हैं, जिसके चलते बाढ़ की संभावना रहती है और उस समय दलदलों को लांधना मुश्किल होता है। सर्दियों में हिमालय के दर्रे बर्फ से ढक जाते हैं, जिससे चीन को अपने सैनिक पाकिस्तान की मदद के लिए भेजकर हस्तक्षेप करना मुश्किल हो जाता है। इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय माहौल को अपनी तरफ करना बहुत जरूरी समझती थी। उन्हें शरणार्थियों के विषय में भारत की आशंकाओं से परिचित करना भी आवश्यक था और यह बताना भी आवश्यक था कि कैसे वे भारत के ऊपर एक असहाय बोझ डाल रहे हैं, जिससे उसके ऊपर आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शरणार्थियों को बिना किसी देरी के वापस लौट जाना चाहिए, परन्तु ऐसा तभी किया जा सकता था जबकि पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा शान्ति और विश्वास का माहौल हासिल किया जाए।

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के कारण इन्दिरा गांधी के समय में एक बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आ चुके थे, जिन्हें भारत में पड़ोसी होने के नाते सुविधाएँ दी जा रही थी। यह पाकिस्तान को बिल्कुल गंवारा नहीं था। शरणार्थियों के आने से भारत पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की धमकियाँ देना तक शुरू कर दिया था। तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी कोशिशें की, ताकि कोई हल निकल आए और शरणार्थी वापस घरों को लौट जाएँ, पर यह संभव नहीं हो सका। फिर वही हुआ जिसका उर था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने विरोध को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी एक सेना बनाकर पश्चिमी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसे पाकिस्तान ने भारत समर्थित युद्ध माना। उनका मानना था कि भारत की शह पर उनका विरोध हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक साहसिक, परिपक्व एवं दृढ़तापूर्ण नेतृत्व का परिचय देते हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार किया तथा पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणा कर दी।

भारत न केवल बांग्लादेश की निर्वासित सरकार की शरणस्थली बना, बल्कि साथ में भारतीय सेना ने भारतीय भूमि पर उन्हें सैनिक प्रशिक्षण तथा मुकितवाहिनी को सैनिक साज-सामान और पैसे के रूप में



भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में श्रीमती गाँधी को समर्थन

सहायता भी प्रदान की। भारत सरकार ने शरणार्थियों को भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा सुविधा देने में भी उदारता से काम लिया, हालांकि इससे भारतीय संसाधनों पर भयानक दबाव पड़ा।

जहाँ सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया, वहीं अमेरिका और चीन ने न केवल असहानुभूतिपूर्ण बल्कि भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। भारत के विरोधों को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति करता रहा। चीन पाकिस्तान के समर्थन में पूरी तरह था, क्योंकि वस्तुतः वह इसका सहयोगी बन चुका था। युद्ध की स्थिति में अमेरिका और चीन द्वारा सम्भावित हस्तक्षेप के खिलाफ अपने को सुरक्षित करने के लिए भारत ने 9 अगस्त, 1971 को शीघ्रतापूर्वक 'शान्ति, मैत्री और सहयोग के लिए भारत—सोवियत संधि' (Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Co-operation) पर 20 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए। इस संधि में यह प्रावधान था कि किसी देश में सैनिक खतरे के उपरिथित होने के संकेत होने पर तत्काल ही आपसी सलाह—मशविरा तथा यथोचित जवाबी कार्यवाही करने के लिए सहयोग किया जाएगा। इस संधि का भारत की जनता ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया।

इन्दिरा गाँधी का आत्मविश्वास अब चरम पर था, जिसकी झलक बी.बी.सी. को दिये उनके एक साक्षात्कार में मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा कि—"हम लोग इस बात पर निर्भर नहीं हैं कि दूसरे देश क्या सोचते हैं या हम क्या करें या वे हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और यह कि हम क्या करने जा रहे हैं। चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो...कोई देश हमारी मदद करना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यदि न भी मिले तो भी हमारे लिए ठीक है।"

भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। भारतीय सेना द्वारा 4 दिसम्बर, 1971 की तिथि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए सीधी कार्यवाही शुरू करने हेतु निर्धारित की गई थी, फिर भी श्रीमती इन्दिरा गाँधी पहले कदम उठाने में हिचक रही थी, परन्तु इसी समय याहया खान ने बटन को पहले दबाते हुए उनका काम आसान कर दिया। मुक्तिवाहिनी के गोरिल्ला युद्ध से तथा बांग्लादेश में भारतीय सेना के कदम से परेशान होकर याहया खान ने पहले हमला कर फायदा उठाने का निश्चय किया और 3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने पश्चिमी भारत के सैनिक हवाई अड्डों पर अचानक धावा बोल दिया। वे यह उम्मीद कर रहे थे कि इससे भारतीय वायुसेना को गम्भीर क्षति पहुँचायी जा सकेगी और बांग्लादेश के मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करके संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप को सुनिश्चित किया जा सकेगा, परन्तु वे अपने दोनों ही उद्देश्यों में असफल रहे। भारत ने तुरन्त बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करते हुए पाकिस्तानी आक्रमण का करारा सैनिक जवाब दिया।

ले. जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा (L.G. Jagjit Singh Arora) के विलक्षण नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर पूरे पूर्वी बंगाल को दौड़ते हुए पार कर इसकी राजधानी ढाका में पाकिस्तानी छावनी को घेर लिया। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में अपने 'वीटो' का प्रयोग किया। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देश तटस्थ रहे। अमेरिका ने भारत को आक्रमणकारी देश घोषित कर उसकी सभी आर्थिक मदद बंद कर दी। भारत पर दबाव डालने के उद्देश्य से अमेरिका ने अपने युद्धपोत सातवें बेड़े को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना किया, परन्तु इन्दिरा गांधी ने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। ले. जनरल ए.ए.के. नियाजी के नेतृत्व में 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को 16 दिसम्बर, 1971 के दिन आत्मसमर्पण करने के लिए भारतीय सेनाओं ने मजबूर कर दिया। ढाका के आत्मसमर्पण के ठीक बाद भारत सरकार ने पश्चिम मोर्चे पर एक—तरफा युद्ध—विराम की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने तुरन्त युद्ध—विराम को सहज स्वीकार कर लिया और शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया, जो बांग्लादेश में सत्तारूढ़ हुए।

युद्ध समाप्त हो चुका था और युद्ध—विराम लागू हो चुका था। भारत के पास अब भी 90 हजार युद्धबंदी और पाकिस्तानी भू—भाग का करीब—करीब 9 हजार वर्ग किमी. क्षेत्र कब्जे में था। पाकिस्तान ने अभी तक बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी थी। इन्दिरा गांधी ने महसूस किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में किया गया समझौता, एक स्थायी शान्ति के लिए आवश्यक है। 3 जुलाई, 1972 को दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 'शिमला समझौता' के नाम से जाना जाता है।



शिमला समझौता

दोनों देश अपने सभी आपसी विवादों को 'द्विपक्षीय बातचीत' के द्वारा, बिना किसी बाहरी शक्ति अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के, आपस में सुलझाने को सहमत हुए। पाकिस्तान ने भी अगस्त 1973 में बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी।

वैसे तो हर युद्ध की तरह इस युद्ध में भी सेना के सैकड़ों जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन इनमें भी कुछ नाम ऐसे थे, जिन्होंने अपनी क्षमता से बाहर जाकर देश को विजय दिलाई। पहला नाम था अल्बर्ट एक्का का जिन्होंने दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी इकाई के साथियों की रक्षा की थी। युद्ध के दौरान वो घायल हुए और 3 दिसम्बर, 1971 को उन्होंने अपने प्राण गँवा दिए। मत्यु के बाद सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। दूसरा नाम था मेजर होशियार सिंह का जिन्होंने 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने जम्मू—कश्मीर के शकरगड़ के पसारी क्षेत्र में जरवाल का मोर्चा फ़तह किया था। उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

इसी कड़ी में लेपिटनेंट अरुण खेत्रपाल, सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ, कमांडर ले. जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, निर्मलजीत सिंह सेखों, चेवांग रिनचौन एवं महेन्द्र नाथ मुल्ला जैसे कुछ और प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने इस युद्ध में पाक को करारी हार देकर विजय की नई परिभाषा गढ़ी।

सन् 1971 में पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद हर साल 16 दिसम्बर को 'विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

बांग्लादेश आजाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान अपनी रिहाई के बाद ढाका जाते समय भारत रुके। उनके स्वागत समारोह में भारत की भूमिका बयाँ करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कहा, वह

उल्लेखनीय है—

‘मैंने कहा था कि ये शरणार्थी अपने घर पुनः लौटेंगे। हम मुकितवाहिनी और बांग्लाजन की हर तरह से सहायता करेंगे। हमने शेख साहब को मुक्त कराने का भी व्रत लिया था। ये तीनों ही वायदे पूरे कर दिये गये हैं।’

शेख मुजीबुर रहमान ने भी भारत के प्रति अपने आभार को व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि—“भारत—बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गये हैं, उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकेगा।”

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के निर्माण में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

प्रथम परमाणु परीक्षण

भारत में परमाणु ऊर्जा की समस्त कार्यविधियों की कार्यकारी संस्था ‘परमाणु ऊर्जा विभाग’ (Department of Atomic Energy) की स्थापना सन् 1954 में हुई थी। यह संस्था सन् 1948 में स्थापित परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) के अधीन कार्य करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों का संचालन प्रधानमंत्री की निगरानी में किया जाता है।

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए सन् 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह तय किया गया कि परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग विद्युत उत्पादन, शान्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, नियंत्रण एवं प्रयोग, कृषि अनुसंधान, उद्योग, चिकित्सा तथा अन्य क्षेत्रों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, प्रशिक्षित वैज्ञानिकों एवं तकनीकी मानव संसाधन, कच्चा माल प्रसंस्करण, प्रविधि जानकारी, नाभिकीय घटकों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पादन क्षमता का विकास करने आदि के क्षेत्रों में किया जायेगा, जिससे इन क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता स्थापित हो सके।

भारत ने डॉ. होमी जहाँगीर भाभा (Dr. Homi Jehangir Bhabha) के नेतृत्व में अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरूआत की। भाभा भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। भाभा भारतीय ‘परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक’ कहलाते हैं। भारत के अंग्रेजों से आजाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी डॉ. होमी जहाँगीर भाभा के काबिल हाथों में सौंपी। पं. जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि “मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत अपने वैज्ञानिक शोध का विकास करेगा और मुझे उम्मीद है कि भारतीय वैज्ञानिक रचनात्मक प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करेंगे।

आज से लगभग आधी सदी पूर्व भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ये करिश्मा कर दिखाया था। भारत के इस परमाणु विस्फोट से अमेरिका तक हैरान था।

सन् 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद सन् 1966 में इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब परमाणु कार्यक्रम का विस्तार तेजी से हुआ तथा नए उत्साह के साथ इस क्षेत्र में कई नई शुरूआत हुई। होमी एन. सेठना एक रासायनिक इंजीनियर थे जिन्होंने प्लूटोनियम ग्रेड हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि राजा रमन्ना ने पूरे परमाणु डिवाइस का डिजाइन और निर्माण करवाया।

सन् 1972 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (Bhabha Atomic Research Centre : BARC) का दौरा

करते हुए तात्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने वहाँ के वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की मौखिक इजाजत दी थी। भारत ने पोखरण (जैसलमेर, राजस्थान) में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 'पोखरण-I' (Pokhran-I), जिसका कूटनाम 'स्माइलिंग बुद्धा' (Smiling Buddha) है, 18 मई, 1974 को किया था। परीक्षण में प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था। परीक्षण के दिन से पहले तक इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया था।



इन्दिरा गाँधी पोखरण में

इस परीक्षण को शान्तिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये किया गया और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये किया गया था। यह परीक्षण सैन्य स्थल पोखरण टेस्ट रेंज (Pokhran Test Range) में सेना के वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में किया गया। इस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी एन. सेठना (Homi N. Sethna) थे, जबकि BARC के प्रमुख डॉ. राजा रमन्ना (Dr. Raja Ramanna) थे। ये दोनों वैज्ञानिक इस प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार थे। पोखरण-I इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पांच स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण था।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सन् 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति में कूटनीति मंच पर महाशक्तियों के समक्ष भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया। यह विस्फोट अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सन्तुलन की शतरंज के लिए एक मोहरा था।

हरित क्रांति

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को 'भारत में हरित क्रांति का अगुआ' माना जाता है। यह उन्हीं के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि भारत आज खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है और खाद्यान्नों का निर्यात भी कर रहा है।



हरित क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी से उबार कर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण कार्यक्रम ने डॉ. स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। देश में कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया।

किसी भी समाज के लिए खाद्य सुरक्षा एक अपरिहार्य आवश्यकता है। इसी को संज्ञान में रखते हुए यह

कहा जाता है कि “कहीं भी होने वाली खाद्य असुरक्षा, सर्वव्यापी शांति के लिये खतरा है।”

भारत सदैव से अकाल एवं सूखे का देश रहा है। भारत में ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य 14 अभिलेखित अकाल हुए हैं। अंतिम प्रमुख अकाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक चार वर्ष पूर्व सन् 1943 में बंगाल में पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात् सन् 1966 में बिहार का अकाल एवं सन् 1970–1973 में महाराष्ट्र तथा सन् 1979–1980 में पं. बंगाल सूखा पड़ा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भारत में कृषि अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। अतः यह स्वाभाविक है कि खाद्य—सुरक्षा स्वतंत्र भारत की कार्यसूची में प्रमुख मुद्दा बना। खाद्य—सुरक्षा से अभिप्राय समस्त व्यक्तियों की हर समय पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार के प्रति भौतिक एवं आर्थिक पहुँच से हैं जिसके माध्यम से वे एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन निर्वाह के लिये अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा कर सकें। खाद्य—सुरक्षा के तीन स्तम्भ हैं—खाद्यान्न की भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्न के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक पहुँच एवं खाद्य उपभोग।

खाद्य—सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं खतरे ने जहाँ एक ओर 1970 के दशक के मध्य में हरित क्रांति को जन्म दिया, स्वपर्याप्तता की उपलब्धि एवं खाद्य आधिक्य की दशा प्रदान की तथा वहीं दूसरी ओर सरकार ने व्यापारियों द्वारा स्वयं के लाभार्जन के लिये खाद्य संचय पर रोक लगाने के लिये अधिनियमों द्वारा नकेल लगाने का प्रयास किया। इस प्रकार भारतीय कृषि परंपरागत जीवन निर्वाहक क्रिया से परिवर्तित होकर आधुनिक बहुआयामी उद्यम बन गई। पूर्ण खाद्य—सुरक्षा प्राप्त करने के लिये सरकार ने हरित क्रांति की तकनीकों का तीव्रता से प्रसार किया। सौभाग्यवश, आज के भारत में इस प्रकार की खाद्य असुरक्षा नहीं है। सन् 1967–1968 से सन् 1977–1978 के मध्य हरित क्रांति के तीव्रतम प्रसार ने भारत को एक खाद्य अपर्याप्य राष्ट्र से विश्व के प्रमुख कृषि राष्ट्रों में स्थान प्रदान करवाया। भारत उन कुछ राष्ट्रों में से एक हैं जहाँ हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति की सफलतम यात्रा के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं—

- भारत विश्व के 15 अग्रणी कृषि उत्पाद निर्यातकों में से एक है। कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे तिलहन, चावल (विशेषकर बासमती चावल), कपास इत्यादि में भारत की निर्यातक क्षमता प्रशंसनीय है।
- भारत का कृषि निर्यात संपूर्ण विश्व के व्यापार का 2.6 प्रतिशत है (डब्ल्यूटीओ, 2012)। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात सन् 2008–2009 में 9.10 प्रतिशत से सन् 2012–2013 में 14.10 प्रतिशत हो गया है।
- भारत के कृषि एवं सहायक क्षेत्रों ने सकल घरेलू उत्पाद में सन् 2009–10, सन् 2010–11, सन् 2011–12, सन् 2012–13 एवं सन् 2013–14 में क्रमशः 14.6 प्रतिशत, 14.56 प्रतिशत, 14.4 प्रतिशत, 13.9 प्रतिशत एवं 13.9 प्रतिशत का योगदान दिया है।
- कुल खेतिहर क्षेत्रफल 198.9 मिलियन हैक्टेयर है।
- भारत के कृषि उत्पाद निर्यातों में सन् 2011–12 से सन् 2012–13 के मध्य 24 प्रतिशत की बढ़त हुई है।
- कुल निर्यातों में कृषि उत्पाद निर्यात का प्रतिशत सन् 2011–12 में 12.8 प्रतिशत से बढ़कर सन् 2012–13 में 13.1 प्रतिशत हो गया है।
- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता सन् 1951 में 349.9 ग्राम से बढ़कर सन् 2011 में 462.9 ग्राम हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति के बाद भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। भारतीय कृषि नवीन युग में अनेक क्षेत्रों में विविधकृत हो गई है जैसे—बागवानी, फूलबानी, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि।

भारतीय मानसून की प्रकृति अत्यधिक अनिश्चित एवं अनियमित है। ऐसे में एचवाईवी बीजों को सिंचाई की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके साथ—साथ इन बीजों से फसल प्राप्ति हेतु समय—समय पर उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग वांछनीय है। अतः सिंचाई साधनों के लिये नहर सिंचाई, पम्प सेट, ट्यूब बेल, ड्रिप सिंचाई, रेनफेड एरिया डबलपर्मेंट, वाटरशेड डबलपर्मेंट फंड इत्यादि साधनों के विकास एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में खाद्यान्नों का कुल सिंचित क्षेत्र सन् 1970–71 में मात्र 24.1 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 48.3 प्रतिशत हो गया है।

कृषि—व्यापार विकास एवं सहायता कानून—1954 (Agricultural Trade Development and Assistance Act- 1954) पर अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने हस्ताक्षर किए थे, जो कि एक 'शान्ति के लिए भोजन कार्यक्रम' (Food for Peace Programme) था। सामान्यतः यह कानून Public Law-480 या PL-480 नाम से जाना जाता है।

PL-480 अमेरिकी राष्ट्रपति को मित्र राष्ट्रों (Friendly nations) को रियायती एवं अनुदान शर्तों पर अधिशेष वस्तुओं के लदान (Shipment) हेतु अधिकृत करता है। इस कानून के तहत अमेरिकी भोजन का उपयोग विदेशी सहायता के लिए किया जा सकता है। (US food can be used for overseas aid) भारत ने PL-480 योजना के तहत सन् 1956 से अमेरिका से आयात करना शुरू किया था।

ऐसे परिदृश्य में आर्थिक आत्म—निर्भरता और खाद्यान्न में आत्म—पूर्णता की नीति विदेश नीति की जरूरत बन जाती है। नई कृषि रणनीति पूर्णतः अमल में लायी जाने लगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम् सुब्रमण्यम् और इन्दिरा गाँधी ने, जो शास्त्रीजी के संक्षिप्त कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री बनी थी, भारतीय कृषि की इस नई रणनीति को तैयार करने और उसे अमल में लाने में पूरा समर्थन दिया।




इन्दिरा गाँधी

हरित क्रान्ति ने भारत को अनाज की कमी वाले देश से, जिसमें खाने के लाले पड़े रहते थे, एक ऐसे देश में बदल दिया जो आत्मनिर्भर और आत्म—संतुष्ट हो गया। यहाँ तक कि अनाज इकट्ठा भी होने लगा। यह परिवर्तन उन महत्त्वपूर्ण तकनीकी सुधारों का नतीजा था जो खासतौर पर साठ के दशक के मध्य से भारतीय कृषि में अपनाए गए।

भारत में सर्वप्रथम सन् 1960–61 में एक कार्यक्रम 'गहन कृषि जिला कार्यक्रम' (Intensive Agriculture District Programme) के नाम से देश के 07 चुने हुए जिलों में अपनाया गया। वर्ष 1960–61 में तीन जिलों एवं वर्ष 1962–63 में चार जिलों में इसकी शुरूआत हुई। इन सात जिलों में राजस्थान का पाली जिला भी शामिल था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध कराना एवं केन्द्रित प्रयासों द्वारा दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन खेती का ढांचा तैयार करना था।

भारत में 1960 के दशक के मध्य में मैक्रिसको से लाए गए गेहूँ के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि

वैज्ञानिकों ने संकरण (Breeding) द्वारा गेहूँ की अधिक उपज देने वाली नई—नई प्रजातियाँ विकसित की, जिनकी प्रति हैक्टेयर उपज क्षमता 60—65 किलोटन थी। ऐसी ही स्थिति धान की प्रजातियों की भी रही। फलस्वरूप देश में 1960 के दशक के मध्य (सन् 1966—67) में कृषि में ‘हरित क्रान्ति’ (Green Revolution) आयी, जिसके चलते देश ने खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त की, जिसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक अमेरिका के डॉ. नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग (Norman Ernest Borlaug) को तो है ही, साथ में भारत के वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (M. S. Swaminathan) को भी जाता है। भारत में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप ज्यादातर गेहूँ की पैदावार बढ़ी।



डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन

फसल की अच्छी किस्मों के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएँ, मिट्टी के प्रयोग की सुविधाएँ, कृषि शिक्षा कार्यक्रम, संस्थागत कर्ज, ट्रैक्टर, पम्प इत्यादि जैसी सुविधाएँ उन क्षेत्रों को दी गईं, जहाँ सिंचाई एवं प्राकृतिक तथा अन्य किस्म की अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध थीं। कृषि में सरकारी निवेश काफी बढ़ गया। खेती को दी जाने वाली संस्थागत वित्तीय मदद सन् 1968 से 1973 के बीच दोगुनी हो गई। कृषि मूल्य आयोग की कोशिश यह रही कि किसान के लिए निरन्तर उत्पादक मूल्य के जरिए बाजार की गारण्टी भी दी जाए।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि भारत में हरित क्रान्ति का खाद्य—सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धि, भोजन की कीमतों में तुलनात्मक कमी, कृषि तथा गैर—कृषि रोजगार पैदा करने, वेतन में वृद्धि इत्यादि के जरिए दिखाई पड़ता है। भारतीय जनसंख्या का काफी बड़ा भाग, दो—तिहाई से भी अधिक, आज भी खेती पर निर्भर है। भारत में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई और अभी भी नई तकनीकी से गेहूँ में 2.5 गुना, धान में 3 गुना, मक्का में 3.5 गुना, ज्वार में 5 गुना, बाजरा में 5.5 गुना, उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना है।

श्वेत क्रान्ति

दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही ‘श्वेत क्रान्ति’ (White Revolution) कहलाती है। डॉ. वर्गीज कुरियन को भारत में ‘श्वेत क्रान्ति का जनक’ (Father of the White Revolution) कहा जाता है। सन् 1964—65 में देश में ‘सघन पशु विकास कार्यक्रम’ (Intensive Cattle Development Programme) चलाया गया, जिसके अन्तर्गत ‘श्वेत क्रान्ति’ लाने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों का पैकेज प्रदान किया गया।

कालान्तर में श्वेत क्रान्ति की गति अधिक तेज करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा सन् 1970 में एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ‘ऑपरेशन फ्लॉड’ (Operation Flood) आरम्भ किया गया। ‘ऑपरेशन फ्लॉड’ के सूत्रधार डॉ. वर्गीज कुरियन ही थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। बहरहाल, ‘ऑपरेशन फ्लॉड’ सिर्फ डेयरी—कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े तथा



गरीबी दूर हो। सहकारी दूध—उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सहकारी डेयरियों में भी इजाफा हुआ है।

डॉ. वर्गीज कुरियन ने गुजरात के आणंद में एक छोटे से गैराज से अमूल की शुरूआत की थी। कुरियन का सपना था देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारनी चाहिए। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति शुरू की थी। उस समय डेयरी उद्योग पर निजी लोगों का कब्जा था। उन्होंने ज्ञान और प्रबंधन पर आधारित संस्थाओं का विकास किया।

डॉ. वर्गीज कुरियन ने गुजरात में वर्ष 1946 में दो गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 16,100 है। इस संघ से 32 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था।

डॉ. वर्गीज का जीवन सहकारिता के माध्यम से भारतीय किसानों को सशक्त बनाने पर समर्पित था। उन्होंने सन् 1949 में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष त्रिभुवनदास पटेल के अनुरोध पर डेयरी का काम संभाला। सरदार वल्लभभाई पटेल की पहल पर इस डेयरी की स्थापना की गई थी। बाद में पटेल ने कुरियन को एक डेयरी प्रसंस्करण उद्योग बनाने में मदद करने के लिए कहा, जहां से 'अमूल' का जन्म हुआ।

अमूल की सफलता से अभिभूत होकर तात्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का गठन किया और डॉ. वर्गीज कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एनडीडीबी ने सन् 1970 में 'ऑपरेशन फ्लड' की शुरूआत की जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने सन् 1965 से 1998 तक 33 साल एनडीडीबी के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। साठ के दशक में भारत में दूध की खपत जहां दो करोड़ टन थी वहीं सन् 2011 में यह 12.2 करोड़ टन पहुंच गई। सन् 1965 के बाद के 33 वर्षों में उनके बनाए सहकारिता पर आधारित अमूल मॉडल का अनुकरण पूरे देश में किया गया। कुरियन सन् 1965–1998 तक एनडीडीबी के संस्थापक प्रमुख, सन् 1973 से 2006 तक गुजरात को—ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और सन् 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे।

भारत सरकार ने वर्गीज कुरियन को पदम श्री (1965), पदम भूषण (1966), पदम विभूषण (1999) से सम्मानित किया था। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1963), कार्नेगी वाटलर विश्व शांति पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार (1989), कृषि रत्न (1986) और अमेरिका के 'इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर' सम्मान से भी नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 'मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी' और 'तमिलनाडु कृषि



लालबहादुर शास्त्री डॉ. वर्गीज कुरियन के साथ

विश्वविद्यालय' समेत कई संस्थानों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। डॉ. वर्गीज़ कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फ़िल्म 'मंथन' की कहानी भी लिखी है जिसे करीब 5 लाख किसानों ने वित्तीय सहायता दी। विश्व बैंक ने ग्रीष्मी उन्मूलन के लिए अमूल मॉडल को चिह्नित किया है। अमूल मॉडल को व्यापक और लोकप्रिय बनाने में डॉ. वर्गीज़ की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं अमूल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे।



नेहरू अमूल के उद्घाटन के अवसर पर

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDBB) ने "दूध की नदी अभियान" आरम्भ किया, जो आणंद के अनुभवों को अन्य जगहों में लागू करने की एक कोशिश थी। अभियान के फलस्वरूप दूध की आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई और इस कारण दुग्ध उत्पादकों की आय में भी भारी वृद्धि हुई, खासकर गरीबों की। गाँवों के अध्ययन से पता चलता है कि डेयरी का काम किसान का एक महत्वपूर्ण काम बनता जा रहा है। कुछ मामलों में तो वह आय का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है। इस प्रकार, दुग्ध—सहकार एक महत्वपूर्ण गरीबी—निवारण कदम साबित हो रहा है।

दुग्ध अभियान और डेयरी प्रसार का एक नतीजा स्थानीय डेयरी सामान उत्पादन उद्योग का प्रसार रहा है। दुग्ध अभियान के फलस्वरूप दुग्ध सहकारों का प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों पर या उनकी शिक्षा पर बढ़ गया। इस आन्दोलन के जरिए महिला—शक्ति बढ़ाने की सम्भावना को देखते हुए "दूध की नदी अभियान" ने "सेवा" (Self Employed Women's Association : SEWA) जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से महिला डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की। इनमें सिर्फ महिलाएँ ही सदस्य होती हैं और प्रबन्धन समितियों में भी सिर्फ वे ही होती हैं। दूध से आ रही आय पर अधिकार के जरिए महिलाओं को अपना जीवन तय करने में अधिक आजादी मिलती है। साथ ही, वे घर से बाहर निर्णयकारी प्रक्रिया में भाग ले पाती हैं और इस प्रकार उनकी प्रबन्धन एवं नेतृत्वकारी क्षमताओं को विकसित होने का पूरा मौका मिलता है।

राष्ट्रीय डेयरी योजना : चरण—I **(National Dairy Plan : Phase-I)**

राष्ट्रीय डेयरी योजना, दुधारू पशुओं की नस्लें सुधार कर बढ़िया नस्ल के बछड़े पैदा करने तथा ऐसे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक पन्द्रह वर्षीय केन्द्रीय परियोजना है। इस परियोजना के सन् 2011–12 से 2018–19 के पहले चरण, NDP-I का शुभारम्भ सन् 2012 में आणंद (गुजरात) में नेशनल डेयरी डिवलपमेंट बोर्ड, जो इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, के मुख्यालय से किया गया।

आज भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2016–17 के 16.54 करोड़ टन की तुलना में वर्ष 2017–18 में देश में दूध उत्पादन 6.7 प्रतिशत बढ़कर 17.64 करोड़ टन हो गया। यह वृद्धि विश्व के दूध उत्पादन की औसत वृद्धि दर से कहीं अधिक है। वर्ष 2016–17 में देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन 351 ग्राम थी, जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 374 ग्राम पहुँच गई है।

निष्कर्षतः 'श्वेत क्रान्ति' आजादी के बाद के भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। इस प्रयोग का आम आदमी के जीवन स्तर पर प्रभाव का एक उदाहरण सन् 1985 में आणंद के पास एक गाँव के एक गरीब किसान द्वारा दिया गया यह वक्तव्य है—“यह गुजरात का सौभाग्य है कि उसके पास एक कुरियन है।

यदि ईश्वर भारत के प्रत्येक राज्य को एक-एक कुरियन दे दे, तो देश की समस्याएँ ही हल हो जाएंगी।”

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

वर्ष 2019 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के शीर्ष 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। सन् 1969 के बाद सन् 1980 में दोबारा 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। उस समय देश के बड़े औद्योगिक घराने इन बैंकों का संचालन करते थे। 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने के अपने फैसले को उचित ठहराते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना बेहद जरूरी है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है।



बैंक, साख (Credit) प्रदान करने के सशक्त संस्थान और बचत के संरक्षक हैं। वे जमा (Deposits) के माध्यम से समुदाय के सभी वर्गों से संसाधन जुटाते हैं और ऋण देने के माध्यम से उद्योगों और अन्य को सहायता प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग उठी थी। 1 अप्रैल, 1935 को स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) का 1 जनवरी, 1949 को राष्ट्रीयकरण इस आन्दोलन का पहला सफल कदम था। सन् 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) भी पारित हुआ। यह देखा गया कि भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग की वृद्धि बहुत धीमी और कई मामलों में काफी कम थी। वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा प्रबन्धित किए जाते थे, परिणामस्वरूप धन और आर्थिक शक्तियों की एकाग्रता कुछ लोगों के हाथ में ही थी। बैंक के निदेशक बड़े व्यावसायिक घरानों से सम्बन्धित थे। उन्होंने उन कम्पनियों को, जिनमें उनके हित थे ऋण प्रदान करके बैंकों के संसाधनों का दुरुपयोग किया। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति अत्यधिक भेदभावपूर्ण थी। उन्होंने कृषि, लघु उद्योग, निर्यात आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया। बैंक वित्त (Bank finance) का कुछ असामाजिक या अवांछनीय गतिविधियों जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, सट्टा आदि में भी दुरुपयोग किया गया। इन कमियों को दूर करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की संरचना और कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में, सन् 1967 में कांग्रेस सरकार द्वारा 'बैंकों का सामाजिक नियंत्रण' (Social Control of Banks) के रूप में वर्णित एक नई बैंकिंग नीति शुरू की गई। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है, अर्थव्यवस्था के सामाजिक रूप से वांछनीय क्षेत्रों के लिए जमा और ऋण के आवंटन में राज्य के प्रभावी मार्गदर्शन में बैंकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे बड़े पैमाने पर राष्ट्र निर्माण हेतु इच्छित क्षेत्रों में सुधार को बल मिल सके। सरकार द्वारा जब सन् 1967 में बैंकों के सामाजिक



नियंत्रण की योजना शुरू की गई, तब तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका मानना था कि अकेले सामाजिक नियंत्रण के उपाय ही प्रभावी रूप से उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को विनियमित करना था ताकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूलतम् विकास दर प्राप्त हो सके तथा इसके साथ—साथ एक ही समय में एकाधिकारवादी प्रवृत्ति एवं संसाधनों के दुरुपयोग को रोका भी जा सके। सरकार ने बैंकिंग को अधिक उद्देश्यपूर्ण, अधिक गतिशील और आम आदमी के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण रखने के लिए कई कदम उठाए।

सामाजिक नियंत्रण के अकेले उपाय वांछित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त नहीं थे। इसलिए, प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को चौदह प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये बैंक अग्रलिखित हैं—

(1) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया लि. (2) बैंक ऑफ इण्डिया लि. (3) पंजाब नेशनल बैंक लि. (4) बैंक ऑफ बड़ौदा लि. (5) यूनाइटेड कामर्शियल बैंक लि. (6) केनरा बैंक लि. (7) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लि. (8) देना बैंक लि. (9) सिंडिकेट बैंक लि. (10) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया लि. (11) इलाहाबाद बैंक लि. (12) इंडियन बैंक लि. (13) बैंक ऑफ महाराष्ट्र लि. (14) इंडियन ओवरसीज बैंक लि.।

15 अप्रैल, 1980 को सरकार ने छह और निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण किया। ये बैंक अग्रलिखित हैं—

(1) आंध्रा बैंक लि. (2) पंजाब एंड सिंध बैंक लि. (3) न्यू बैंक ऑफ इंडिया लि. (4) विजया बैंक लि. (5) कॉर्पोरेशन बैंक लि. (6) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लि.।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो तर्क दिए थे, वे इस प्रकार हैं—

1. बैंकों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण समाप्त करना।
2. कृषि कार्य, लघु उद्योगों और निर्यात आधारित व्यापार के लिये पर्याप्त मात्रा में साख या ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना।
3. बैंक प्रबन्धन को पेशेवर रूप देना।
4. उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहित करना।
5. पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ—साथ बैंक कर्मचारियों को सेवा की उचित शर्तें प्रदान करना।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारणों में कुछ इस प्रकार हैं—

राजस्व से जुड़ा मुद्दा— बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार राजस्व के रूप में बैंकों के सभी बड़े लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगी।

नागरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा— बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी, परिणामस्वरूप जनता बहुत तेजी से बड़ी राशि बैंकों में जमा करेगी।

एकाधिकार को खत्म करने का मुद्दा— भारत के सभी प्रमुख निजी बैंकों को एक बड़े व्यापारिक घराने या अन्य द्वारा या उनमें से कुछ द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता था। अतः एकाधिकार उद्यम के प्रसार को रोकने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण वांछनीय था।

उपयोग आधारित अनियमितताओं का मुद्दा— वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय संसाधनों का लाभ बड़े पैमाने पर बड़े व्यवसाय में चला गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पादन उद्देश्यों के लिए बैंक संसाधनों के विकास में एवं आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी और प्रोत्साहन को समाप्त करके मूल्य स्तरों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

साख से जुड़ा मुद्दा— निजी वाणिज्यिक बैंकों ने अपने संसाधनों के वित्तपोषण के लिए छोटे व्यापारियों और कृषकों की बजाय थोक व्यापार और मध्यम एवं बड़े उद्योग जैसे संगठित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था। बैंक ऋण उद्देश्य-उन्मुख नहीं थे, बल्कि व्यक्ति-उन्मुख या संपार्शिक-उन्मुख थे।

प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास का मुद्दा— निजी बैंकों ने राष्ट्रीय हित और प्राथमिकता क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से बैंक ऋण नहीं दिया। जरूरतमंद किसानों या छोटे स्तर के उद्योगपतियों या नए उद्यमियों को बैंक ऋण नहीं दिया गया। इस प्रकार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वांछनीय था ताकि बैंकिंग क्षेत्र देश के नियोजित आर्थिक विकास की योजनाओं के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के लाभ के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सके।

नगरीय-ग्रामीण असमानता का मुद्दा— निजी क्षेत्र के बैंकों को अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों और ज्यादातर महानगरीय शहरों तक ही सीमित थी। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार में इस असमानता को दूर किया जाएगा।

सेवा के उद्देश्य की प्राप्ति का मुद्दा— राष्ट्रीयकरण के द्वारा वाणिज्यिक बैंक समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेवा के मकसद को अपना उद्देश्य बनाएंगे।

समानता का मुद्दा— राष्ट्रीयकरण के बाद विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में वेतन में व्यापक असमानता को दूर किया जाएगा।

कर से जुड़ा मुद्दा— ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन (All India Bank Employees Association) ने माना कि राष्ट्रीयकृत बैंक कर चोरी और काले धन की घटनाओं की जाँच करेंगे।

राष्ट्रीयकरण से पहले के सभी बड़े बैंक थोड़े से सम्पन्न औद्योगिक घरानों के नियंत्रण में थे। इन बैंकों में जमा पूँजी सही अर्थ में राष्ट्रीय पूँजी थी जिसे देश के करोड़ों व्यक्तियों ने बनाकर बैंकों में जमा किया था, परन्तु इस पूँजी का लाभ मुख्य रूप से बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ही होता था। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय व्यापारिक बैंकों की साख नीति भेदभाव पर आधारित थी। राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों की साख नीति में परिवर्तन हुआ है और अब ये बैंक ग्रामीण क्षेत्र में शाखाओं की स्थापना करने के साथ-साथ कृषि कार्य के

लिये ऋण देने लगे हैं। राष्ट्रीयकरण से सरकार ने बैंकों के लिए नियम बनाए जिनके तहत एक निश्चित राशि उन्हें गरीब किसानों को बतौर कर्ज देनी ही पड़ती थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय से न केवल बैंकों की शाखाओं में भारी वृद्धि हुई है, वरन् बैंकों की जमा राशि में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है।

प्रिवीपर्स (Privypurse) की समाप्ति

आजादी के समय ब्रिटिश—भारत दो हिस्सों में था, जिनमें से एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रान्त थे तो दूसरे हिस्से में देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रान्तों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, जबकि दूसरी तरफ छोटे—बड़े आकार के कुछ राज्य थे, जिन्हें 'देशी रियासत' या 'रजवाड़ा' कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था।

राजाओं ने ब्रिटिश—राज की अधीनता या यूँ कहें कि सर्वोच्च सत्ता (Paramountcy) स्वीकार कर रखी थी और इसके अन्तर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। आजादी के तुरन्त पहले अंग्रेजी—शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश—प्रभुत्व के अन्त के साथ ही देशी रियासतें भी ब्रिटिश—अधीनता से आजाद हो जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब यह था कि सभी 565 देशी रियासतें भारत से ब्रिटिश—राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगी। ब्रिटिश—राज का नजरिया यह था कि देशी रियासतें अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं रखें और यह फैसला लेने का अधिकार रियासतें के राजाओं को दिया गया था। इससे अखण्ड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था।

सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय रियासती विभाग ने ज्यादातर रियासतों का भारत में विलय करने में सफलता हासिल कर ली थी। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी सम्पदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों लाभ अर्थात् शासक को निजी सम्पदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय किए जाएंगे कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार कितना है, राजस्व की मात्रा कितनी है और उस राज्य की क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को 'प्रिवीपर्स' (Privypurse) कहा गया। प्रिवीपर्स के तहत उनका खजाना, महल और किले उनके ही अधिकार में रह गए थे। यही नहीं, उन्हें केन्द्रीय कर और आयात शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। अर्थात् अब ये कर एकत्र नहीं कर पाते थे तथा साथ ही इन्हें कर देने की भी आवश्यकता नहीं थी। कुल मिलाकर इनकी शान—ओ—शौकत बरकरार थी।

रियासतों के विलय के समय राजा—महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना भी नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता एवं अखण्डता का लक्ष्य ही प्रमुख था। बहरहाल, ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक—आर्थिक न्याय के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते थे। पं. नेहरू ने कई बार इस व्यवस्था को लेकर अपना असन्तोष जताया था। सन् 1967 के चुनावों के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 'प्रिवीपर्स' को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को 'प्रिवीपर्स' की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। श्रीमती गांधी के सलाहकार पी.एन. हक्सर का मानना था कि जिस देश में इतनी गरीबी हो वहाँ राजाओं को मिलने वाली ये सुविधाएं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती हैं। लोगों को उनके विचार सही लगे, लगने भी थे क्योंकि जनता को कभी राजशाही मंजूर नहीं थी।

प्रिवीपर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने सन् 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे सन् 1971 के चुनावों में एक बड़ा

मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। श्रीमती गाँधी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी और फिर सारे नागरिकों के लिये समान अधिकार एवं सरकारी धन का व्यर्थ व्यय का हवाला देते हुए संविधान में 26वाँ संशोधन (1971) करके प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस विधेयक के पारित होने का कई पूर्व राजवंशों ने विरोध करते हुए अदालतों में याचिका दायर की। परन्तु अदालतों द्वारा सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार यह व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो गई।

श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बड़ी जीत थी। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत की गणना विश्व समुदाय में एक शक्तिशाली, आधुनिक, समतावादी और न्यायप्रिय राष्ट्र के रूप में होने लगी।

संविधान : सशक्तता की ओर

42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद', 'धर्मनिरपेक्षता' एवं 'और अखण्डता' जैसे शब्दों को जोड़ा गया, साथ ही नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भी संविधान के भाग 4 के में स्थान दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977ई. में सत्ता में आने के बाद संविधान में 43वें संविधान संशोधन (अप्रैल, 1978) द्वारा न्यायपालिका को अधिक सशक्त और स्वतंत्र बनाया। साथ ही 44वें संविधान संशोधन (1978ई.) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसका उद्देश्य समाज को अधिक समतावादी और न्यायसंगत बनाना था।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न—

1. इसरो (ISRO) की स्थापना कब हुई?

(अ) 1962 ई. में	(ब) 1969 ई. में
(स) 1972 ई. में	(द) 1975 ई. में
2. भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह 'आर्यभट्ट' का प्रक्षेपण कब किया गया?

(अ) 1969 ई. में	(ब) 1974 ई. में
(स) 1975 ई. में	(द) 1981 ई. में
3. बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया?

(अ) 1970 ई. में	(ब) 1971 ई. में
(स) 1972 ई. में	(द) 1973 ई. में
4. शान्ति, मैत्री और सहयोग हेतु भारत—सोवियत सन्धि पर हस्ताक्षर कब किए गए?

(अ) 9 जून, 1971	(ब) 9 अगस्त, 1971
(स) 9 अक्टूबर, 1971	(द) 9 दिसम्बर, 1971
5. भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है?

(अ) डॉ. होमी जहाँगीर भाभा	(ब) होमी एन. सेठना
(स) डॉ. राजा रमन्ना	(द) विक्रम साराभाई

6. भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया?

(अ) 19 अप्रैल, 1974	(ब) 18 मई, 1974
(स) 19 अप्रैल, 1975	(द) 18 मई, 1975
7. PL-480 किस देश में बना कानून है?

(अ) फ्रांस	(ब) सोवियत संघ
(स) अमेरिका	(द) ब्रिटेन
8. भारत में 'हरित क्रान्ति' का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है?

(अ) एम.एस. स्वामीनाथन	(ब) डी.एस. कोठारी
(स) जे.सी. बोस	(द) बीरबल साहनी
9. हरित क्रान्ति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी?

(अ) बाजरा	(ब) गेहूँ
(स) मक्का	(द) चावल
10. आणंद (गुजरात) में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई?

(अ) 1951 ई. में	(ब) 1961 ई. में
(स) 1965 ई. में	(द) 1973 ई. में
11. "मिल्कमैन ऑफ इण्डिया" (Milkman of India) के नाम से कौन विख्यात हैं?

(अ) डॉ. वर्गीज कुरियन	(ब) त्रिभुवनदास के. पटेल
(स) डॉ. अमृता पटेल	(द) कुरियन जोसेफ
12. वर्ष 2017–18 में भारत में दूध की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन कितनी रही?

(अ) 351 ग्राम	(ब) 363 ग्राम
(स) 374 ग्राम	(द) 382 ग्राम
13. 1 जनवरी, 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया?

(अ) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	(ब) पंजाब नेशनल बैंक
(स) इंडियन ओवरसीज बैंक	(द) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
14. 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?

(अ) 15 अप्रैल, 1969 को	(ब) 19 जुलाई, 1969 को
(स) 19 जुलाई, 1979 को	(द) 15 अप्रैल, 1980 को
15. प्रिवी पर्स (Privy Purse) को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सदा के लिए समाप्त कर दिया?

(अ) 24वाँ संविधान संशोधन	(ब) 26वाँ संविधान संशोधन
(स) 42वाँ संविधान संशोधन	(द) 44वाँ संविधान संशोधन

अतिलघूतरात्मक प्रश्न—

1. बांगलादेश के निर्माण के समय पूर्वी बंगाल से शरणार्थी भारत क्यों आए?
2. शिमला समझौता कब और किन—किन देशों के बीच हुआ?
3. 'स्माइलिंग बुद्धा' के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. बार्क (BARC) क्या है?
5. PL-480 के बारे में आप क्या जानते हैं?
6. गहन कृषि जिला कार्यक्रम क्या था?
7. 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्नों की कीमतें अचानक क्यों बढ़ने लगी?
8. 'अमूल' क्या है?
9. 'सेवा' (SEWA) का शब्द विस्तार लिखिए।
10. 'श्वेत क्रान्ति' से क्या तात्पर्य है?
11. 'बैंकों का सामाजिक नियंत्रण' अवधारणा से क्या अभिप्राय है?
12. प्रिवी पर्स (Privy Purse) को किस प्रधानमंत्री के समय बंद किया गया?

लघूतरात्मक प्रश्न—

1. शेख मुजीबुर रहमान के बारे में आप क्या जानते हैं?
2. 16 दिसम्बर, 1971 को भारतीय सेनाओं के समक्ष पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण पर टिप्पणी कीजिए।
3. भारत में 'हरित क्रान्ति' पर टिप्पणी कीजिए।
4. 'ऑपरेशन फ्लड' के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए।
5. राष्ट्रीय डेयरी योजना के बारे में संक्षेप में टिप्पणी कीजिए।
6. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने क्या तर्क दिए?
7. प्रिवी पर्स (Privy Purse) क्या था? इसकी समाप्ति कैसे हुई?

निबंधात्मक प्रश्न—

1. "बांगलादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
2. "श्वेत क्रान्ति आजादी के बाद के भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है।" कैसे? स्पष्ट कीजिए।

अध्याय—2

भारत के विकास की यात्रा (सन् 1985 से 2004 तक)

राजीव गांधी

राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को बम्बई में हुआ था। वे सिर्फ तीन वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके नाना जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने और एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपने प्राणों की आहुती दी थी। लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे भारत की प्रधानमंत्री बनी थीं। अपनी माता के आकस्मिक निधन के बाद राजीव गांधी सन् 1984 से सन् 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।

स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे और जैसा कि वे बार-बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाये रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है— इककीसवीं सदी के भारत का निर्माण।

दुर्भाग्यवश 21 मई, 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया। श्रीपेरुम्बदूर (तमिलनाडु) में एक आतंकी धमाके में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। प्रतिवर्ष राजीव गांधी के जन्मदिन, 20 अगस्त को देश में 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसे 'समरसता दिवस' तथा 'राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस' के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के लिये अच्छी भावना रखना था। भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिये यह दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी के शब्दों में "भारत एक पुराना देश, पर एक युवा राष्ट्र है। युवा होने के नाते हमारे अंदर अधीरता है। मैं जवान हूँ और मेरा एक सपना है। मैं भारत



को शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मानवता की सेवा में दूसरे देशों की तुलना में सबसे अग्रणी देखना चाहता हूँ।' राजीव गांधी ने जहाँ लाइसेंस राज के प्रभाव को कम किया, वहीं आर्थिक नीतियों में सुधार किया तथा अमेरिका और सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। राजीव गांधी को भारत में संचार क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके प्रधानमंत्रीकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनमें से कठिपय यहाँ उल्लिखित हैं:-

चुनाव सुधार— राजनीतिक शुचिता

दल—बदल विरोधी कानून—

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, लेकिन देश की आजादी के कुछ वर्षों बाद ही पार्टियों को मिलने वाले जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। सांसदों एवं विधायकों के दल—बदल से सरकारें बनने एवं गिरने लगीं। इससे राजनीतिक संस्थाओं में अस्थिरता पैदा हो गई। सांसदों एवं विधायकों में दल—बदल की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई। अतः इस स्थिति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

राजीव गांधी सरकार ने राजनीतिक जीवन में शुचिता स्थापित करने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों एवं विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल—बदल के आधार पर निर्वहता के बारे में प्रावधान कर संविधान में एक नई अनुसूची (10वीं अनुसूची) जोड़ी। इस अधिनियम को दल—बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अधिनियम के तहत किसी सदन के सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदस्य को सदन की सदस्यता के निर्वहक (अयोग्य) माना जाएगा, यदि—

- वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- वह उस सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मत देता है।
- वह अपनी पार्टी के निर्देशों के बावजूद मतदान से अनुपस्थित रहता है।
- कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है।
- छ: महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

इस दल—बदल विरोधी कानून की रूपरेखा राजनीतिक दल—बदल के दुष्प्रभाव, जो कि पद के लालच या भौतिक पदार्थों के प्रलोभन या इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित होता है, पर रोक लगाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असैद्धान्तिक और अनैतिक दल—बदल पर रोक लगाना है। राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला साहसिक कदम बताया था। उनके विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता को परखना हो, तो 52वें संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एकमत से स्वीकृत होना ही इसका प्रमाण है।

यह दल—बदल विरोधी कानून सांसदों एवं विधायकों की दल—बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्थाओं में उच्च स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कानून से राजनीतिक स्तर पर शुचिता स्थापित करने में मदद मिली है तथा इसे विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान प्राप्त हुई है।

मताधिकार की आयु सीमा में कमी (युवा शक्ति की ताकत)–

देश में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष थी मगर युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। सन् 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई जिससे करोड़ों युवा अपनी पसंद के सांसद, विधायक से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करता जा रहा है तथा इसमें गुणात्मकता एवं मात्रात्मकता दोनों बढ़ती जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 1986

भारत सरकार ने जनवरी, 1985 में यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जायेगी। शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई तथा जो भी सुझाव एवं विचार प्राप्त हुए, उन पर काफी चिंतन—मनन हुआ और अंततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 की घोषणा हुई। इस नीति में शिक्षा के अर्थ और उसकी भूमिका को प्रतिपादित किया गया।

शिक्षा का अर्थ और उसकी भूमिका—

हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में “सबके लिए शिक्षा” हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना पनपती है, वैज्ञानिक तरीके से अमल की सम्भावना बढ़ती है और समझ एवं चिंतन में स्वतंत्रता आती है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को सम्बल मिलता है, जो राष्ट्रीय आत्म—निर्भरता की आधारशिला है। कुल मिलाकर, यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है।

आज भारत राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परम्परागत मूल्यों के ह्लास का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ—साथ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा नैतिक मूल्यों के क्षरण की दशायें उत्पन्न हो रही हैं। देहात में रोजमर्रा की सहूलियतों के अभाव में पढ़े—लिखे युवक गाँवों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए गाँव और शहर के फर्क को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक साधन उपलब्ध कराने की बड़ी जरूरत है। आने वाले दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर पर और अंकुश लगाना होगा। इस समस्या को हल करने में जो सबसे अहम उपाय कारगर साबित हो सकता है, वह है महिलाओं का साक्षर और शिक्षित होना। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे नए विचारों को सतत् सृजनशीलता के साथ आत्मसात कर सकें। उन पीढ़ियों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रतिष्ठित करनी होगी। यह सब अच्छी शिक्षा से ही सम्भव है। अतएव इन नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं का तकाजा है कि सरकार एक नई शिक्षा नीति तैयार करे और उसको क्रियान्वित करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूलमंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को, बिना किसी जात—पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के, लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाईचारे के लिये सदा प्रयत्न किया है और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के आदर्शों को संजोया है। इस परम्परा के अनुसार शिक्षा—व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो

तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बढ़े। नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा को रोजगारोन्मुख भी बनाना था। आजादी के बाद इस ओर कई मजबूत कदम उठाए गए। राज्यों ने अपने यहाँ सरकारी, गैर सरकारी और स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाएं खोलीं। राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों के बच्चों की अध्ययन सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1961 में सैनिक विद्यालय और वर्ष 1962 में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की श्रृंखला प्रारम्भ की।

वर्ष 1976 का 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा शिक्षा को समर्वर्ती सूची में शामिल किया गया, एक दूरगामी कदम था। उसमें यह निहित है कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इस महत्त्वपूर्ण मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच दायित्व की नई सहभागिता स्थापित हो।

शिक्षा नीति (1986 – 1996)

नागरिकों की योग्यता को राष्ट्रीय विकास में भरपूर उपयोगी बनाया जा सके, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए इसका नाम भी परिवर्तित किया। 25 सितम्बर, 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नया नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) रखा।

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जायेगा, जिससे वे गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। स्कूल भवनों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के साधनों का उपयोग किया जाएगा।

अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएँ खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़ी तादाद में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। आंगनवाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी-बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। पढ़े-लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और आयाम को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया।

शिक्षा का पुनर्गठन—

शिशुओं की देखभाल और प्रारम्भिक शिक्षा— बच्चों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाये, विशेषकर ऐसे तबकों पर, जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे जहाँ भी सम्भव हो, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केन्द्र पूरी तरह 'बाल-केन्द्रित' होंगे। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा।

बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण— प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल-केन्द्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। प्राथमिकता स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में अनुर्तीण न करने की प्रथा जारी रखी जाएगी। बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दण्ड को सर्वथा हटा दिया जाएगा।

विद्यालय में सुविधाएँ— प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और

अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका सांकेतिक नाम “ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड” होगा।

अनौपचारिक शिक्षा— ऐसे बच्चे, जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं और वे लड़कियाँ जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की समस्या को सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा—

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है। अच्छे शिक्षाक्रम द्वारा बच्चों में चेतन रूप से कर्मशीलता के और करुणाशील सामाजिक संस्कृति के संस्कार डाले जाएंगे।

शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है। इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी। आजकल कुशल कर्मचारियों की माँग और आपूर्ति में जो असंतुलन है वह समाप्त होगा और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा, जो इस समय बिना किसी विशेष रूचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए जाते हैं। नव साक्षर लोगों, प्राथमिक शिक्षा पूरी किए हुए युवाओं, स्कूल छोड़कर जाने वालों और रोजगार में या आंशिक रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के लिये भी अनौपचारिक लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बात के लिये कदम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थियों में से अधिकतर को या तो नौकरी मिले या वे अपना रोजगार स्वयं कर सकें।

उच्च शिक्षा—

उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं पर विचार कर सकें। राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन और उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने हेतु शिक्षा परिषदें बनाई जाएंगी। शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किये जाएंगे। दृश्य—श्रव्य साधनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षाक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास पर और अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिये अधिक सहायता दी जायेगी और उसकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जाएंगे।

तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा—

तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय नई शताब्दी के आरम्भ में जिस प्रकार की परिस्थिति की संभावना है, उसे ध्यान में रखना होगा। वर्तमान तथा उभरती प्रौद्योगिकी दोनों में सतत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संगणक—साक्षरता (Computer literacy) के कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यक्रम विकास आदि के लिये अनेक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस माँग को पूरा करने के लिये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा को कारगर बनाने के लिये शिक्षकों को बहुमुखी भूमिकाएँ निभानी होगी, यथा—शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा संस्था के प्रबन्ध में हाथ बंटाना। संस्थाओं और व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी जायेगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

नवाचार, शोध और विकास— सभी उच्च तकनीकी संस्थाएँ शोध कार्य में पूरी तत्परता से जुट जाएंगी। विकास के लिए शोध कार्य, मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार, नई देशज प्रौद्योगिकी का ईजाद तथा उत्पादन और उत्पादकता की जरूरतों को पूरा करने से सम्बन्धित होगा। नये आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

प्रबन्ध कार्यकलाप और परिवर्तन— व्यावसायिक संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकें। शिक्षा मानकों को बनाये रखने तथा अन्य अनेक माकूल कारणों को ध्यान में रखकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जाएगा।

खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन—

उच्च शिक्षा हेतु अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से 'खुले विश्वविद्यालय' (Open University) की प्रणाली शुरू की गई है। इन उद्देश्यों के लिये वर्ष 1985 में स्थापित 'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय' (Indira Gandhi National Open University : IGNOU) को सुदृढ़ किया जाएगा।

उपाधि को नौकरी से अलग करना—

कुछ चुने हुये क्षेत्रों में उपाधि (Degree) को नौकरी से अलग करने के लिये कदम उठाये जाएंगे। उपाधि को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जाएगी, जिनमें विश्वविद्यालय की उपाधि का महत्व ही सब कुछ ना हो, बल्कि विशेषज्ञता को तरजीह मिले।

शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना—

देश ने शिक्षा व्यवस्था में असीम विश्वास रखा है और लोगों को यह अधिकार है कि वे इस व्यवस्था से ठोस परिणामों की आशा करें। सबसे पहला काम तो इस तंत्र को सक्रिय बनाना है। शिक्षा—संस्थाओं तथा अध्यापकों को अधिक सुविधाएँ दी जाएं और साथ ही अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। विद्यार्थियों के सही आचरण पर बल दिया जाए। शिक्षा—संस्थाओं के कार्य के मूल्यांकन की पद्धति का सुजन हो।

शिक्षा की विषय—वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना—

आधुनिक तकनीकी की धून में यह नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति के मूल से ही कट जाए। अतः शिक्षा की पाठ्यचर्या (Curriculum) और प्रक्रियाओं (Processes) को सांस्कृतिक विषय—वस्तु के समावेश द्वारा अधिकाधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा। सांस्कृतिक परम्परा को कायम रखने और आगे बढ़ाने के लिए परम्परागत तरीकों से पढ़ाने वाले गुरुओं और उस्तादों की सहायता की जाएगी।

मूल्यों की शिक्षा—

शिक्षाक्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त साधन बन सके। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहु—आयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनीन और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जा सकें।

पुस्तकों और पुस्तकालय—

जन—शिक्षा के लिए कम कीमत पर पुस्तकों का उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। समाज के सभी वर्गों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक शैक्षिक संस्था में पुस्तकालय की सुविधा के लिए प्रावधान किया जाएगा।

संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी—

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थाई मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा, जो प्रासंगिक हों और सांस्कृतिक रूप से संगत हों। रेडियो और दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों को बन्द किया जाएगा, जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकते हैं। बच्चों के लिए उपयोगी फिल्मों के निर्माण के लिए सक्रिय अभियान चलाया जाएगा।

शिक्षा और पर्यावरण—

पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है। यह विषय विद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षा का अंग होना चाहिए।

गणित शिक्षण—

गणित शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरणों के साथ जुड़ सके। गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ बना सकता है।

विज्ञान शिक्षा—

विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि बच्चों में जिज्ञासा की भावना, सृजनात्मकता, वस्तुगतता, प्रश्न करने का साहस और सौंदर्यबोध जैसी योग्यताएँ और मूल्य विकसित हो सकें।

खेल और शारीरिक शिक्षा—

खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल—कूद को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा। इसके तहत खेल के मैदानों और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा।

युवा वर्ग की भूमिका—

शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से और उनके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाएंगे। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme : NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps : NCC) आदि जो योजनाएँ चल रही हैं, उनमें से किसी एक में भाग लेना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार—

एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिए। परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा, जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके। अंकों के स्थान पर “ग्रेड” का प्रयोग होगा। शिक्षा में रटाई पर जोर को हटाना होगा। शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधि में सुधार होगा। परीक्षाओं के आयोजन में भी सुधार होगा। संस्थागत मूल्यांकन की प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जाएगा।

शिक्षक—

कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए, जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नये प्रयोग कर सकें और सम्प्रेषण की उपयुक्त विधियाँ और अपने समुदाय की समस्याओं एवं क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सकें।

अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति-निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों। अध्यापकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति-निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशक सिद्धान्त बनाए जाएंगे। अध्यापकों की जवाबदेही के मानक तय किए जाएंगे। अच्छे कार्य को प्रोत्साहित और निष्क्रियता को निरुत्साहित किया जाएगा। शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी।

अध्यापकों की शिक्षा—

अध्यापकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके सेवापूर्व एवं सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (District Institute for Education and Training : DIET) स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। माध्यमिक अध्यापक-प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा, ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में कार्य कर सकें।

शिक्षा का प्रबन्ध—

शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस सम्बन्ध में लोक-भागीदारी को प्रधानता देना, शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना, शिक्षा प्रबन्ध में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना और प्रदत्त उद्देश्यों के सम्बन्ध में जवाबदेही के सिद्धान्त की स्थापना करना आदि सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' (Central Advisory Board of Education : CABE) शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वयन सम्बन्धी देखरेख में निर्णयक भूमिका अदा करेगा। भारतीय शिक्षा सेवा को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन का प्रयास किया जाएगा। शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और संस्थाध्यक्षों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राज्य स्तर पर राज्य सरकार 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की तरह के 'राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड' स्थापित करेंगी। जिला स्तर पर जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी।

संसाधन—

जिस हद तक सम्भव होगा, इन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे— चंदा इकट्ठा करना, इमारतों का रख-रखाव तथा रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना।

शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के लिये पूँजी लगाने का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र माना जाएगा। शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।

समीक्षा—

नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्षों में अवश्य ही की जाएगी।

भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना सम्भव नहीं। फिर भी, इसमें किसी तरह का शक नहीं कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे।

जवाहर नवोदय विद्यालय

जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना सन् 1985 में राजीव गांधी द्वारा की गई। यह विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णत आवासीय, सहशिक्षा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बालक—बालिकाओं को शिक्षा के लिए उत्तम परिवेश उपलब्ध कराना है।

सूचना एवं संचार क्रान्ति

जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला आया है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम हासिल हो गये हैं जो हमें जीवन में सभी सुविधाएँ एवं आराम प्रदान करते हैं। संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जिनके चलते हमने आज अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधाएँ प्राप्त कर ली हैं जो हमें आधुनिकता के दौर से काफी ऊपर लाकर खड़ा करती हैं। बिजली, सड़क, पानी आदि की तरह दूरसंचार सुविधा एक आधारभूत सुविधा के रूप में विकसित हुई है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी, लम्बी दूरी का संचार बहुत आसान हुआ है।



दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहतम तंत्र है। आधुनिक संचार के साधनों में प्रमुखतः टेलिफोन, इन्टरनेट एवं मोबाइल सेवाएँ हैं।

भारत में सूचना क्रान्ति का श्रेय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। उड़ीसा में जन्मे सैम पित्रोदा भौतिकी में स्नातकोत्तर के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए शिकागो (अमेरिका) के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Illinois Institute of Technology) चले गए। साठ और सत्तर के दशक में पित्रोदा दूरसंचार और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तकनीक विकसित करने की दिशा में काम करते रहे। अस्सी के दशक में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पित्रोदा को भारत आकर अपनी सेवाएँ देने का न्यौता दिया। भारत लौटने के पश्चात् उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में, स्वायत्त रूप से अनुसंधान और विकास के लिए 'सी-डॉट' (C-DOT) अर्थात् 'टेलिमेटिक्स' के विकास के लिए केन्द्र' (Center for Development of Telematics) की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार की हैसियत से दूरसंचार नीति को नई दिशा देने का काम किया। भारत में सूचना क्रान्ति के अग्रदूत सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) माने जाते हैं।

विगत वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलिफोन नेटवर्क वाला देश बन गया है। वर्ष 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, जिसने मांग पर टेलिफोन की उपलब्धता एवं उपयुक्त दरों पर उत्कृष्ट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की, घोषित की गई तथा जिसके तहत 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India : TRAI) की स्थापना की गई। नई दूरसंचार नीति की घोषणा वर्ष 1999 में की गई थी, जिसने देश में दूरसंचार क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय मूलभूत ढाँचे के विकास को सम्भव बनाने और इस क्षेत्र के विकास हेतु एक खाका तैयार करने की जरूरत पर बल दिया। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का प्राथमिक उद्देश्य देशभर में कम कीमतों पर भरोसेमंद और सुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। यह नीति समानता और सर्वांगीणता को बढ़ाने के साथ-साथ इन सेवाओं की, राष्ट्रीय विकास में बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है।

'सी-डॉट' (C-DOT) भारत सरकार का दूरसंचार तकनीक विकास केन्द्र है, जिसकी स्थापना अगस्त, 1984 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यधिक तकनीकों को विकसित करने का पूरा अधिकार दिया गया था। महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (Mahanagar Telephone Nigam Limited : MTNL) की स्थापना 1986 में भारत के मुख्य मेट्रो शहरों, दिल्ली और मुम्बई में उच्चस्तरीय दूरसंचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited : BSNL) की स्थापना 2000 ई. में वायरलैस, सीडीएमए वायरलैस, जीएसएम वायरलैस, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, वीसैट आदि सेवाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को, एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएँ लेते हुए, अपना वर्तमान नम्बर रखने की सुविधा मिलती है। स्पेक्ट्रम प्रबन्धन ऐसी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं का समावेश है जो रेडियो संचार सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है। इसीलिए स्पेक्ट्रम प्रबन्धन में प्रभावी और सावधानीपूर्वक तरीके से तथा राष्ट्रीय हितों के साथ बिना कोई समझौता किए स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचे। आधुनिक तकनीकों, 3जी और 4जी नेटवर्क की बढ़ती लोकप्रियता तथा ब्रॉडबैंड व वायरलैस सेवाओं के मद्देनजर सक्षम दूरसंचार उपकरणों की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इस मांग के मद्देनजर सरकार और नीति-निर्माताओं का पूरा ध्यान अब घरेलू उत्पादन उद्योग को विकसित करने पर है।

टेलिविजन एक दूरसंचार माध्यम है जिसका उपयोग ध्वनि के साथ चलती हुई छवियों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। समाचार, मनोरंजन एवं विज्ञापन के लिए टेलिविजन एक व्यापक माध्यम है। सेटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट-टू-होम (Direct-to-Home : DTH) टेलिविजन, एक नई तकनीक है, जो हमारे टी.वी. देखने के दंग में परिवर्तन ले आई है। इस सेटेलाइट आधारित तकनीक का अभिप्राय उस डिजिटल रूप से तेज एवं क्रिस्टल रहित टी.वी. से है जिसे हमारे घरों में सीधे भेजा जाता है तथा जिसमें कार्यक्रमों का चयन करने एवं उसे चलाने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प होते हैं। डिश टी.वी. (Dish TV) भारत की प्रथम व्यावसायिक टी.टी.एच. सेवा थी।

संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है, जिसका अविष्कार अलेकजेंडर ग्राहम बेल (Alexander Graham Bell) ने किया। इसकी सहायता से अलग-अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात करते हुए सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं में एस.टी.डी. (Subscriber Trunk Dialling) एवं आई.एस.डी. (International Subscriber Dialling) सेवाओं के आ जाने से देश एवं विदेश में सीधे ही नम्बर डायल कर व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। एस.टी.डी. एवं आई.एस.डी. सेवाओं में शहरों एवं देशों

के अंकीय कोड निर्धारित हैं, जिन्हें टेलीफोन नम्बर के पहले डायल कर सीधे ही बिना किसी इंतजार के बात की जा सकती है।

संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाओं के अविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रान्ति आ गई है। मोबाइल सेवाओं से मोबाइल फोन सेवा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधे ही बात की जा सकती है। मोबाइल सेवाओं द्वारा तीव्र गति की इन्टरनेट सेवाएँ 3जी (3rd Generation) एवं 4जी (4th Generation) उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा विडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन ने भी संचार सेवाओं को आसान एवं तीव्र बना दिया है तथा दिन-प्रतिदिन इन सेवाओं में नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है।

इंटरनेट (Internet) का अर्थ है 'परस्पर जुड़ा हुआ जाल-तंत्र' (Interconnected Network), जिसमें सूचनाओं का अन्तर्राष्ट्रीय महाजाल कम्प्यूटरों के माध्यम से एक-दूसरे को उपलब्ध होते हैं। इसे 'सूचना राजपथ' भी कहा जाता है।

इंटरनेट कम्प्यूटरों का वह मुक्त संयोजन है जिसमें कम्प्यूटर का उपयोगकर्ता, स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाता से टेलीफोन द्वारा जुड़ जाता है। इसके बाद इंटरनेट ब्राउजर सॉफ्टवेयर की सहायता से लोग अपने इच्छित सर्वर का पता कम्प्यूटर में भरते हैं। सर्वर में मौजूद सूचनाएँ कम्प्यूटर के स्क्रीन पर आ जाती हैं। 1970 के दशक में 'ई-मेल' (Electronic mail : e-mail) की शुरूआत ने संचार जगत में क्रान्ति की शुरूआत की। ई-मेल का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन (Raymond Samuel Tomlinson) ने किया। ई-मेल की सहायता से कोई भी सूचना कुछ ही सैकण्ड में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। ई-मेल के द्वारा संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। इंटरनेट की सहायता से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (Video Conferencing : VC) भी की जाती है, जो कम खर्चीली है तथा समय की बचत करती है। इसके द्वारा देश-विदेश के अलग-अलग जगह बैठे कई व्यक्ति श्रव्य-दृश्य के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से चित्र एवं चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी एवं शीघ्रता से भेजे एवं देखे जा सकते हैं।

संचार तकनीक समस्त विश्व के लोगों को एक-दूसरे से सम्पर्क करने, सूचनाओं तक तीव्र एवं शीघ्र पहुँच बनाने और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के साथ वार्तालाप एवं सम्बन्ध स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। सूचना एवं संचार तकनीक मानवीय जीवन के समस्त पहलुओं पर स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव छोड़ती है। वर्तमान समय में संचार का मुख्य रूप दूरसंचार है। दूरसंचार से तात्पर्य विद्युत चुम्बकीय माध्यमों द्वारा सूचना के सम्प्रेषण से है।

लोक सेवा प्रदायन की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 1990 के दशक में केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार समिति ने राज्य और नागरिकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में 'ई-गवर्नेंस' (Electronic governance : e-governance) के उपयोग की सिफारिश की। कालान्तर में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा संकल्पित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न लोक सेवाओं की डिलीवरी में गति, विश्वसनीयता, सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाना है।

सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक कुशल बनाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा शुरू 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' (Digital India Programme) के माध्यम से देश भर में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा। आशा की जाती है कि डिजिटल

इंडिया कार्यक्रम लागू हो जाने से लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों की भाग—दौड़, अधिकारियों से सम्पर्क करने आदि में आने वाली मुश्किलें दूर होंगी। सूचनाओं का आदान—प्रदान सुगम होगा। भारत सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता आएगी। प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी मिटेगी। स्कूली बच्चों को अकारण पुस्तकों के बोझ तले नहीं दबना पड़ेगा। वे मोबाइल, लैपटॉप और टैब आदि के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा प्राप्त करना, जीवनभर अच्छी शिक्षा देने का प्रभावी साधन है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में ई—लर्निंग को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। इनके परिणामस्वरूप डिजिटल सामग्री को पहुँचाने और प्रबन्धन के लिए सस्ती तकनीकों और साधनों का विकास हुआ है। केन्द्र सरकार डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत लोगों को रोजमरा की सुविधाएँ देना चाहती है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य अत्यंत व्यापक हैं। यदि यह कार्यक्रम सफल हो गया तो निःसंदेह विकासशील भारत विकसित देशों के अधिक निकट पहुँच जाएगा।

विश्वनाथ प्रताप सिंह

सन् 1989 के आम चुनावों के बाद राष्ट्रीय मोर्चा के नेता और पूर्व काँग्रेसी विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के आठवें प्रधानमन्त्री बने। अपने 11 माह के अल्पकालिक कार्यकाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का फैसला लिया।

मंडल आयोग की कहानी

आजादी के समय ज्यादातर जायदाद जर्मींदारों के पास थी और ज्यादातर जर्मींदार ऊँची जाति से थे। दलित समुदाय के लोग पिछड़ रहे थे। पहले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी, 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसने लगभग दो साल के बाद 30 मार्च, 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो प्रभावहीन रही।

मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार ने 20 दिसंबर, 1978 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की। जिसे मंडल आयोग के नाम से पुकारा गया। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक कर्सौटियों पर तमाम जातियों को परखा। आयोग ने मालूम किया कि देश में कुल 3,743 पिछड़ी जातियां हैं। इस आयोग ने 12 दिसंबर, 1980 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया किन्तु तब तक मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो चुका था।

मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश

मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की गई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश थी।

जर्मींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया जाये क्योंकि पिछड़े वर्गों का सबसे बड़ा दुश्मन जर्मींदारी प्रथा थी।

सरकार द्वारा अनुबंधित जमीन को न केवल अनुसूचित जाति—जनजाति (SC&ST) को दिया जाये बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी इसमें शामिल किया जाये।

केंद्र और राज्य सरकारों में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अलग मंत्रालय / विभाग बनाये जाये।

केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गों के छात्र—छात्राओं के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू किया जाये।

OBC की आबादी वाले क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा केंद्र तथा पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा दी जाये।

जब वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को कुछ बदलाव के साथ लागू किया, जिसका जमकर विरोध भी हुआ। मंडल आयोग की अधिसूचना 13 अगस्त, 1990 को जारी हुई। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्जवल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसी याचिका के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी।

पामुलापति वेंकट नरसिंहा राव

नरसिंहा राव भारत के नौवे प्रधानमंत्री (1991–1996) थे। इनको भारत में कई आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके नेतृत्व में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलेपन की शुरुआत हुई। उन्होंने तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण और उदारीकरण के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की। इसी कारण उन्हें आर्थिक सुधारों का पिता माना जाता है। उन्होंने न केवल 1991 की आर्थिक मंदी से भारत को उबारा बल्कि लाइसेंस राज को पूरी तरह से समाप्त किया, विदेशी निवेश के लिए द्वार खोले और भारत के परमाणु कार्यक्रम को गति प्रदान की। उनके आर्थिक सुधारों की नीति को बाद वाली सरकारों ने भी जारी रखा।



नरसिंहा राव के साथ मनमोहन सिंह

इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए। मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को गति मिली जिसके परिणामस्वरूप सन् 1998 में वाजपेयी सरकार परमाणु परीक्षण करने में सफल रही। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखते हुए देश की सैन्य ताकत में वृद्धि की और पंजाब में आतंकवाद का सफाया भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं का सामना प्रभावशाली तरीके से किया। विदेश नीति से संबंधित विस्तृत जानकारी विदेश नीति के अध्याय में दी जायेगी।

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

उदारीकरण की संकल्पना की शुरुआत तो 1980 के दशक में राजीव गाँधी के शासनकाल में ही हो गयी थी। उस समय बहुत से उद्योग-धन्धों तथा व्यापार पर प्रतिबन्ध समाप्त होने शुरू हो गये थे। मगर वास्तव में उदारीकरण की असली शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है। उन्होंने न केवल 1991 की

आर्थिक मंदी से भारत को उबारा बल्कि लाइसेंस राज को पूरी तरह से समाप्त किया। विदेशी निवेश के लिए द्वार खोले और भारत के परमाणु कार्यक्रमों को गति भी प्रदान की। इसमें भारत के आर्थिक ढांचे में सुधार हेतु कई सराहनीय कदम उठाये गये।

उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने के प्रयास किया जाते हैं जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबन्धों को कम करना जिससे व्यवसायी तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। उदारीकरण ने व्यापारिक दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किया है और सभी देशों के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान किए हैं। उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का परिणाम है जो 'लाइसेंस प्रणाली' को समाप्त कर देता है।

विदेशी प्रौद्योगिकी, पूँजी एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्रों में कार्य कर अपनी रुग्णता को ठीक करने का मौका दिया तथा सरकारी भागीदारी को वित्तीय संस्थानों, श्रमिकों एवं जनता तक विस्तृत किया गया। आयातित वस्तुओं में छूट दी गई, निर्यात की वस्तुओं को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। इन निर्णयों से कुछ अच्छे परिणाम सामने आए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था से भिन्न, पूँजीवादी निजीकरण उन्मुखी, देशी और विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर विकसित हुई है।

आजादी के बाद 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति को लागू के लिए मजबूर कर दिया था। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य रिस्थरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। रिस्थरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया सके। संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया था, जिससे कारण सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू किया गया।

उदारीकरण ने प्रत्येक सेक्टर में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है चाहे वह कृषि, उद्योग और सेवाएँ हो या फिर दवा उद्योग या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग हो। इन सभी सेक्टरों में सुधार ने अधिकाधिक रोजगार के अवसर दिए हैं। अगर सन् 1991 के पहले और बाद की तुलना की जाए तो यह बात स्पष्ट नजर आती है कि उदारीकरण ने गरीबी में कमी की है। जहाँ सन् 2005 में 41.6 प्रतिशत जनसंख्या अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (1.25 \$) के नीचे जीवनन्यापन करती है वहीं सन् 1988 में यह आँकड़ा 59.8 प्रतिशत था।

यह कहना गलत नहीं है कि उदारीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। उनकी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की है।



1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य—

सन् 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) का शुभारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- I. भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ—साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना था।
- II. मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना।
- III. आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना।
- IV. आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ—साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना था।
- V. प्रतिबंधों को हटाकर, माल, सेवाओं, पूँजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना था।
- VI. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था। यही कारण है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है।

सन् 1991 के मध्य की शुरूआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनियम दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किये ताकि अर्थव्यवस्था की धारा को तेज किया जा सके।

नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करने के साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना था।

नई आर्थिक नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए—

(I) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण—

उदारीकरण नीति के तहत सभी वाणिज्यिक बैंक ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों को मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

(II) लघु उद्योग (एसएसआई) के लिए निवेश सीमा में वृद्धि—

लघु उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी है, जिससे ये कंपनियों अपनी मशीनरी को उन्नत बनाने के साथ अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर सकते हैं।

(III) सामान आयात करने के लिए पूँजीगत स्वतंत्रता—

भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से मशीनें और कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(IV) उद्योगों के विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता—

इस नए उदारीकृत युग में अब उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तय करती थी। कोई भी उद्योग इस सीमा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था। अब उद्योग बाजार की आवश्यकता के आधार पर स्वयं अपने उत्पादन के बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(V) प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन—

एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा (एमआरटीपी) अधिनियम—1969 के अनुसार, वो सभी कंपनियाँ जिनकी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, को एमआरटीपी कंपनियाँ कहा जाता था, इसी कारण पहले उन पर कई प्रतिबंध भी थे, लेकिन अब इन कंपनियों को निवेश निर्णय लेने के लिए सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कावेरी नदी जल विवाद

कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरि से निकलती है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी के जल पर चार राज्यों के करोड़ों लोग निर्भर हैं। इसके पानी को लेकर राज्यों के बीच सालों से विवाद चला आ रहा है। कावेरी नदी जल विवाद पर पेचिदगियों की शुरूआत सन् 1892 और सन् 1924 को हुए समझौतों की वजह से हुई जो कि मैसूर के राजपरिवार और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुए थे।



सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद केन्द्र सरकार ने सन् 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्युनल का गठन किया। ट्रिब्युनल ने सन् 2007 में इस मामले में अपना आदेश दिया था। ट्रिब्युनल ने अपने आदेश में तमिलनाडु को 419 टीएमसी फुट, कर्नाटक को 270 टीएमसी फुट, केरल को 30 टीएमसी फुट और पुदुचेरी को 7 टीएमसी फुट जल का आवंटन किया था।

सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी, 2018 के एक निर्णय के तहत तमिलनाडु हेतु 404.25 टीएमसी फुट, कर्नाटक हेतु 284.75 टीएमसी फुट, केरल हेतु 30 टीएमसी फुट और पुदुचेरी हेतु 7 टीएमसी फुट पानी के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

अटल बिहारी वाजपेयी

16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमन्त्री बने, लेकिन 13 दिनों के पश्चात ही उनकी सरकार गिर गई। उनके बाद अल्पकाल के लिए संयुक्त मोर्चे की सरकार गठित हुई, जिसमें क्रमशः एच. डी. देवगौडा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमन्त्री बने। अपने अल्प काल के समय में इंद्र कुमार गुजराल सरकार ने विदेश नीति के क्षेत्र में केवल गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका उद्देश्य पड़ौसी देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करना था। 19 मार्च 1998 को पुनः वाजपेयी प्रधानमन्त्री बने और 1999 में आयोजित आम चुनावों में विजय प्राप्त करने के बाद वे 22 मार्च 2004 तक भारत के प्रधानमन्त्री रहे। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। इस काल में भारत ने पोकरण 2 परमाणु परीक्षण के द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष अपनी पहचान बनाई, वहीं निजी क्षेत्रों और विदेशी निवेश

को प्रोत्साहित किया गया। वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की व्यापक योजनाओं को गति प्रदान की, सन् 2001 में भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारम्भ हुआ। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए सर्व शिक्षा अभियान को भी क्रियान्वित किया। इसी काल में वाजपेयी के नेतृत्व में विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के साथ रचनात्मक सम्बन्धों को स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाये गए।

ऑपरेशन शक्ति

भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान सन् 1998 में तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 11 और 13 मई, 1998 को पोकरण में तीन परमाणु परीक्षण होने से सारे विश्व में तहलका मच गया था। 'पोकरण-II (Pokhran-II) के नाम से प्रसिद्ध इस ऑपरेशन का कूटनाम 'ऑपरेशन शक्ति' था, जिसका नेतृत्व डॉ. आर. चिदम्बरम् (Dr. R. Chidambaram) ने किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नया नाम दिया "जय जवान—जय किसान—जय विज्ञान"। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य विश्व को यह बताना था कि भारत पड़ोसी देशों की सामरिक योग्यता का मुँहतोड़ जवाब देने में समर्थ है। अपनी सुरक्षा और बचाव करने के लिए वे आत्मनिर्भर हैं। भारत की परमाणु नीति में सैद्धान्तिक तौर पर यह बात स्वीकार कर ली गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिये परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन वह हथियारों का 'पहले प्रयोग नहीं' नीति पर कायम रहेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेदभावहीन परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो।



अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण स्थल पर

कारगिल युद्ध

भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल में सन् 1999 में छिड़े युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश करते हुए जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल जिले में घुस आए। भारत के लिए ये बेहद मुश्किल हालात थे, जब ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने डेरा जमा लिया था, जबकि भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से से जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। पर देश की सीमाओं की सुरक्षा का जुनून व जज्बा कुछ ऐसा था कि तमाम मुश्किलों को पार करते हुए भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तानी



कारगिल के रणबांकुरों की शौर्य गाथाएं कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। (दस्तीर सामार—BCCL)

सैनिकों को खदेड़ दिया और 26 जुलाई, 1999 को 'ऑपरेशन विजय' के तहत विजय पताका फहराई।

देश उन रणबांकुरों का हमेशा ऋणी रहेगा, जिनके शौर्य व बलिदान के कारण देश की सीमाएँ सुरक्षित हो सकी। कारगिल युद्ध के दौरान सभी सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तनिष्ठ प्रश्न—

7. ई—मेल (e-mail) का आविष्कार किसने किया?
(अ) रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन (ब) अलेकजेंडर ग्राहम बेल
(स) चार्ल्स बैबेज (द) टिमोथी जॉन बर्नर्स—ली

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' के बारे में आप क्या जानते हैं?
2. अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय हैं?
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किए गए?
4. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के क्या कर्तव्य हैं?
5. 'सूचना राजपथ' किसे कहा जाता है?
6. विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (VC) से आप क्या समझते हैं?
7. ई—गवर्नेंस (e-governance) से क्या तात्पर्य है?
8. सी—डॉट (C-DOT) के बारे में आप क्या जानते हैं?
9. पोखरण—I से क्या आशय है?
10. कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. एक राजनीतिक दल के सदस्य को किसी सदन की सदस्यता के निरर्हक (अयोग्य) किन आधारों पर माना जाता है?
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में प्रारम्भिक शिक्षा और शिशुओं की देखभाल के बारे में क्या प्रावधान हैं?
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में शिक्षा की विषय—वस्तु एवं मूल्यों की शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान हैं?
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा में सुधार सम्बन्धी सुझावों का विवेचन कीजिए।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में शिक्षक के बारे में क्या प्रावधान हैं?
6. परमाणु हथियारों के सन्दर्भ में भारत की 'पहले प्रयोग नहीं' नीति को स्पष्ट कीजिए।
7. उदारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं?
8. कावेरी नदी जल विवाद पर टिप्पणी कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 के प्रमुख प्रावधानों का सार लिखिए।
2. वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इस नीति के तहत उठाए गये कदमों की विवेचना कीजिए।

अध्याय—3

भारत के विकास की यात्रा (2004 से 2019 तक)

डॉ. मनमोहन सिंह (2004 से मई 2014)

भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने 22 मई, 2004 को शपथ ली और 22 मई, 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। डॉ. मनमोहन सिंह विश्व के जाने—माने अर्थशास्त्री हैं। सन् 1982 से 1985 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। जब पी. वी. नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तब राव ने डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर उनकी काबिलयत का भरपूर उपयोग किया। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। उन्हें न केवल सन् 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया, वरन् सन् 1993–94 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी घोषित किया गया।



मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने जहाँ आजादी के बाद की सर्वोत्तम जीड़ीपी दर प्राप्त की वहाँ भारत को दुनिया की दूसरी तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना (मनरेगा), आधार कार्ड योजना, मध्याह्न भोजन (मीड डे मील) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों से आमजन को लाभान्वित किया। इन्हीं अधिकारों और योजनाओं के फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति राजनीतिक लोकतंत्र से बढ़कर आर्थिक और कल्याणकारी लोकतंत्र की ओर ठोस रूप से अग्रसर हुई। इसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का व्यापक स्वप्न महात्मा गांधी, पंडित नेहरु और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने देखा था।

डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए प्रमुख कार्यों में से कतिपय का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है।

1. सूचना का अधिकार (लोकतंत्र में पारदर्शिता)

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005, 15 जून, 2005 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के समय अधिनियमित किया गया तथा इसके कुछ प्रावधान उसी तिथि से प्रभाव में आ गए। 12 अक्टूबर, 2005 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर यह कानून पूरे देश में



लागू हो गया है। अरुणा रॉय (Aruna Roy) ने भारत में सूचना का अधिकार आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया है। इस आंदोलन का प्रांरभ राजस्थान राज्य स्थित भीम तहसील के एक छोटे से गांव देवडूंगरी से हुआ।

सूचना का अधिकार : अर्थ—

सूचना का अधिकार (Right to Information : RTI) के तहत भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण में होने वाले कार्यों की सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग गठित करने की व्यवस्था है। सूचना के अधिकार से निष्क्रिय एवं सुस्त हुए तंत्र में नवशक्ति का संचार होगा, काम करने की प्रक्रिया में सुधार होगा, सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आयेगी तथा उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकेगा और कामकाज में होने वाली अनियमितताओं को पकड़ा जा सकेगा। एच.डी. शौरी आयोग के अनुसार सूचना की स्वतंत्रता का तात्पर्य है— “सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता”, जिसमें कागजात की प्रामाणिक प्रतियाँ लेना, लोक अधिकारी का रिकॉर्ड लेना, कम्प्यूटरों या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में रखी सामग्री— दस्तावेज प्राप्त करना, टर्मिनल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा लेना आदि अन्तर्निहित हैं। इसमें लोक अधिकारी के निर्णय, कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड आदि शामिल हैं।

सूचना का अधिकार : उपयोगिता—

जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गयी सरकारों को सुचारू संचालित एवं नियन्त्रित करने के लिए एक न्यूनतम शर्त है— जानने का अधिकार। भारत में अब यह अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित है। लोकतंत्र तथा प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में यह अधिकार अपने औचित्य एवं उपयोगिता को सिद्ध करता है। सूचना के अधिकार की उपयोगिता का परीक्षण निम्नांकित विविध आयामों से स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) लोकतंत्र का आधार स्तम्भ—

सूचना का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध एवं संरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्तम्भ माना जाता है। पारदर्शी एवं जवाबदेह लोकतंत्र की उपलब्धताओं पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता हेतु देश की जनता की जागरूकता को बनाये रखने के लिए सूचना का प्रवाह आवश्यक है।

(2) सुशासन की प्राप्ति—

सुशासन का मूल मन्त्र एक ऐसे सुशासन से है जो सहभागी, पारदर्शी एवं जवाबदेह हो। यह न केवल विधि के शासन की स्थापना करता है वरन् सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुँचाता है। सुशासन की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब किसी देश के नागरिकों को जानने का हक प्राप्त हो।

(3) भ्रष्टाचार में कमी—

सूचना के सुचारू प्रवाह से अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में कमी आती है। समय—समय पर जो आँकड़े जारी किये जाते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि भारत के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रमुख तत्व भ्रष्टाचार ही है। ट्रांसपरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा वर्ष 2018 हेतु जारी ‘भ्रष्टाचार बोध सूचकांक’ (Corruption Perception Index) में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 78वाँ है। इस सूची में सर्वोच्च स्थान पाने वाले देश में सबसे

कम भ्रष्टाचार माना जाता है। भ्रष्टाचार के दैत्य से मुक्ति हेतु सूचना का अधिकार सशक्त हथियार का कार्य कर सकता है। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए सूचना का अधिकार भय का काम करेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा।

(4) पंचायती राज को मजबूती—

देश में पंचायती राज का सूत्रपात 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1993–94 में पंचायती राज को सर्वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ। पंचायती राज की सफलता बहुत कुछ सूचना के अधिकार पर निर्भर करती है। स्थानीय स्वशासन को सूचना के अधिकार के माध्यम से ही फलित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क देकर पंचायती राज के किसी भी स्तर की संस्था में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन कर सकता है,

पत्रावली की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है। 'मनरेगा' में भी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना के अधिकार के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। सूचना के अधिकार से निःसन्देह पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन में गति आयेगी और गाँव के विकास में बदलाव आयेगा।

(5) मानवाधिकारों को संरक्षण—

मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार की स्थिति मूलभूत मानव अधिकार की है, क्योंकि इसका व्यक्ति के जीवन से सीधा सम्बन्ध रहा है। नागरिकों के अस्तित्व से यह मुद्दा परोक्ष रूप से जुड़ा है। जिन्दा रहने के लिए सूचना जानना जरूरी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम—

सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार को जनता से और जनता को सरकार से जोड़ता है।

नागरिक को अपने जीवन को प्रभावित करने वाली नीति या निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार 'सूचना का अधिकार' है। इसमें सभी स्तर की सरकारों, पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त करने वाले निजी संस्थानों तथा गैर सरकारी उपकरणों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। लोकतंत्र में प्रमुख मुद्दा है, 'लोकतांत्रिक नीतियों में सार्थक भागीदारी' और जब तक हमारे पास सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम नीतियों में सार्थक भागीदारी नहीं निभा सकेंगे। सूचना के अधिकार से सूचना की निष्क्रियता और अव्यवस्था को रोका जा सकता है।



सूचना का अधिकार 'ई-शासन' (e-Governance) की अवधारणा पर बल देता है। 'ई-शासन' सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है। 'ई-शासन' पारदर्शी शासन के सिद्धान्त पर आधारित है। अतः लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक जीवन से सम्बन्धित सूचनाएँ सहज रूप में इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। इस प्रकार सूचना के अधिकार की महत्ता स्पष्ट हो जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का क्षेत्र—

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का

अधिकार दिया गया है। सूचना प्राप्तकर्ता कौन है या उसका उद्देश्य क्या है, यह नहीं पूछा जायेगा। सूचना प्राप्त करने वाला कोई भी हो सकता है। सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

सूचना, कानून में परिभाषित लोक प्राधिकरणों से मांगी जा सकती है। लोक प्राधिकरण का दायरा व्यापक रखा गया है। सूचना किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री हो सकती है, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, दस्तावेज की माइक्रोफिल्म या प्रतिलिपि, पाण्डुलिपि, पत्रावली, परिपत्र, आदेश, प्रतिवेदन, कागजात, ई-मेल, प्रेस रिलीज, इलेक्ट्रिक सांख्यिकी सामग्री आदि शामिल हैं।

लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य—

- लोक सूचना अधिकारी सूचना आवेदक की यथासम्भव मदद करेगा।
- लोक सूचना अधिकारी असमर्थ, निःशक्तजन, नेत्रहीन, दिव्यांग आदि व्यक्तियों को आवेदन लिखने में सहायता करेगा।
- लोक सूचना अधिकार सूचना आवेदनों का यथासमय निपटारा करेगा।
- लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि आवेदक द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाही गयी है, उसी प्रारूप में सूचना उपलब्ध करवाये।

सूचना प्राप्त करने की समय सीमा—

लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करने पर आवेदन के 30 दिनों के अन्दर तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करने पर 35 दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे में देय होगी। जब सूचना तीसरे व्यक्ति से सम्बन्धित हो और पक्षकार को नोटिस देना पड़े तो समय सीमा 40 दिन होगी।

यदि माँगी गई सूचना किसी तृतीय पक्ष (आवेदक एवं सूचना प्रदाता से भिन्न) से सम्बन्धित हो और यदि यह सूचना उसकी व्यक्तिगत हो या गोपनीयता से सम्बन्धित हो, तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष को नोटिस देकर यह पूछेगा कि वह यह जानकारी प्रकट करे अथवा नहीं। तृतीय पक्ष सूचना नहीं प्रदान करने का मत व्यक्त करता हो, किन्तु लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रकट करना लोकहित में उचित मानता हो, तो वह सूचना दे सकता है।

आवेदन का तरीका—

आवेदन व्यक्तिगत रूप से लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करवाया जा सकता है या उसे डाक, फैक्स, ई-मेल आदि द्वारा भी भेजा सकता है। डाक से भेजने पर पंजीकृत डाक से भेजना होगा। व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कराने पर उसकी पावती प्राप्त होगी। पावती पर आवेदन को प्राप्त करने की तिथि, समय, स्थान और प्राप्त करने वाले के नाम का उल्लेख होना चाहिए।

अदेय सूचनाएँ—

निम्नलिखित सूचनाएँ अदेय होंगी—

- ऐसी सूचना, जिससे देश की एकता—अखण्डता प्रभावित हो।
- ऐसी सूचना, जिससे दूसरे राष्ट्र से सम्बन्ध प्रभावित हों।
- देश या राज्य की सुरक्षा, रणनीति, विज्ञान तथा आर्थिक मामलों से सम्बन्धित गोपनीय जानकारी।
- विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएँ।

- मंत्रिमण्डल से सम्बन्धित दस्तावेज।
- ऐसी सूचना, जिससे संसद या विधान मण्डल के विशेषाधिकारों का हनन होता हो।
- ऐसी सूचना, जिससे न्यायालय या ट्रिब्यूनल की अवमानना होती हो।
- ऐसी सूचना, जिससे व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो।
- ऐसी सूचना, जो किसी व्यक्ति की एकांतता में अनुचित हस्तक्षेप करे।
- ऐसी सूचना, जिससे अपराध को बढ़ावा मिले।
- ऐसी सूचना, जो अन्वेषण में बाधक हो।
- ऐसी सूचना, जो सरकार, व्यक्ति या संस्था के कॉफीराइट का उल्लंघन करती हो, नहीं दी जायेंगी।

दण्ड का प्रावधान—

यदि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में प्रार्थना—पत्र प्राप्त नहीं करता है अथवा सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक सूचना देता है, तो उस पर सूचना आयोग अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

सूचना का अधिकार : चुनौतियाँ एवं समाधान—

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 को लागू करने के बाद जिन व्यावहारिक और अन्तर्विरोधी प्रवृत्तियों की सम्भावनाओं को महसूस किया जा रहा है, उसने अनेक ऐसे मुद्दों को जन्म दिया है जिन पर व्यापक विचार किया जाना आवश्यक है। सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में अवरोधों को हटाने के विकल्पों की खोज से कानून को सशक्त बनाने की दिशा में कारगर उपाय किये जा सकते हैं।

- नागरिकों में जागरूकता एवं जानकारी का अभाव है। अतः इसके लिए वृत्तचित्र, नुक्कड़ नाटक, रेडियो कार्यक्रम, सूचना मेले, साहित्य का वितरण, विज्ञापन आदि को अपनाकर लोगों में चेतना लाई जा सकती है।
- सूचना के अधिकार कानून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू 17 श्रेणियों की सूचना बिना नागरिकों की माँग के स्वतः प्रकाशित करना है, परन्तु यह अपेक्षा औपचारिक इच्छा मात्र रह गयी है। इन श्रेणियों की सूचनाएँ प्रकाशित करने के दायित्व को सार्वजनिक संस्थाओं ने ऐच्छिक दायित्व मानकर प्रकाशन को इच्छा पर निर्भर मान लिया है, जबकि अधिनियम—4 के तहत सूचनाओं का प्रकटीकरण अनिवार्य है।
- सूचना के अधिकार को जीवन्त बनाने हेतु समाज, सरकार, संस्थाओं की क्षमताओं का निर्माण करना होगा। नागरिकों को आगे लाना होगा। सर्वहित के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि इसे शासन व्यवस्था के एक सामान्य आवश्यक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाए।

राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1975 ई.) मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद—19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को इसमें शामिल कर दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का विवरण जनता को प्रदान करने के बारे में टिप्पणी की थी। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सूचना का अधिकार हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। एक जागरूक और जानकार नागरिक सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है।

सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को कुछ कानूनी सीमाओं (अदेय सूचनाएँ) के साथ सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। जनता का यह 'जानने का अधिकार' ही सूचना का अधिकार है।

2. भोजन का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। 2005 में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा योजना आई और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी व्याख्या में कहा कि भोजन का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार है। साथ ही 2003 में इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि 'भूख से मुक्त होने का अधिकार मौलिक अधिकार है।'

भोजन का अधिकार प्रत्यक्षतः भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के तहत 'भोजन का अधिकार' सम्मान, नियोजन आदि के अधिकार में अंतर्निहित है। राज्यों को ऐसी नीति बनाने का संविधान द्वारा निर्देश है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के समुचित साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। संविधान का अनुच्छेद-47 नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य निर्धारित करता है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता और शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। 1986 की 'विकास के अधिकार संबंधी घोषणा' में भी यह स्पष्ट किया है कि विकास के लिए राज्य सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को बुनियादी संसाधन जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, रोजगार आदि के मामले में अवसर सुलभ हों। संविधान के भाग 3 एवं 4 की व्याख्या और वे अंतरराष्ट्रीय घोषणाएँ, जिन्हें भारत ने अनुमोदित किया है, में भोजन के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) द्वारा 2001 में दायर की गई जनहित याचिका का जिक्र करना आवश्यक है। इसमें भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया गया। इसमें कहा गया कि भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 21 के अंतर्गत), मगर केंद्र और राज्य सरकारें इसका उल्लंघन कर रही हैं। इस याचिका में चार



कार्रवाईयों का निवेदन किया गया है— (क) सूखा प्रभावित गाँवों में सभी को रोजगार कार्य उपलब्ध हो। (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की हकदारी को बढ़ाया जाए। (ग) सभी परिवारों को अनुदानित खाद्यान्न दिया जाए। (घ) इन सभी कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराए।

बाद में इस याचिका के विषय क्षेत्र को बड़ा किया गया तथा इसमें भोजन के अधिकार के अलावा खाद्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन, काम का अधिकार, भूख से मौत तथा पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल किए गए। दोनों पक्षों की ओर से करीब 400 हलफनामे दायर किए गए और 44 अंतरिम आदेश पारित किए गए। ये आदेश केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पालना में लिए गए। प्रतिनियुक्त आयुक्तों को कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की विस्तृत शक्तियाँ दी गईं तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिनियुक्त आयुक्तों को पूरा सहयोग दें।

अक्टूबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें कुपोषण या भूख से मौत रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। भूख से मौत पर मुख्य सचिवों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम अंतरिम आदेश में आठ योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया— सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार सहायता कार्यक्रम— दोपहर का भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। सर्वोच्च न्यायालय ने आठों लाभों को वैधानिक हकदारी में बदल दिया है। उदाहरणार्थ यदि किसी के पास अंत्योदय कार्ड है, पर उसे पूरा कोटा (35 किलो प्रतिमाह) सरकारी दर (3 रु. किलो चावल, 2 रु. किलो गेहूँ) नहीं मिलता हो तो वह अपने अधिकार के लिए कोर्ट में दावा कर सकते हैं। दोपहर का भोजन पकाकर दिया जाए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण तथा निरीक्षण का अधिकार दिया।

3. जनकल्याणकारी योजनाएँ—

सरकार ने सब्सिडी को गलत खातों में जाने से बचाने के लिए 'डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम' की शुरूआत की। लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सरकारी सहायता और लाभ पहुंचाया। गाँवों में लोगों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) व शहरी लोगों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) जैसी कल्याणकारी योजनाओं को चलाया।

4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005)


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 'दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांशी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम' कहा जाता है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2014 में मनरेगा को ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण कहा है।'

मनरेगा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण संसाधनों व सम्पत्तियों को बनाने के साथ पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को सशक्त बनाने, गावों से शहरों की ओर प्रवास को रोकने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुआ है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम—से—कम सौ दिनों का आश्वस्त मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः—

- 1 क.** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसके पश्चात् 'महात्मा गाँधी एनआरईजीएस' कहा जाएगा और स्कीम में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के प्रति किसी सन्दर्भ को 'महात्मा गाँधी नरेगा' कहा जाएगा।



- 6(1च)** स्कीम का केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों (Works) पर होगा और उसका पूर्विकता क्रम (Order of Precedence) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामसभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात्—

- (i) जल संरक्षण और जल शर्य संचय (Water Harvesting), जिसके अन्तर्गत कन्टूर खाइयाँ, कन्टूर बन्ध, गोलश्म चेक, गेबियन संरचनाएँ, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बाँध, स्टॉप बाँध और झरनों का विकास भी है;
- (ii) सूखा रोधी (Anti Drought), जिसके अन्तर्गत बनरोपण और वृक्षारोपण भी हैं;
- (iii) सिंचाई नहरें, जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं;
- (iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बन्धन और भूमि विकास का उपबन्ध :
- (v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अन्तर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है;
- (vi) भूमि विकास;
- (vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण, नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, और नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिये विप्लव जल नालियों का सन्निर्माण;
- (viii) सभी मौसमों में पहुँच को सुलभ करने के लिये ग्रामीण संयोजकता, जिसके अन्तर्गत गाँव के भीतर, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़के भी हैं;
- (ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र का निर्माण;
- (x) एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, लिकिवड बायो-मेन्योर जैसे कृषि सम्बन्धी संकर्म;
- (xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन सम्पूरक जैसे पशुधन सम्बन्धी संकर्म;
- (xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य सम्बन्धी संकर्म;

- (xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म;
 - (xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल सम्बन्धी संकर्म;
 - (xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयाँ, आँगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन जैसे ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी संकर्म;
 - (xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाये।
- 7(1ग)** पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधिव्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमान्त कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह सम्पदा पर अनुज्ञात किये जाएँगे।
- 1घ पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थातः—
- (क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा; और
 - (ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह सम्पदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेगे।
- 2 टिकाऊ आस्तियों (Durable Assets) का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिये आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा।
- 3 स्कीम के अधीन किये गए कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होंगे, अर्थातः—
- (क) प्रत्येक कार्य के लिये एक विशेष पहचान संख्या दी जाएगी;
 - (ख) सभी कार्य ऐसे कर्मकारों द्वारा निष्पादित किये जाएँगे जिनके पास जॉब कार्ड है और जिन्होंने कार्य की माँग की है;
 - (ग) 18 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम परियोजनाओं के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा (Lisence) नहीं दी जाएगी;
 - (घ) प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाये;
 - (ङ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से संख्यांकित मस्टर रोल कार्य स्थल पर रखी जाएगी और ऐसी मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और समुचित रूप से संख्यांकित नहीं है, उसे अप्राधिकृत समझा जाएगा और कार्य स्थल पर नहीं रखी जाएगी;
 - (च) कर्मकार अपनी उपस्थिति और कार्य स्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे;

- (छ) समय—समय पर भारत सरकार द्वारा यथा विहित मस्टर रोलों के विस्तृत अभिलेख रजिस्टरों में रखे जाएँगे;
- (ज) जब कार्य प्रगति पर है, कर्मकार उस कार्य में लगे हैं, सप्ताह में कम—से—कम एक बार उनके कार्य स्थल के सभी बिलों और वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन करने के लिये साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर उनमें से कम—से—कम पाँच कर्मकारों का चयन किया जाएगा;
- (झ) अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्य स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जाएगी;
- (ज) कार्य का मापमान कार्य स्थल के भारसाधक अर्हित तकनीकी कार्मिक द्वारा रखी गई मापमान पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा;
- (ट) प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्मकार के मापमान अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराए जाएँगे;
- (ठ) प्रत्येक कार्य स्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए;
- (ड) कोई व्यक्ति सभी कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर माँग किये जाने पर मस्टर रोलों के प्रति पहुँच रखने के लिये योग्य होगा; और
- (ढ) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्थापित की गई सतर्कता और मॉनीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जाँच करेगी जो भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक सम्परीक्षा के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी;
- 5** राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी।
- 7** राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से सम्बद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार सन्दर्भ (Paid) की जाएगी।
- 8 (1)** विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिये मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि 15 (विश्राम के एक घंटे सहित) नौ घंटे के लिये काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके,
- (2)** किसी वयस्क कर्मकार के कार्य दिवस, जिसके अन्तर्गत विश्राम के अन्तराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किये जाएँगे कि वे किसी दिवस में बारह घंटे से अधिक न हों,
- 8क.** किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किये गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिये आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो।
- 9** कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अन्तर्गत कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, 15 (प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर, कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- 10** कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिये आवेदन करता है, यह निदेश देने के लिये स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे।
- 11** स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 12** यथाव्यवहार्य, स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं।
- 13** प्रत्येक स्कीम में कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित रीति में पर्याप्त उपबन्ध होंगे—

(क) पूर्व सक्रिय प्रकटन :

- (i) प्रत्येक कार्य स्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से, उपस्थिति के सम्बन्ध में मस्टर रोल जानकारी का, पढ़े जाना, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य दिवस के अन्त में कर्मकारों की उपस्थिति में किया गया कार्य और सन्दर्भ मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा, मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान के दौरान पढ़ा जाएगा;
- (ii) ग्राम पंचायत और ब्लाक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के सम्प्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अन्तर्गत नियोजन के उपबन्धों से सम्बन्धित जानकारी, प्राप्त निधियाँ और व्यय अनुमोदित परियोजनाओं के शेल्फ होंगे; और
- (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सम्बन्ध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये वेबसाइट के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाये तथा निःशुल्क डाउनलोड की जाये, उपलब्ध कराई जाएगी :
- 14.** किसी स्कीम के अधीन किये जा रहे संकर्म का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिये और साथ यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्य के पूरा किये जाने के लिये सन्दर्भ मजदूरी, किये गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिये उपबन्ध किये जाएँगे।
- 15.** स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित तथ्यों और आँकड़ों तथा उपलब्धियों



मनरेगा में महिलाओं के लिए रोजगार

सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति जनता की मँग पर और ऐसी फीस के सन्दाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाये, उपलब्ध कराई जाएगी।

16. स्कीम से सम्बन्धित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे सम्बद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मँग किये जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किये जाने के पश्चात ऐसी प्रतियाँ या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
17. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का सन्दाय करने के पश्चात, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाये, निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।

मनरेगा का महत्व—

2 फरवरी, 2006 से शुरू 'नरेगा' कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2008 को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। जिस प्रकार सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, उसी प्रकार रोजगार के अधिकार का कानून 'मनरेगा' बना। इस अधिनियम के बाद चूंकि गांवों में काम मिलने लगा, जिससे गांवों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन कम हुआ है। गांवों में मजदूरी में वृद्धि का वातावरण तैयार हुआ। अब महिला श्रम का उपयोग बढ़ने से विकास में उनका योगदान बढ़ा है और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से स्वयं उनका भी सशक्तिकरण हुआ है। बैंकों में खाते खोलने व उनके मार्फत लेन-देन को बढ़ावा मिलने से एक नई चेतना का उदय हुआ अर्थात् सामाजिक परिवर्तन आया है। नव परिसम्पत्तियों के निर्माण से ग्रामीण जनता को लाभ हुआ। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का उचित निराकरण यथोचित समय पर कर लिया जाए तो इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा वरन् इसे नियोजित विकास से प्रत्यक्षतया जोड़ा भी जा सकेगा।

जब पूरे विश्व में मंदी छाई हुई थी उस समय मनरेगा कार्यक्रम के कारण भारत में अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर नहीं पड़ा। यह कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ है।

5. भारतीय विशिष्ट पहचान—आधार

इस प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना के द्वारा योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में 115 अधिकारियों और स्टाफ की कोर टीम के साथ की गई। अधिसूचना के अधीन 3 पद (महानिदेशक, उपमहानिदेशक, सहायक महानिदेशक) मुख्यालय हेतु एवं विशिष्ट पहचान आयुक्तों के 35 पद प्रत्येक राज्यों हेतु स्वीकृत किये गये हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि बंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुम्बई एवं रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायें। एक तकनीकी केन्द्र बंगलुरु में स्थापित किया गया।



आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) सभी निवासियों के लिये जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई. डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया।

ई—आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है, नामांकन निःशुल्क है।

आधार कार्ड के लाभ—

- आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है।
- आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाएँ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
- किफायती तरीके व सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य।
- सरकारी एवं निजी डाटाबेस में से डुप्लिकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा एवं ठोस प्रयास।
- एक क्रम—रहित स्वचालित तरीके से उत्पन्न संख्या, जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है।



श्रीमती सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अशोक गहलोत आधार कार्ड वितरित करते हुए

आधार कार्ड की विशेषता—

अद्वितीयता :

इसे जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डी—डुप्लीकेशन की प्रक्रिया से हासिल किया गया है। डी—डुप्लीकेशन प्रक्रिया में यह जाँचने के लिए कि क्या व्यक्ति पहले से ही डेटा बेस में है अथवा नहीं; नामांकन प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई निवासी की जनसांख्यिकीय / बॉयोमेट्रिक जानकारी को यूआईडीएआई के डेटाबेस के रिकॉर्ड के साथ तुलना की जाती है। निवासी के आधार हेतु केवल एक बार ही नामांकन की आवश्यकता है और डी—डुप्लीकेशन के बाद केवल एक आधार ही सृजन किया जाएगा। यदि निवासी एक से अधिक बार नामांकन करवाता है तो उत्तरवर्ती नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे।

पोर्टेबिलिटी (सुवाह्यता) :

आधार राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी (सुवाह्यता) प्रदान करता है क्योंकि यह कहीं भी ऑनलाईन प्रमाणीकृत किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों भारतीय एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी केंद्र आदि में प्रवास करते हैं।

रेण्डम संख्या :

आधार संख्या रेण्डम नम्बर है जिसमें किसी प्रकार की सूचना नहीं है। नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल इत्यादि जैसे विवरण को संगृहीत नहीं किया जाता है।

स्केलेबल प्रौद्योगिकी संरचना :

यूआईडी संरचना अनावृत और स्केलेबल है। निवासी के डेटा को केन्द्रीकृत रूप में संगृहीत किया जाता है और देश में कहीं से भी उसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जा सकता है। एक दिन में 10 करोड़ प्रमाणीकरण करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा का गठन किया गया है।

ओपन सोत प्रौद्योगिकियाँ :

ओपन सोर्स वास्तुकला, विशिष्ट कम्प्यूटर हार्डवेयर, विशिष्ट भंडारण, विशिष्ट ओएस, विशिष्ट डेटाबेस विक्रेता या किसी विशिष्ट विक्रेता प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार के एप्लीकेशन खुला सोत या खुली प्रौद्योगिकी का उपयोग कर निर्मित और एक विक्रेता तटस्थ ढंग से स्केलेबिलिटी को एड्रेस करने और एक ही आवेदन के भीतर विषम हार्डवेयर के सह-अस्तित्व के लिए संरचित किए जा रहे हैं।

आधार कार्ड की उपयोगिता—

भारत सरकार बड़ी संख्या में सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण करती है जो कि समाज के गरीब और सबसे कमजोर वर्गों की ओर केंद्रित होती हैं। आधार और इनके मंच सरकार के लिए उसके कल्याण तंत्र को कारगर बनाने के लिए और इस प्रकार पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।

सरकारों एवं सेवा एजेंसियों हेतु :

अपने पूरे डेटा-बेस के विपरीत केवल वे जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषज्ञताओं की डी-डुप्लीकेटिंग के पश्चात यूआईडीएआई निवासियों के लिए आधार नम्बर जारी करता है। आधार प्रमाणीकरण विभिन्न योजनाओं के तहत दोहराव के उन्नूलन में सक्षम है और इससे सरकारी खजाने में पर्याप्त बचत होने की उम्मीद है। यह सरकारों को लाभार्थियों के स्टीक डेटा प्रदान करने, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रम को सक्षम करने और सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को समन्वय और विभिन्न योजनाओं के अनुकूलन करने की अनुमति प्रदान करता है। लाभार्थियों को सत्यापित करने और लाभों के लक्षित वितरण को सुनिश्चित करने में कार्यान्वयन एजेंसियों को आधार सक्षम करता है। इन सभी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का परिणाम होता है—

1. लक्षित वितरण द्वारा लीकेज को रोकना— कल्याण कार्यक्रमों, जहाँ सेवा वितरण से पूर्व लाभार्थियों की पुष्टि करना आवश्यक है, को यूआईडीएआई की प्रमाणीकरण सेवा लाभ मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप लीकेज को रोकना और सेवाओं का वितरण लक्षित लाभार्थियों तक ही किया जाना सुनिश्चित होगा। उदाहरणस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को सबसडाइज्ड योजना और मिट्टी के तेल का विवरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों की कार्यस्थल उपस्थिति आदि इसमें शामिल हैं।

2. दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार— आधार मंच से सेवा वितरण प्रणाली के बारे में पारदर्शी और स्टीक जानकारी उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप सरकार संवितरण प्रणाली में सुधार कर सकती हैं और दुर्लभ विकास कोष को और अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक सेवा वितरण नेटवर्क में शामिल मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकती है।

निवासियों के लिए :

आधार प्रणाली भारत के सभी निवासियों को देश भर में ऑनलाईन पहचान सत्यापन का एकमात्र स्रोत प्रदान करती है। निवासियों का एक बार नामांकन हो जाने पर वे आधार नम्बर का

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपयोग कर अपनी पहचान को सत्यापित और प्रमाणित कर सकते हैं। इसके द्वारा नागरिक प्रत्येक बार सेवाओं जैसे—बैंक खाता खोलने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त करने हेतु बार-बार पहचान समर्थन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की परेशानी से बच सकते हैं। पहचान का एक पोर्टेबल सबूत, जिसे कभी भी कहीं भी ऑनलाईन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है, उपलब्ध करवा कर आधार प्रणाली ने ऐसे लाखों लोगों को, जो देश के एक भाग से दूसरे भाग में चले जाते हैं, गतिशीलता प्रदान की है।

अन्य लाभ :

आधार कार्ड के महत्व को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं जिसमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और प्रयोग नहीं कर सकता है, जबकि राशनकार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह कि गड़बड़ियाँ हुई हैं और होती रहती हैं।

- पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
- जनधन खाता खोलने के लिये आधार ज़रूरी है।
- एलपीजी की सब्सिडी पाने के लिये।
- ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए।
- परीक्षाओं में बैठने के लिये (जैसे आईआईटी जेईई के लिये)।
- बच्चों को नर्सरी कक्ष में प्रवेश दिलाने के लिये।
- डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) के लिए आधार ज़रूरी।
- प्रविडेंट फंड के लिए भी आधार ज़रूरी।
- डिजिटल लॉकर के लिए आधार ज़रूरी।
- सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है।
- छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आधार कार्ड के जरिए ही उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।
- सिम कार्ड खरीदने के लिये आधार ज़रूरी।
- आयकर रिटर्न जमा करने के लिए आधार ज़रूरी कर दिया गया है।

6. शिक्षा का अधिकार—

महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु एवं भारत के प्रसिद्ध उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने आज से लगभग सौ वर्ष पहले ही इम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में भारतीय बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की मँग की थी। इस लक्ष्य तक पहुँचने में हमें एक सदी का समय लगा है।

भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में अनुच्छेद-45 के अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए हैं। इसी

क्रम में संसद द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता—पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित किया गया।

इस संशोधन द्वारा संविधान के ‘भाग—3’ में नया अनुच्छेद 21—अ

(Article 21-A), मूल अधिकार से सम्बन्धित तथा ‘भाग—4क’ के ‘अनुच्छेद—51अ’, मूल कर्तव्य से सम्बन्धित, में वाक्यांश (Clause) - K जोड़ा गया। इस संशोधन के फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009” (Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009) अगस्त, 2009 में अधिनियमित कर दिया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से जम्मू—कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू—कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्ति के बाद अब यह कानून जम्मू—कश्मीर में भी लागू होगा।

RTE अधिनियम के शीर्षक में “निःशुल्क एवं अनिवार्य” शब्द सम्मिलित है। ‘निःशुल्क शिक्षा’ का तात्पर्य है कि किसी बच्चे, जिसको उसके माता—पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय, जो प्रारम्भिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसे रोके, अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ‘अनिवार्य शिक्षा’ उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है।

RTE अधिनियम की धारा—38 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु “राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम—2011” (Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education Rules-2011) निर्मित कर 29 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर—सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर—अनुदानित तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो अथवा अन्य किसी बोर्ड / संस्था से संबद्ध हो, में लागू होते हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में सात अध्याय, 38 अनुच्छेद एवं एक अनुसूची है।



शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009

प्रमुख प्रावधान अध्याय—I : प्रारम्भिक

I. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009” है।
- यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

II. परिभाषाएँ—

इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

“समुचित सरकार” (Appropriate Government) में—

केन्द्रीय सरकार के संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा, जिसकी कोई विधान सभा नहीं है, स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के सम्बन्ध में,

केन्द्रीय सरकार : विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न— किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के सम्बन्ध में,

राज्य सरकार : विधानसभा वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर विद्यालय के सम्बन्ध में, उस संघ राज्य—क्षेत्र की सरकार, अभिप्रेत है।

- “प्रति व्यक्ति फीस” (Capitation fee) से, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय (Donation or Contribution or Payment) अभिप्रेत है।
- “बालक” (Child) से, छ: वर्ष से चौदह वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है।
- “असुविधाग्रस्त समूह का बालक” (Child belonging to disadvantaged group) से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, असुविधाग्रस्त ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है।
- “दुर्बल वर्ग का बालक” (Child belonging to weaker section) से, ऐसे माता—पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है।
- “प्रारम्भिक शिक्षा” (Elementary education) से, पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है।
- किसी बालक के सम्बन्ध में “संरक्षक” (Guardian) से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देख—रेख और अभिरक्षा में वह बालक है और जिसमें कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक समिलित है।
- “स्थानीय प्राधिकारी” (Local authority) से, कोई नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और विद्यालय पर प्रशासनिक

नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय समिलित है।

- “**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**” (National Commission for Protection of Child Rights) से, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा-3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है।
- “**माता-पिता**” (Parent) से, किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता अथवा माता अभिप्रेत है।
- “**विद्यालय**” (School) से प्रारम्भिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है।
- “**जाँच प्रक्रिया**” (Screening procedure) से, किसी यादृच्छिक पद्धति (Random method) से भिन्न, दूसरों पर अधिमानता (Preference over another) में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है।
- किसी विद्यालय के सम्बन्ध में “**विनिर्दिष्ट प्रवर्ग**” (Specified category) से, किसी सुभिन्न लक्षण वाला, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या किसी अन्य विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई अन्य विद्यालय अभिप्रेत है।
- “**राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग**” (State Commission for Protection of Child Rights) से, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा-3 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है।



अध्याय-II

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

III. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार—

- छ: वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

IV. प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है,

V. अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार—

- जहाँ किसी विद्यालय में, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसी बालक को किसी अन्य विद्यालय में, अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए, स्थानान्तरण कराने का अधिकार होगा।

- जहाँ किसी बालक के किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है।

अध्याय—III

समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता—पिता के कर्तव्य

VI. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य—

- इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वित करने के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आसपास में ऐसे क्षेत्र या सीमाओं के भीतर जो विहित की जाएँ, जहाँ विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं हैं, एक विद्यालय स्थापित करेंगे।

VII. वित्तीय एवं अन्य दायित्वों में हिस्सा बाँटना—

- केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु, निधियाँ (Funds) उपलब्ध कराने के लिए समर्वर्ती उत्तरदायित्व (Concurrent responsibility) होगा।

केन्द्रीय सरकार—

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी।

नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता निर्माण के संबद्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

VIII. समुचित सरकार (Appropriate Government) के कर्तव्य—

समुचित सरकार—

- प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी।

IX. स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) के कर्तव्य—

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी—

- प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
- आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से रोका गया न हो।
- अपनी अधिकारिता (Jurisdiction) के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के, ऐसी रीति में, जो विहित (Prescribed) की जाए, अभिलेख (Record) रखेगा।
- अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और निगरानी (Ensure and monitor) करेगा।
- अवसंरचना (Infrastructure) जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारीवृंद (Teaching staff) और शिक्षा के उपस्कर (Learning equipment) भी हैं, उपलब्ध कराएगा।
- मानक और मानदंड (Standards and norms) के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रम (Curriculum and course) को समय से विहित

(Prescribing) करना सुनिश्चित करेगा।

- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- प्रवासी कुटुंबों (Migrant families) के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा।
- अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालय के कार्य की निगरानी (Monitor) करेगा।
- शैक्षणिक कैलेण्डर का विनिश्चय (Decide) करेगा।

X. माता—पिता और संरक्षक का कर्तव्य—

- प्रत्येक माता—पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में, प्राथमिक शिक्षा में अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य (Ward) का प्रवेश, करें या कराए।

XI. समुचित सरकार द्वारा विद्यालय—पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना—

- प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से ऊपर के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरम्भिक बाल्यकाल देखरेख (Early childhood care) और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से, समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय—पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

अध्याय—IV

विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

XII. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा—

- इस अधिनियम के प्रयोजनों लिए—
धारा 2 के खण्ड (d) के उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
- धारा 2 के खण्ड (d) के उपखण्ड (iii) और उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, पहली कक्षा में, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा एवं निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की, उसके पूरा होने तक, व्यवस्था करेगा।
- प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा।

XIII. प्रवेश के लिए किसी प्रतिव्यक्ति फीस (Capitation fee) और अनुवीक्षण प्रक्रिया (Screening procedure) का न होना—

- कोई विद्यालय या व्यक्ति, किसी बालक को प्रवेश देते समय, कोई प्रति व्यक्ति फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक, किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया (Screening procedure) के अधीन नहीं रहेगा।

XIV. प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण—

- प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक की आयु, जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर या ऐसे दस्तावेज के आधार पर, जो विहित (Prescribed) किया जाए, अवधारित (Determined) की जाएगी।

- किसी बालक को, आयु के सबूत के न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा।

XV. प्रवेश से इंकार नहीं किया जाना—

- किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की गई है, में किसी विद्यालय में प्रविष्ट किया जाएगा।

XVI. रोकने और निष्कासन का प्रतिरोध—

- किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा के पूरा किए जाने तक, निष्कासित नहीं किया जाएगा।

XVII. बालक के शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध—

- किसी बालक को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
- जो कोई इन उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, ऐसा व्यक्ति लागू सेवा नियमों के अधीन, अनुशासनिक कार्यवाही भुगतेगा।

XVIII. मान्यता प्रमाणपत्र, अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना—

- समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् स्थापित नहीं किया जाएगा या ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाण—पत्र अभिप्राप्त किए बिना, कार्य नहीं करेगा।

XIX. विद्यालय के मानदंड और मानक (Norms and standards)—

- किसी विद्यालय को, तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों और मानकों को पूरा नहीं करता है।

XX. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति—

- केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में जोड़कर या उसका लोप करके, किसी मानदण्ड या मानक को संशोधित कर सकेगी।

XXI. विद्यालय प्रबन्ध समिति (School Management Committee : SMC)—

विद्यालय, माता—पिता, संरक्षकों, शिक्षकों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा समिति का गठन होगा। समिति विद्यालय विकास योजना तैयार कर विद्यालय का सवार्गीण विकास करेंगी।

XXII. विद्यालय विकास योजना—

- प्रत्येक विद्यालय प्रबन्ध समिति, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

XXIII. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और सेवा के नियम एवं शर्तें—

- कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा, यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- शिक्षक को संदेय (Payable) वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के नियम और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

XXIV. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना—

- शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा—
विद्यालय में नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम संचालित व पूरा कराना। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना और बालकों की प्रगति को समझाना व समझाना। साथ ही शिकायतों को दूर करना।

XXV. छात्र—शिक्षक अनुपात—

- इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे, कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र—शिक्षक अनुपात, अनुसूची में विनिर्दिष्ट (Specified) किए गए अनुसार बनाए रखा जाए।

XXVI. शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना—

- नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing authority) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद, कुल स्वीकृत पद संख्या के, दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

XXVII. गैर—शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध—

- किसी शिक्षक को दशकीय जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथारिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर—शैक्षिक प्रयोजनों (Non-educational purposes) के लिए अभिनियोजित (Deployed) नहीं किया जाएगा।

XXVIII. शिक्षक द्वारा निजी दृश्यानन्दन, का निषेध (Prohibition)—

- कोई भी शिक्षक / शिक्षिका प्राइवेट दृश्यानन्दन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा।

अध्याय—V :

प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

XXIX. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया—

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया, समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा, निर्धारित (Laid down) की जाएगी।

XXX. परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र—

- प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, एक प्रमाण—पत्र दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

अध्याय—VI बालकों के अधिकारों का संरक्षण

XXXI. बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना—

- ##### **राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा—**
- अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करेगा और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

अध्युपायों (Measures) की सिफारिश करेगा।

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार सम्बन्धी परिवादों की जाँच करेगा।
- उपबन्धित आवश्यक उपाय करेगा।

XXXII. शिकायतों का निवारण (Redressal) करना—

- कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता (Jurisdiction) रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।
- शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable opportunity) प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

XXXIII. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (National Advisory Council) का गठन—

- केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अधिक नहीं, उतने सदस्य होंगे, जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा और बालक विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।
- केन्द्रीय सरकार को, अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के लिए, परामर्श देना राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों के कृत्य होंगे।

XXXIV. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन—

- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अनधिक (Not exceeding fifteen) उतने सदस्य होंगे, जो राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।
- राज्य सरकार को, अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के लिए परामर्श देना, राज्य सलाहकार परिषद् के कृत्य होंगे।

अध्याय—VII

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

XXXV. निदेश (Directions) जारी करने की शक्ति—

- केन्द्रीय सरकार, यथाशक्ति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगी।

XXXVI. अभियोजन (Prosecution) के लिए पूर्व मंजूरी—

समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित (Instituted) नहीं किया जाएगा।

XXXVII. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण (Protection)—

- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जान के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबन्ध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

XXXVIII. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति—

- समुचित सरकार, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

अनुसूची (Schedule)

अनुसूची में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों के अनुपात में शिक्षकों संख्या, विद्यालय भवन एवं उसके अन्तर्गत आने वाली सुविधाओं, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य-दिवसों, प्रति सप्ताह शिक्षण घण्टों की संख्या, अध्यापन शिक्षण उपस्कर (Teaching learning equipment), पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

समाचार पत्रों के माध्यम से अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जानकारी प्रदान करना एवं जिला स्तर पर कार्यशालों का आयोजन करना, घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से समुचित ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना तथा अनामांकित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि इस अधिनियम के अनन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 21-अ (Article 21-A) के तहत बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस कदम को एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का परिदृश्य बदलने की क्षमता रखता है। यह अधिनियम देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार दिलाता है, जिसकी क्रियान्विति सुनिश्चित कराने का दायित्व सरकार, शिक्षक एवं अभिभावक पर डाला गया है।

नरेन्द्र मोदी (2014 ई. से वर्तमान तक)

26 मई, 2014 को देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो वर्तमान में कार्यरत है।

सरकार की नीतियाँ—

योजना आयोग की समाप्ति एवं नीति आयोग का गठन—

वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने सन् 1950 में स्थापित योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की है। नीति आयोग की स्थापना केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी, 2015 को की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ-साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

स्वच्छ भारत मिशन

- 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की।

- प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा है। उन्होंने बताया कि गंदगी के कारण कई बीमारियाँ होती हैं, जिनके उपचार पर सालाना हजारों रुपये खर्च होते हैं। गाँवों में स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को सालाना अनुदान की घोषणा भी केन्द्र ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। देश के सभी क्षेत्रों में खुले में शौच की परम्परा को समाप्त करने के लिए शौचालयों का निर्माण इस मिशन की प्राथमिकता है। ठोस कचरा प्रबन्धन व्यवस्था को बेहतर करने का लक्ष्य भी इस मिशन के तहत निर्धारित है।

नोट बंदी (विमुद्रीकरण)

जाली भारतीय करेंसी नोटों के जरिए आतंकी गतिविधियों के वित्तीयन तथा हथियारों, नशीली दवाओं की अवैध तस्करी में ऐसी जाली करेंसी के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के साथ—साथ देश में व्याप्त काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने 500 रुपये एवं 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण नवम्बर, 2016 में किया तथा 8 नवम्बर, 2016 की मध्यरात्रि के पश्चात् ऐसे नोट विधिग्राह्य मुद्रा नहीं रहे।

लोगों को अपने रद्द करेंसी नोटों को निर्धारित तिथि तक उपर्युक्त बैंकों/डाकघरों से बदलने का समय दिया गया और उसके बाद एक निश्चित समयावधि में आरबीआई के निर्दिष्ट कार्यालयों से बदलवाने के दिशा—निर्देश जारी किये गये।

नोटबंदी की घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से होने वाले फ़ायदों में कालेधन से लेकर चरमपंथ और आतंकवाद पर अंकुश लगाने तक को शामिल किया।

विमुद्रीकरण के आरम्भिक समय आम जनता को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। अपनी मुद्रा बदलवाने के लिए बैंकों की लम्बी कतारों में लगना पड़ा।

जी.एस.टी. (GST) या वस्तु एवं सेवा कर

अप्रत्यक्ष करारोपण के मामले में भारत में एक नए युग की शुभारम्भ 1 जुलाई, 2017 से उस समय हुई जब वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न प्रकार के करों के स्थान पर एकल गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स लागू हो गया। इससे पूरा देश एकल कर व्यवस्था के अधीन आ गया तथा अलग—अलग राज्यों में भिन्न—भिन्न कर तथा करों की दरों का अन्तर समाप्त हो गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश में होने वाले इस सबसे बड़े कर सुधार के लिए विगत एक दशक से भी अधिक समय से प्रयास चल रहे थे तथा इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही 2011 में लोकसभा में 115वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विभिन्न कठिनाइयों के चलते यह पारित न हो सका। बाद में मोदी सरकार ने 122वें संविधान संशोधन विधेयक को 8 सितम्बर, 2016 को पारित करवाया तथा इसे 101वें संविधान संशोधन



अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। पहले सरकार इसे 1 अप्रैल, 2017 से लागू करना चाहती थी, किन्तु अन्ततः 1 जुलाई, 2017 से इस अधिनियम को लागू किया गया।

जीएसटी लागू होने से पूरा देश एक ही कर दर वाले एकल बाजार में परिवर्तित हो गया। अनेक आवश्यक वस्तुओं को कर से मुक्त श्रेणी में रखा गया है। इससे अलग—अलग वस्तुओं के बाजार मूल्य पर अलग—अलग प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश वस्तुएं पहले से सस्ती होने का अनुमान जहां लगाया गया है, वहीं कुछ वस्तुएं महंगी भी हो गईं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न—

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना?

(अ) 2002 ई. में	(ब) 2005 ई. में
(स) 2007 ई. में	(द) 2009 ई. में
2. सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 जम्मू—कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में कब लागू हुआ?

(अ) 15 जून, 2005	(ब) 2 अक्टूबर, 2005
(स) 12 अक्टूबर, 2005	(द) 14 नवम्बर, 2005
3. किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना कितनी अवधि में देनी होती है?

(अ) 12 घंटे	(ब) 24 घंटे
(स) 48 घंटे	(द) 72 घंटे
4. किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद द्वारा 'शिक्षा के अधिकार' को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया?

(अ) 52वाँ संविधान संशोधन—1985	(ब) 73वाँ संविधान संशोधन—1992
(स) 86वाँ संविधान संशोधन—2002	(द) 97वाँ संविधान संशोधन—2011
5. 'शिक्षा का अधिकार' भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया?

(अ) अनुच्छेद 19 'क'	(ब) अनुच्छेद 21 'क'
(स) अनुच्छेद 24	(द) अनुच्छेद 32

अतिलघूतरात्मक प्रश्न—

1. 'सूचना का अधिकार' से क्या अभिप्राय है?
2. सूचना आवेदक को आवेदन शुल्क कितना और किस रूप में देना होता है?
3. प्रथम अपील (First appeal) क्या है? स्पष्ट कीजिए।
4. RTE अधिनियम—2009 के तहत 'बालक' तथा 'प्रारम्भिक शिक्षा' से क्या अभिप्राय है?
5. RTE अधिनियम—2009 के तहत माता—पिता और संरक्षक के क्या कर्तव्य निर्धारित हैं?

6. RTE अधिनियम—2009 में गैर—शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने के बारे में क्या प्रावधान हैं?
7. वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
2. सूचना का अधिकार के तहत ‘अदेय सूचनाएँ’ कौनसी हैं?
3. सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में ‘अभिलेख संधारण’ का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए।
4. आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
5. RTE अधिनियम—2009 के अन्तर्गत ‘असुविधाग्रस्त समूह का बालक’ तथा ‘दुर्बल वर्ग का बालक’ को परिभाषित कीजिए।
6. RTE अधिनियम—2009 के अन्तर्गत ‘समुचित सरकार’ के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
7. विद्यालय प्रबन्ध समिति पर टिप्पणी कीजिए।
8. RTE अधिनियम—2009 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
9. स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी कीजिए।
10. क्या नोटबंदी अपने उद्देश्यों में सफल रही? टिप्पणी कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की उपयोगिता का विवेचन करते हुए इसकी क्रियान्विति की चुनौतियों एवं उनके समाधान के बारे में बताइए।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम—2005 पर लेख लिखिए।
3. RTE अधिनियम—2009 के अन्तर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का विवेचन कीजिए।

अध्याय—4

स्वतंत्र भारत – भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन

स्वतंत्रता के समय भारत को अर्थतंत्र के सन्दर्भ में अत्यन्त नाजुक परिस्थितियाँ हाथ लगी थीं। उपनिवेशवाद का भारतीय कृषि पर विधंसकारी प्रभाव पड़ा। इसने अर्थतंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। आधुनिक औद्योगिक परिवर्तनों से भारत को एकदम दूर रखा गया। अत्यधिक गरीबी, बर्बादी के कगार पर पहुँची हुई खेती एवं अन्य अनेक विकृतियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को अत्यन्त कठिन बना दिया था। ऐसे समय में एक के बाद एक कई भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पारित किए गए और गरीबी के उन्मूलन के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया।

भूमि सुधार

स्वतंत्र भारत की सरकार का पहला कदम जर्मींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। चूँकि संविधान में भूमि सुधार राज्य का विषय है, इसलिये प्रत्येक राज्य सरकार को सामंती शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कानून—बनाने की जरूरत थी। अधिकांश राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करने में चार—पाँच वर्ष लग गए, जिसके कारण जर्मींदार गलत ढंग से दस्तावेजों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गए। नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर काश्तकार बेदखल हुए और जर्मींदार के नाम की जमीन उसके परिवार के अनेक सदस्यों व फर्जी नामों से तैयार की गई। फलस्वरूप जर्मींदारी उन्मूलन में भू—स्वामी द्वारा काश्तकारों से लगान वसूल करना तो गैर—कानूनी हो गया और बिचौलियों की समाप्ति तो हो गई लेकिन भू—जोतों की स्वामित्व पद्धति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा।

पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा है। कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में कानून बनाए लेकिन सन् 1961 के जर्मींदारी उन्मूलन कानून के साथ ही भू—हदबंदी कानून सभी राज्यों में लागू किया गया। भू—हदबंदी का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग—अलग रहा। हालाँकि ये कानून व्यावहारिक दृष्टि से पूर्णतः अप्रभावी सिद्ध हुए क्योंकि भूमि का हस्तांतरण वैध और हेराफेरी दोनों तरीकों से बड़े पैमाने पर होता रहा। यह मानते हुए कि भूमि के समान वितरण में बहुत कम प्रगति हुई है, यह मुद्दा सन् 1970 में फिर उठाया गया। सन् 1972 में राज्यों के साथ विचार—विमर्श के बाद भू—हदबंदी कानून को फिर से बनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जोत के आकार को सीमित करने की व्यवस्था थी।

भूमि—सुधारों में काश्तकारी सुधारों के अलावा भू—जोतों पर सीमा—निर्धारण, चकबन्दी, सहकारी कृषि, भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि का वितरण आदि कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं, जिनको अपनाने से कृषि का उत्पादन बढ़ता है और साथ में सामाजिक न्याय का वातावरण भी तैयार होता है।

आजादी के बाद भूमि सुधारों की प्रक्रिया मूल रूप से दो चरणों में विकसित हुई है। पहला चरण

आजादी के तुरन्त बाद शुरू हुआ और वह साठ के दशक के आरम्भ तक जारी रहा। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—

- जर्मींदार, जागीरदार जैसे विचौलियों की समाप्ति।
- काश्तकारी सुधार, जिनमें काश्तकारों को जोत की सुरक्षा प्रदान की गई, भूमि—कर कम किया गया और काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए गए।
- भूमि पर हदबन्दी।
- सहकारी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम।

सुधारों के इस दौर को 'संस्थागत सुधारों का दौर' भी कहा गया है।

साठ के दशक के मध्य या अन्त में शुरू होने वाला दूसरा दौर 'हरित क्रान्ति' का दौर था, जिसे 'तकनीकी सुधारों का दौर' भी कहा गया है।

भूमि—सुधार नीति एवं उठाए गए कदम—

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने काश्तकारों, बटाईदारों एवं भूमिहीन—मजदूरों की दशा सुधारने के लिए नई भूमि—सुधार नीति अपनायी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह निश्चित किया गया कि भूमि का मालिक स्वयं किसान को ही बनाया जाना चाहिए, तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकेगा। इस योजना में अग्रांकित भूमि—सुधार कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया गया—

- मध्यस्थों को समाप्त करना।
- लगान में कमी और काश्तकारों को भू—स्वामी के अधिकार दिलाना।
- जोतों पर सीमा निश्चित करना एवं अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों को वितरण करना।
- जोतों की चकबन्दी करना।
- सहकारी कृषि का विकास करना।

जर्मींदारी प्रथा का उन्मूलन—

आजादी के एक या दो वर्षों के अन्दर ही अर्थात् सन् 1949 आते—आते कई प्रदेशों में जर्मींदारी—उन्मूलन सम्बन्धी कानून बनाए गए, लेकिन पं. जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पंत और सरदार पटेल जैसे जर्मींदारी उन्मूलन के समर्थक कांग्रेसी नेताओं समेत कई लोगों के मन में व्यापक आशंकाएँ थीं—उन्हें डर था कि जर्मींदार अपनी सम्पत्ति बचाने के लिए अदालतों का सहारा लेंगे और सम्पत्ति के अधिकारों एवं अपर्याप्त मुआवजे जैसे सवाल उठाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों के जर्मींदारों ने जर्मींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता का विरोध किया। जर्मींदारी उन्मूलन एक अधिकतर राज्यों में सन् 1956 तक पास किया जा चुका था। जर्मींदारी—उन्मूलन का अर्थ था करीब दो करोड़ काश्तकारों का भू—स्वामी बनना।

मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति—

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में जर्मींदारी, जागीरदारी एवं इनामी जैसे मध्यस्थ भूमि—सम्बन्धी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। देश में पड़ी बंजर, परती अथवा अन्य श्रेणी की भूमि में से अधिकांश भूमि का वितरण भूमिहीनों एवं सीमान्त भू—स्वामियों में कर दिया गया।

काश्तकारी सुधार—

जर्मींदारी उन्मूलन के बाद भी जर्मींदारी क्षेत्रों में गौखिक और बिना रिकॉर्ड वाले काश्तकारी के मसले

बरकरार रहे। इस प्रकार की काश्तकारी उन भूतपूर्व जमीदारों की जमीन पर जारी रही, जिनकी जमीनें अब 'व्यक्तिगत खेती' की श्रेणी में बताई जाने लगी तथा साथ ही यह उन भूतपूर्व लम्बे समय से अवरिथत काश्तकारों की जमीनों पर जारी रही, जो अपनी जमीनें बटाई पर लगाने लगे। इसके अलावा आजादी के वक्त सिर्फ आधी भूमि ही जमीदारी व्यवस्था के तहत थी, बाकी आधी जमीन रैच्यतवाड़ी के अन्तर्गत थी, जहाँ भूस्वामित्व की समस्याएँ, असुरक्षा, भारी लगान वाली काश्तकारी इत्यादि समस्याएँ अत्यन्त व्यापक थीं।

काश्तकारी सुधारों की तीन प्रमुख विशेषताएँ थीं—

- उन काश्तकारों के लिए काश्तकारी की गारंटी करना, जिन्होंने विशेष अवधि तक उस जमीन पर खेती की हो।
- काश्तकारों द्वारा दिए गए लगान को एक उचित स्तर पर लाना।
- काश्तकार को, कुछ सीमाओं के साथ, उसके द्वारा जोती जा रही जमीन के स्वामित्व का अधिकार मिलना।

भारत में काश्तकारी कानून का उद्देश्य काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिलवाना था। काश्तकारी प्रथा को नियमित एवं नियन्त्रित करना बहुत कठिन रहा है, क्योंकि देश में भूमिहीन श्रमिकों की भरमार है।

भूमि हृदबन्दी अथवा जोतों पर सीमा निर्धारण—

भारत में भूमि—सुधारों का एक प्रमुख हिस्सा भू—सम्पत्ति पर हृदबन्दी तय करना था। इसका उद्देश्य भूमि का वितरण अधिक समान बनाना था। आजादी के बाद भूमि—हृदबन्दी के विचार का प्रबल समर्थन किया गया। पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समिति ने सुझाव दिया कि, "भूमि की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। इस सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण करके ग्राम सहकारिता समिति को सौंप देना चाहिए।" जे.सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने भी जुलाई 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए भूमि—हृदबन्दी का समर्थन किया। इस हृदबन्दी में आर्थिक हृदबन्दी का तीन गुना होने का सुझाव दिया गया। आर्थिक हृदबन्दी वह हृदबन्दी थी जो खेतिहार को उचित जीवन—स्तर प्रदान करे, सामान्य आकार के परिवार को पूर्ण रोजगार दे और कम से कम दो बैल मुहैया करा सके। इसमें अचरज नहीं कि शुरू में इरादों की घोषणा के बावजूद, आजादी के आरम्भिक वर्षों में हृदबन्दी के सवाल पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई। इस बीच देश की विभिन्न संस्थाओं में हृदबन्दी का विरोध होने लगा था। भूस्वामियों और शहरी निहित स्वार्थों को निजी सम्पत्ति के लिए खतरा दिखाई पड़ने लगा।

हृदबन्दी कानूनों का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव, शायद सबसे महत्त्व का, यह था कि उनके कारण भू—बाजार का खात्मा हो गया और साथ ही गैर—किसानीकरण की प्रक्रिया के जरिए जमीन की संकेन्द्रीकरण—प्रक्रिया रुक गई। यदि भूसम्पत्ति पर हृदबन्दी न होती तो भू—बाजार में प्रतियोगिता के चलते संकेन्द्रण की सम्भावना थी।

कृषि का पुनर्संगठन—

चकबन्दी— भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करना ही चकबन्दी कहलाता है। देश में चकबन्दी क्षेत्र कुल कृषित भूमि का लगभग $1/3$ अंश है। चकबन्दी से अपखण्डन के दोष दूर हो जाते हैं और भूमि की उत्पादकता में सुधार होता है। प्रोफेसर बी.एस. मिन्हास ने कृषिगत सुधारों में चकबन्दी पर काफी बल दिया था, जिससे इसका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है।

भूमि के प्रबन्ध में सुधार— इसके अन्तर्गत बंजर भूमि का उपयोग, सुधारे हुए बीजों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग आदि आते हैं। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि के प्रबन्ध में सुधार करने पर जोर दिया गया था।

सहकारी खेती— भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को मिलाकर संयुक्त खेती करना भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी एवं पं. जवाहरलाल नेहरू सहित राष्ट्रीय आन्दोलन के कई नेता इस बात पर सहमत थे कि सहकारिता से भारत की खेती में बड़ी उन्नति होगी और इससे विशेष तौर पर गरीबों को फायदा पहुँचेगा। इसलिए सहकारिता, भूमि सुधार के जरिए संस्थागत परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तत्व था। लेकिन हदबन्दी के ही समान इस प्रश्न पर भी, खासकर किसानों के बीच, कोई आम सहमति नहीं थी। अतः यह स्पष्ट कर दिया गया कि सहकारिता की ओर कोई भी कदम विचार-विमर्श और किसानों की सहमति और सद्भावना के जरिए होगा। इसमें किसी भी बल-प्रयोग या जबर्दस्ती की गुंजाइश नहीं थी।

भारत में सहकारिता आन्दोलन के इतिहास का वर्णन इस क्षेत्र के सबसे सफल प्रयोग की चर्चा के बिना पूरा नहीं हो सकता। यह प्रयोग अन्य सभी से बिल्कुल भिन्न था। इसकी शुरूआत एक साधारण स्तर पर गुजरात के खेड़ा जिले में हुई। यहीं आगे चलकर उस ‘श्वेत क्रान्ति’ (White revolution) का आरम्भकर्ता साबित हुआ, जो सारे भारत में फैल गई।

भूदान आन्दोलन—

यह आन्दोलन भू-सुधार के अन्तर्गत कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने, जैसे भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं, बल्कि एक आन्दोलन के जरिए करने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने पचास के दशक के आरम्भ में इस आन्दोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाने का प्रयास किया।

विनोबा भावे ने ‘सर्वोदय समाज’ की स्थापना की, जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य था— देश में अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना। वे और उनके अनुयायी पदयात्राएँ किया करते थे। गाँव-गाँव पैदल जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा ‘भूदान’ के रूप में, भूमिहीनों और गरीब



विनोबा भावे ग्राम समूह के मध्य

किसानों के बीच बाँटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। इनका उद्देश्य था— इस प्रकार 5 करोड़ एकड़ जमीन हासिल करना, जो भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने-लायक जमीन का छठा हिस्सा बनता था। विचार यह था कि औसतन पाँच सदस्यों का परिवार अपनी जमीन का छठा भाग छोड़ दे और भूमिहीन गरीब कृषक

को अपने परिवार का सदस्य बना ले।

यह आन्दोलन सरकार से स्वतंत्र था, लेकिन इसे कांग्रेस का समर्थन हासिल था। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी सक्रिय राजनीति छोड़ भूदान आन्दोलन में शामिल हो गए।

विनोबा भावे को जमीन का पहला दान 18 अप्रैल, 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में मिला। तीन महीनों से भी कम समय में उन्होंने इस क्षेत्र के करीब 200 गाँवों का दौरा किया और दान के रूप में 12,200 एकड़ भूमि पाई। इसके बाद आन्दोलन उत्तर भारत में, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में फैल गया। शुरू के वर्षों में आन्दोलन को काफी हद तक सफलता मिली। उसे मार्च, 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से अधिक जमीन मिली।



सन् 1955 का अन्त आते—आते आन्दोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया और वह था—‘ग्रामदान’। ग्रामदान वाले गाँवों की भूमि को सामूहिक स्वामित्व की या सभी के लिए बराबर वाली भूमि माना गया। वह किसी एक व्यक्ति की नहीं मानी गई। आन्दोलन की शुरुआत उड़ीसा से हुई और वहाँ वह बड़ा सफल रहा। सन् 1960 का अन्त आते—आते देश में ग्रामदान गाँवों की कुल संख्या 4500 से अधिक हो चुकी थी।

भू—सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन—

भारत में योजनाकाल में भूमि—सुधार सम्बन्धी कानूनों की बाढ़—सी आ गयी थी। हमने भूमि—सुधार जैसे क्रान्तिकारी कार्यक्रम को प्रजातांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण तरीकों से अपनाने का रास्ता चुना था। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति लिए जाने पर सरकार ने उसे उचित मुआवजा देने की व्यवस्था स्थीकार की है। जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी कानूनों और हदबन्दी कानूनों का कुल मिलाकर काफी प्रभाव पड़ा। इनके कारण भूमि सुधारों के एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् निवेश करने वाले तथा उत्पादक प्रगतिशील किसानों का तबका तैयार करने में काफी मदद मिली। वैधानिक और शान्तिपूर्ण भूमि सुधारों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का ठोस प्रयास किया गया।

गरीबी उन्मूलन

आजादी के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों में से एक थी, ऐसा विकास, जिससे समूचे समाज का भला होता हो न कि कुछ एक तबकों का। इस सन्दर्भ में संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबसे साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक—सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। भारतीय संविधान ने ‘राज्य के नीति—निदेशक तत्वों’ के अन्तर्गत लोक—कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी की समाप्ति के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी।

भारत प्रमुखतया एक गाँवों का देश है तथा गाँवों में कृषि की प्रधानता होती है। कृषि में खेतिहर मजदूरों की समस्या सबसे अधिक गम्भीर मानी गई है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में “निर्धनता—उन्मूलन” को योजना

के एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। सन् 1971 के लोक सभा चुनावों में कॉग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' (Garibi Hatao) का नारा दिया था। प्रो. डी.आर. गाडगिल, डॉ. वाई.के. अलघ, प्रो. डी.टी. लकड़ावाला, प्रो. वी.एम. दांडेकर, एस.आर. हाशिम, सुरेश डी. तेन्दुलकर और हाल ही में डॉ. सी. रंगराजन आदि ने भारत में निर्धनता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार निर्धनता का प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न रहा है।

गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। 'गरीबी की रेखा' से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान का मुद्दा पिछले कुछ समय से विवादास्पद बना हुआ है। योजना आयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation : NSSO) के सर्वेक्षणों के आधार पर ही 'गरीबी रेखा' से नीचे के लोगों की संख्या अर्थात् निर्धनों की संख्या का आकलन करता रहा है।

गरीबी की रेखा (Poverty Line)–

गरीबी की विवेचना में प्रायः 'गरीबी की रेखा' (Poverty Line) की बात उठाई जाती है। हमारे देश में गरीबी का विचार "कैलोरी के उपभोग" की मात्रा से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011–12 के लिए नई निर्धनता—रेखा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय का स्तर 816 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया। रंगराजन समिति के अनुसार निर्धनता की रेखा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह ली गयी। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में अनुपात 'निर्धनता—अनुपात' (Poverty-ratio) कहलाता है। वे लोग जो कैलोरी या मासिक आय के आधार पर गरीबी / निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं, उन्हें BPL (Below Poverty Line) कहा जाता है।

भारत में निर्धनता अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों, सीमान्त एवं लघु कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में पाई जाती है।

निर्धनता को दूर करने के सरकारी उपाय—

भारत में सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए आर्थिक विकास एवं विशिष्ट निर्धनता—निवारण—कार्यक्रमों का उपयोग कर रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आर्थिक विकास की गति तेज करने से निर्धनता को कम करने में अवश्य मदद मिलेगी, लेकिन साथ में विशेष—निर्धनता—उन्मूलन एवं रोजगार—संवर्द्धन कार्यक्रम चलाने से समस्या के हल में सहलियत होगी। अतः हमें इन दोनों को एक साथ सफल बनाने पर पर्याप्त जोर देना चाहिए। सरकार द्वारा पूर्व वर्षों में कई कार्यक्रमों की क्रियान्विति से गरीबी कम करने एवं रोजगार सृजन में कुछ सीमा तक मदद मिली है, जिनमें से कुछ कार्यक्रम निम्न हैं—

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme : IRDP)— यह कार्यक्रम निर्धनता—उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है। 1978–79 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम में लघु कृषकों को 25 प्रतिशत सम्बिंदी मिलती थी, सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को 33.3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50 प्रतिशत सम्बिंदी दी जाती थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme : NREP)— 1980 में प्रारम्भ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, तालाब, लघु सिंचाई, पेयजल के लिए कुओं, स्कूल, पंचायत घर आदि का विकास हुआ था।

ग्रामीण—भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Rural-Landless Employment Guarantee Programme : RLEGP)

— 1983 में प्रारम्भ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़कों एवं स्कूल भवनों का निर्माण कार्य किया गया।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme : MNP)— इस कार्यक्रम को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (सन् 1974–78) के पहले वर्ष में प्रारम्भ किया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधि सन् 1974–79 थी, जिसे नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने सन् 1978 में समाप्त कर दिया था। MNP बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रारम्भ किया गया था। इसमें ईंधन की लकड़ी और चारा योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें, जल आपूर्ति, सफाई, खाद्य आपूर्ति आदि योजनाएँ शामिल की गई।

सूखा—संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought-Prone Area Programme : DPAP)— केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1973–74 में प्रारम्भ इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुधारना था। इस कार्यक्रम में भू—संरक्षण, जल—संसाधन विकास, भूमि विकास एवं वन विकास आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाए गए, जिससे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके और गरीबों को लाभ मिल सके।

बीस सूत्री कार्यक्रम (Twenty Point Programme : TPP)— 1975 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और देश के गरीबों एवं विवितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि एवं भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमज़ोर वर्गों का संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है।

1 अप्रैल, 1989 को NREP एवं RLEGP को जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Yojana : JRY) में मिला दिया गया था। JRY को 1 अप्रैल, 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana) में मिला लिया गया।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana : JGSY)— यह 1 अप्रैल, 1999 से जवाहर रोजगार योजना के बाद के क्रम में लागू हुई थी और इसके तहत गाँवों में टिकाऊ उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाता था। इसे 2001 में रोजगार आश्वासन योजना (EAS) के साथ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में मिला दिया गया था।

रोजगार आश्वासन योजना (Employment Assurance Scheme : EAS)— यह योजना 2 अक्टूबर, 1993 से पिछड़े एवं सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना था। इसे सन् 2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में मिला दिया गया।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana : SGRY)— यह योजना 25 सितम्बर, 2001 से प्रारम्भ की गयी थी। इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) एवं रोजगार आश्वासन योजना (EAS), दोनों को मिला दिया गया था। यह केन्द्र चालित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार (Wage employment) उपलब्ध कराना है, ताकि सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana : SJSRY)— इसके अन्तर्गत दो विशिष्ट योजनाएँ हैं— (1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (2) शहरी मजदूरी रोजगार।

दिसम्बर, 1997 में यह योजना पूर्व में संचालित कई शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को मिलाकर बनाई गई थी। इसके तहत निर्धन व्यक्तियों को दक्षता का प्रशिक्षण (Skill training) दिया जाता है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana : SGSY)— इसे 1 अप्रैल, 1999 को निम्न छः योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया है—

- **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme : IRDP)**— यह कार्यक्रम निर्धनता—उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया था।
- **ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (Training of Rural Youth for Self-Employment : TRYSEM)**— यह योजना 1979 में 18 से 35 वर्ष तक के ग्रामीण निर्धन युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का लक्ष्य इन युवाओं को बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना था।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (Development of Women and Children in Rural Areas : DWCRA)**— यह योजना 1982–83 में IRDP की एक उपयोजना के रूप में प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं को आय सृजित करने वाली गतिविधियों द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनका सामाजिक-आर्थिक विकास करना था।
- **दस लाख कुओं की योजना (Million Wells Scheme : MWS)**— यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बन्धुआ मजदूरों को सिंचाई हेतु निःशुल्क कुएँ प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई।
- **ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार किट आपूर्ति योजना (Supply of Improved ToolKits to Rural Artisans Scheme : SITRA Scheme)**— यह योजना 1992 में IRDP की एक उपयोजना के रूप में प्रारम्भ की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तकारों को उन्नत औजारों की आपूर्ति की जाती थी।
- **गंगा कल्याण योजना (Ganga Kalyan Yojana : GKJ)**— 1997 से शुरू इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लघु और सीमान्त किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाकर उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

2011 में SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission : NRLM) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। NRLM का उद्देश्य निर्धनता निवारण के लिए निर्धन परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार एवं दक्ष मजदूरी रोगजार के अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana : DAY-NRLM) कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (Pradhan Mantri Gramodaya Yojana : PMGY)— वर्ष 2000–01 में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास एवं ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए लागू किया गया था। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार की सम्भावना व्यक्त की गई।

अन्त्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana : AAY)— वर्ष 2000 में यह योजना गरीब

परिवारों में सबसे गरीब (Poorest of the poor families) को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई। इसके तहत् देश के एक करोड़ निर्धनतम् परिवारों को प्रति माह निश्चित मात्रा में अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत् जारी किए जाने वाले गेहूँ एवं चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये एवं 3 रुपये प्रति किग्रा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana : PMGSY)— वर्ष 2000 में शुरू इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँवों को जोड़ना है। यह योजना न केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायक है, बल्कि इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक स्वीकार किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana : IAY)— यह योजना वर्ष 1985 में RLEGP की एक उपयोजना के रूप में आरम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था। 1989–90 में RLEGP को JRY में मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी JRY का अंग बना दिया गया, किन्तु 1996 में इसे JRY से अलग करके एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया है। 2015 में इस योजना का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana : PMGAY) के रूप में पुनर्गठन किया गया।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act : MNREGA)— ग्रामीण बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी, 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया। NREGA वर्ष 2005 में पारित हुआ था। पहले चरण में वर्ष 2006–07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनींदा जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था। 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। ‘काम के बदले अनाज योजना’ (Food for Work Programme) एवं ‘सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana) का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया। वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम’ (NREGA) का नाम बदलकर ‘महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम’ (MNREGA) कर दिया। इस योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्ष में कम—से—कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य ‘काम करने का अधिकार’ (Right to work) की गारंटी देना है। इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना माना जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम— 2013 (National Food Security Act, 2013)— इस अधिनियम का उद्देश्य देश की दो—तिहाई आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना है। यह अधिनियम भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों यथा— मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को कानूनी आधार प्रदान करता है। इस कानून के तहत् प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 किग्रा खाद्यान्न रियायती दर पर मिलेगा। गेहूँ का निर्गम मूल्य दो रुपये, चावल का तीन रुपये तथा मोटे अनाज का एक रुपया प्रति किग्रा होगा। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आच्छादित समाज के निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किग्रा खाद्यान्न उपर्युक्त रियायती दरों पर ही मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकारें चिह्नित करेंगी। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छ: हजार रुपये का प्रसव भत्ता मिलेगा। 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के प्रत्येक बच्चे को आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के माध्यम से अनुसूची-II के मानकानुसार प्रतिदिन

पौष्टिक भोजन निःशुल्क मिलेगा। सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, अवकाश के दिनों को छोड़कर, दोपहर का भोजन मुफ्त मिलेगा। कुपोषित बच्चों, जिन्हें राज्य सरकार औंगनबाड़ी के माध्यम से चिह्नित करेगी, को निःशुल्क भोजन मिलेगा।

निर्धनता की समस्या को हल करने के लिए सुझाव-

- ग्रामोत्थान की एक व्यापक योजना बनानी चाहिए, जिसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का एकीकरण किया जा सके।
- पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सहकारी अर्थव्यवस्था आदि को अधिक साकार रूप दिया जाना चाहिए ताकि ये भावी विकास के स्रोत बन सकें।
- ग्रामीण निर्धनों का एक राजनीतिक संगठन बनाया जाना चाहिए, जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके।
- एक विस्तृत राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिसमें मजदूरी पर नियमित रोजगार की व्यवस्था की जा सके।
- ग्रामीण मजदूरों के लाभ से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- काश्तकारी सुधारों, चकबन्दी, सीमा-निर्धारण एवं अन्य भूमि-सुधार कानूनों की समीक्षा करके एक व्यावहारिक एवं संशोधित भूमि-सुधार कार्यक्रम अपनाकर उसे निकट भविष्य में कड़ाई से लागू करना चाहिए। वैसे भी देशभर में द्वितीय पीढ़ी के भूमि सुधार कार्यक्रम की मांग जोरों से बढ़ रही है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में “दो बच्चों के परिवार” का मानक लागू करने के लिए ऐसी दिशाओं में निवेश किया जाना चाहिए, जिनसे स्त्रियों के कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हो।
- “हम ही गरीबी के लिये उत्तरदायी हैं और हम ही इसे मिटा सकते हैं।” ऐसा विश्वास सर्वत्र जगाया जाना चाहिए।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016–17 में निर्धनता-निवारण के लिए एक नये प्रयास ‘सार्वजनीन आधारभूत आमदनी’ (Universal Basic Income-UBI) की चर्चा प्रारम्भ की गयी है। आशा है कि इस अवधारणा पर आगामी वर्षों में विचार करके कोई निर्णय लिया जाएगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न—

अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न—

1. चकबन्दी का क्या अर्थ है?
 2. भूदान आन्दोलन से क्या अभिप्राय है?
 3. 'गरीबी रेखा' को परिभाषित कीजिए।
 4. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) का उद्देश्य क्या था?
 5. सूखा—सम्बावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) पर टिप्पणी कीजिए।
 6. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में कौन—कौनसी योजनाओं को शामिल किया गया था?

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. भारत में भूमि सुधारों के उददेश्यों की विवेचना कीजिए।
2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) को संक्षेप में समझाइए।
3. मनरेगा (MNREGA) के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 पर टिप्पणी कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. भारत में भूमि सुधारों हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए भू—सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
2. भारत में निर्धनता को दूर करने के सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए।

अध्याय—5

भारत की विदेश नीति

भारत एक विस्तृत भू—प्रदेश और विशाल जनसंख्या वाला देश है, अतः स्वाभाविक है कि इसकी विदेश नीति विश्व परिदृश्य में अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। स्वतंत्रता के बाद पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में गठित सरकार में पं. नेहरू ही विदेश नीति के प्रधान निर्माता थे। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फॉरसीवाद के विरोधी तथा असंलग्नता, पंचशील, निःशस्त्रीकरण और एफो—एशियाई एकता के प्रबल समर्थक थे। स्वतंत्रता से पहले सितम्बर, 1946 में एक प्रेस—वार्ता में उन्होंने कहा भी था कि “वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्म—निर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयास करेगा। साथ ही वह विश्व में शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा।” यदि यह कहा जाए कि आधुनिक भारत की विदेश नीति पं. नेहरू की विदेश नीति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

विदेश नीति के निर्माणक तत्व

प्रायः सभी देशों की विदेश नीति स्थायी और गतिशील कारकों द्वारा निर्धारित होती है। स्थायी कारकों में भू—राजनीतिक स्थिति, सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय आवश्यकताएँ, आर्थिक तत्व, अनुभव व परम्पराएँ तथा गतिशील कारकों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ, घटनाएँ, देश की आंतरिक स्थिति, नेतृत्व आदि विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही स्थायी एवं गतिशील कारक भारत की विदेश नीति के भी निर्माणक तत्व हैं।



(1) देश का भूगोल : फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन महत्वपूर्ण है कि “किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है।” भारत के संबंध में यह बात पूर्णतया सत्य है, क्योंकि प्रकृति ने भारत को एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप और हिंद—चीन प्रायद्वीप के मध्य केंद्रीय स्थिति प्रदान की है। इसकी सीमाएँ सभी दक्षिण एशियाई देशों यथा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका

एवं मालदीव से जुड़ी या फिर नजदीक हैं। यह स्थिति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों पर भूगोल के प्रभावों का अध्ययन 'भू-राजनीति' (Geopolitics) कहलाता है। एक देश की अवस्थिति एवं भौतिक स्थलाकृति उस राज्य की विदेश नीति पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्राकृतिक सीमाओं की उपस्थिति एक देश को सुरक्षा का भाव प्रदान करती है जिससे शांतिपूर्ण समय में वह घरेलू विकास पर ध्यान दे सकता है। अधिकतर देशों के लिए द्विपीयता संभव नहीं है, क्योंकि उनकी सीमा से कई देश लगे होते हैं और उनके पास अंतरराष्ट्रीय मामलों से असंलग्न रहने का विकल्प नहीं होता है।

(2) ऐतिहासिक अनुभव, परम्पराएँ एवं संस्कृति : आधारभूत रूप से किसी देश की विदेश नीति उसके तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभवों, परम्पराओं और संस्कृति से निर्धारित होती है। भारतीय परम्पराओं में राजनीतिक शक्ति का एक आदर्शात्मक स्वरूप उजागर होता है, जिसमें शांति, सहयोग और वसुधैव कुटुम्बकम् रूपी अंतरराष्ट्रीयवाद का आदर्श रूप दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति साम्राज्यवाद के घोर विरोधी 'जियो और जीने दो' जैसे विचारों की पोषक रही है।

(3) राष्ट्रीय हित : प्रत्येक देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय हित में इन सभी बातों का योग होता है जो किसी राष्ट्र की संस्कृति, सुरक्षा और भौतिक कल्याण की अधिकतम गारंटी पर बल देता है। यह सत्य है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति सदा चलायमान रही है, उसमें कोई स्थाई मित्र या शत्रु नहीं होते। यह सभी राष्ट्रीय हित को देखते हुए बनते और बिगड़ते रहते हैं।

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा : प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य देश की सुरक्षा और विकास होता है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध के चलते नित्य बदलते राजनीतिक समीकरण और गुटबंदियों के कारण भारतीय विदेश नीति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के लिए समयानुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया अपनाती रही है।

(5) विकास तत्व : आधुनिक समय में राष्ट्रीय आर्थिक विकास तत्व राष्ट्रों के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। हर राष्ट्र की आंतरिक नीति अपनी क्षमतानुसार आर्थिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाते हुए उसके माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनना रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी स्थिति में सम्पन्न और पूँजीवादी राष्ट्र इस तरह के सहयोग के बहाने देश की आंतरिक एवं विदेश नीति को प्रभावित करने हेतु सहायता के मुख्य द्वारा खोलने को तैयार रहते हैं।

(6) विश्व शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा : भारत ने सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् के आदर्श वाक्य को आधार बनाकर अपनी विदेश नीति को विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर गतिमान रखा है। इसीलिए भारत अपनी नीति में आचरण के पाँच नैतिक सिद्धांत 'पंचशील' को प्रमुख आधार बनाते हुए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनाने के लिए विश्व के राष्ट्रों का सम्मान करता आ रहा है।

(7) तकनीकी प्रभाव : तकनीकी ज्ञान के निरंतर विकास ने हमारी सोच और गतिविधियों को प्रभावित किया है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाना चाहता है। अर्द्ध विकसित और विकासशील राष्ट्र विश्व के विकसित देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पावर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, उपग्रह प्रणाली पर एकाधिकार रखने वाले देश इन जानकारियों के स्थानांतरण व प्रयोग की अनुमति के लिए शर्तें रखकर अन्य विकसित और विकासशील देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते रहे हैं।

(8) सैन्य ताकत : जिस देश के पास भारी एवं सुसज्जित सैन्य बल होता है उसे विश्व स्तर पर अन्य

देशों से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार सैन्य क्षमता विदेश नीति निर्माण का एक कारक है। सशक्त सैन्यबल वाला देश इस दृष्टिकोण से अक्षम देशों की अपेक्षा विश्वास पूर्ण एवं कठोर निर्णय ले सकता है।

(9) सरकार का स्वरूप : लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत, दबाव समूहों एवं जनसंचार की नीति—निर्माण प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका होती है। लोकतांत्रिक राज्यों में, निर्वाचन व्यवस्था भी विदेश नीति निर्माण में अपना प्रभाव रखती है, जैसे कि नेता सामान्यतया ऐसे निर्णय लेंगे जिससे लोग उनसे दूर नहीं हों। एक निरंकुश व्यवस्था में अधिकतर निर्णय शासक की निजी सोच के अनुसार होते हैं।

(10) देश की आतंरिक बाध्यताएँ : न केवल अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ अपितु घरेलू घटनाक्रम भी विदेश नीति के स्रोत के तौर पर कार्य करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब शासकों ने घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठोर एवं सशक्त विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए हैं। उदाहरणार्थ, देश में निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करने या फिर देश की नाजुक आर्थिक हालत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति किसी एक तत्व के प्रभाव के स्थान पर अनेक तत्वों के प्रभाव और योगदान से निर्भित होती रही है। भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता को सुरक्षित करना है।

भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत

1. राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना।
2. राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना।
3. विभिन्न देशों के बीच शांति, मित्रता, सद्व्यवहार एवं सहयोग को बढ़ावा देना।
4. सामाजिक—आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना।
5. निःशस्त्रीकरण का समर्थन करना।
6. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं निरंकुश शक्तियों का प्रतिरोध करना।
7. विश्व के देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करना।
8. मानवाधिकारों का सम्मान करना एवं नस्लीय भेदभाव एवं असमानताओं का विरोध करना।
9. पंचशील एवं गुट निरपेक्ष सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना।

भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ

गुट निरपेक्षता की नीति

भारत जिस वक्त आजाद हुआ उस समय शीतयुद्ध का दौर शुरू हो चुका था। उस समय दुनिया के देश दो गुटों में बँट रहे थे। एक गुट का अगुआ संयुक्त राज्य अमरीका था तो दूसरे का सोवियत संघ। दोनों गुटों के बीच विश्वस्तर पर राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। पं. नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य थे— कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखण्डता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। पं. नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव—स्वतंत्र देशों के साथ सम्पर्क बनाए। नेहरू के प्रयासों से ही सन् 1955 में बांग्लुंग (इंडोनेशिया) में 'एफो—एशियाई सम्मेलन' हुआ, जिसे 'बांग्लुंग सम्मेलन' (Bandung

Conference) के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आन्दोलन की नींव पड़ी थी। गुट निरपेक्ष आन्दोलन (Non-Aligned Movement : NAM) की स्थापना में नेहरू की महत्ती भूमिका रही थी। NAM की स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री पं. नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो एवं मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन सन् 1961 में बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में आयोजित हुआ।



नेहरू ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह विश्व के अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति—गुटों के साथ न जुड़ने की नीति है। गुट निरपेक्षता अथवा असंलग्नता की नीति 'तटस्थता' से भिन्न है। असंलग्नता की नीति परस्पर विभिन्न विरोधी विचारधाराओं से अपने आप को अलग रखने तथा शक्तिमूलक राजनीति से पृथक् रहने एवं सभी राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण सह—अस्तित्व और सक्रिय सहयोग की नीति है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हों या गुटनिरपेक्ष। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अन्तरराष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढ़ग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अहसत्क्षेप का सिद्धांत और स्वयं की संप्रभुता को बनाए रखने की अवधारणा गुट निरपेक्षता में निहित है। इससे अलग 'तटस्थता' की नीति राजनीतिक कम और विधिक अधिक है जिसमें एक देश किसी भी विवाद की स्थिति से स्वयं को अलग कर लेता है।

सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वर्तमान में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता निम्न क्षेत्रों में नजर आती है—

- नई अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर माँग करना।
- एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमरीकी वर्चस्व का विरोध करना।
- उत्तर—दक्षिण संवाद (विकसित और विकासशील देश) के लिए दबाव डालना।
- दक्षिण—दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- नव—औपनिवेशिक शोषण का विरोध करना।
- आणविक निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डालना।

शान्ति की विदेश नीति

महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारियों की धरती भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व—शान्ति की समर्थक रही है। अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए हर—सम्भव प्रयत्न करना, सैनिक गुटबन्दियों से अपने आपको पृथक् रखना तथा निःशस्त्रीकरण का समर्थन करना आदि नीतियों

का भारत ने सदैव पालन किया है। 'पंचशील' के सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी भारत की शान्तिप्रियता का द्योतक है।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर 'पंचशील' (Panchsheel) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल, 1954 को तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था। 'पंचशील' की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई ने की। ये सिद्धान्त निम्न हैं—

- (1) एक—दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सम्प्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान।
- (2) पारस्परिक अनाक्रमण।
- (3) एक—दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप।
- (4) समानता एवं पारस्परिक लाभ।
- (5) शान्तिपूर्ण सह—अस्तित्व।

मैत्री और शांतिपूर्ण सह—अस्तित्व की नीति

भारत की विदेश नीति अवसरवादिता की नीति न होकर सदैव साधनों की पवित्रता में विश्वास करने वाली रही है। भारत ने विरोधी गुटों के बीच सेतुबन्ध का कार्य करते हुए सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की नीति का पालन किया है।

साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं प्रजातीय विभेद के विरोध की नीति

भारत ने साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करते हुए उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी और किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया जैसे देशों में जहाँ प्रजातीय विभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, भारत ने इसका जोरदार विरोध किया।

निःशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थन की नीति

भारत निःशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। सन् 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (Partial Test Ban Treaty : PTBT), जिसे परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (Nuclear Test-Ban Treaty : NTBT) भी कहते हैं, हुई, जिस पर भारत ने अविलम्ब हस्ताक्षर कर दिए।

सन् 1968 की परमाणु अप्रसार सन्धि (Non-Proliferation Treaty : NPT), जो 5 मार्च, 1970 से लागू हुई, पर भारत ने इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए कि यह भेदभावपूर्ण सन्धि थी। महाशक्तियाँ इस प्रकार की सन्धि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। सन् 1996 में हस्ताक्षरित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty : CTBT) परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, अतः भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए।

संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। भारत ने इसके विभिन्न अंगों एवं विशिष्ट अभिकरणों में सक्रिय भूमिका अदा की है। अन्तरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की नीति का पालन करना तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून और सन्धियों के पालन के प्रति आस्था रखना भारत की नीति रही है। संयुक्त राष्ट्र के आहवान पर भारत ने कई देशों में शान्ति स्थापना हेतु अपनी सेनाएँ भेजी हैं।

भारतीय विदेश नीति की विकास यात्रा

पं. जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार कहा जा सकता है। वे अन्तर्राष्ट्रीयता और अखिल एशियावाद के समर्थक तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासीवाद और रंगभेद की नीति के विरोधी थे।

पं. नेहरू के शासनकाल में सन् 1954 में दादरा और नागर हवेली (Dadra and Nagar Haveli) पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त हुआ। सन् 1954 से सन् 1961 तक यह स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली की वरिष्ठ पंचायत (Varishta Panchayat of Free Dadra and Nagar Haveli) द्वारा प्रशासित रहा और अन्तः सन् 1961 में इसे केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 'गोवा के प्रश्न' पर भारत ने शक्ति का प्रयोग किया और पुर्तगाली अत्याचारों से गोवा को मुक्ति दिलाकर सन् 1961 में स्थायी रूप से भारत में शामिल कर लिया गया। सन् 1961 में ही दमन और दीव को पुर्तगाली नियन्त्रण से मुक्त करवाकर भारतीय संघ में मिलाया गया। गोवा, दमन एवं दीव को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। सन् 1987 में गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दिसम्बर 2019 में संसद ने दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया।

लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू की ही नीति का अनुसरण किया। उनके काल में पड़ोसी देशों विशेषकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों से संबंध घनिष्ठ बनाने की पहल की गयी। सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया गया। शास्त्रीजी ने 'जय जवान, जय किसान' (Jai Jawan Jai Kisan) का नारा देकर एक ओर जहाँ सैनिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया वहीं किसानों को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खाद्यान उत्पादन बढ़ाने हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का संदेश दिया।

इंदिरा गांधी के कार्यकालों में भारत की विदेश नीति की कुछ नवीन विशेषताएँ—लचीलापन, यथार्थ एवं आदर्श का समन्वय, राष्ट्रीय हितों पर बल, आर्थिक सहयोग का महत्व तथा विशेषज्ञों की विशेष भूमिका आदि उभर कर सामने आयीं। भारत-सोवियत संघ मैत्री संधि, शिमला समझौता तथा परमाणु विस्फोट भारतीय विदेश नीति की महत्वपूर्ण सफलताएँ थीं। इन्दिरा गांधी ने अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे देशों की यात्रा की। वियतनाम मामले पर उन्होंने अमेरिका की आलोचना की और कहा कि अमेरिका को अपनी साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाकर वियतनाम से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। श्रीमती गांधी पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने दबाव को न मानते हुए सन् 1974 में पोकरण में परमाणु विस्फोट कर विश्व को चकित कर दिया।



इंदिरा गांधी और रूसी नेता ब्रेजेनेव

सन् 1977-79 तक की जनता सरकार आंतरिक विरोध, वैचारिक अन्तर्विरोध तथा व्यवस्था में सुसंगत लक्षणों के अभाव के बावजूद भारत की विदेश नीति के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित कर पाने में सफल रही। जनता सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने, भारत-सोवियत संघ मैत्री संधि को कायम रखने, पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने, अरब

देशों को परम्परागत समर्थन जारी रखने तथा रंगभेद, जातिभेद, उपनिवेशवाद, नव—उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करने की बातें कहीं। भारत ने इजराइल के साथ राजनीतिक एवं रक्षा सम्बन्धी सम्पर्क स्थापित करने में पहल की। विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत—पाक सम्बन्धों में विद्यमान तनावों में कमी लाने में सफलता हासिल की। चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार लाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

अपने दूसरे कार्यकाल में श्रीमती गाँधी ने सन् 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों (9th Asian Games) का एवं सन् 1983 में नई दिल्ली में 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन (7th Non-Aligned Movement Summit) का सफल आयोजन कर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया।

सन् 1984—89 तक राजीव गाँधी के काल में विदेश नीति के चार मुख्य तत्त्वों—निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद—उन्मूलन, विकास तथा शांति की कूटनीति पर सर्वाधिक जोर दिया गया। 1988 ई. में राजीव गाँधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ‘आण्विक हथियार मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था’ की योजना प्रस्तुत की जिसकी सारे विश्व में प्रशंसा हुई। क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से ‘सार्क’ का निर्माण किया गया, जिसमें राजीव गाँधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी ‘दक्षेस’ (SAARC) का गठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात्



राजीव गाँधी और अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन

‘दक्षेस’ (South Asian Association for Regional Cooperation : SAARC) की स्थापना 7—8 दिसम्बर, 1985 को ढाका (बांग्लादेश) में हुई, जहाँ पर इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें शुरुआत में सात सदस्य देश थे—भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। सन् 2007 में अफगानिस्तान ‘सार्क’ के आठवें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। दक्षेस का सचिवालय काठमांडू (नेपाल) में स्थित है।

विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा विदेश नीति के क्षेत्र में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया।

सन् 1991—96 तक पी.वी. नरसिंहा राव के समय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं कूटनीतिक समीकरणों में आमूल चूल परिवर्तन आ चुका था। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन तथा खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय ने विश्व व्यवस्था के स्वरूप को एक ध्रुवीयता की ओर मोड़ दिया था। तत्कालीन विश्व परिदृश्य में गुट निरपेक्ष आंदोलन नेतृत्वहीनता की स्थिति में पहुंच चुका था। साथ ही भारत में भी एक गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति विद्यमान थी। ऐसे समय में सरकार ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूती से रखने, सार्क के अधीन साप्टा समझौते को सम्पन्न कराने, जी—15 (Group- 15) के शिखर सम्मेलन के आयोजन द्वारा उत्तर—दक्षिण वार्ता पर जोर देने तथा भारत के आर्थिक सुधार एवं

उदारीकरण कार्यक्रम में विदेशी सहयोग व पूँजी निवेश सुनिश्चित करने जैसे कार्यों द्वारा विदेश नीति को नये परिवेश के अनुकूल ढालने का प्रयास किया। इसी काल में विदेश नीति को मूल्यों एवं नैतिकता की बजाय आर्थिक पहलुओं पर अधिक केंद्रित किया गया।

'पूर्व की ओर देखो नीति' (Look East Policy) भारत सरकार द्वारा नब्बे के दशक के प्रारम्भ में अपनाई गई, जिसके तहत भारत की विदेश नीति में भारत के पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस नीति का मुख्य केन्द्र-बिन्दु आर्थिक सम्बन्ध हैं।

भारत की एच.डी. देवेंगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री के रूप में इन्द्र कुमार गुजराल ने सन् 1996 में 'गुजराल सिद्धान्त' (Gujral Doctrine) की घोषणा की, जो पड़ोसी देशों, खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों के साथ मधुर सम्बन्धों को बनाए रखने पर जोर देता है। गुजराल ने पड़ोसी देशों को विश्वास में लेने की विदेश नीति पर कार्य किया ताकि इन देशों के भारत को लेकर शक-शुब्ह को दूर किया जा सके और देश को इनका सहयोग प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत इन्होंने पड़ोसी देशों को एक तरफा वित्तीय मदद, व्यापार में छूट एवं गैर-रणनीतिक मुद्दों पर सहायता देने की नीति अपनाई। अल्पकालिक कार्यकाल वाली इंद्र कुमार गुजराल सरकार विदेश नीति की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकी, हालांकि गुजराल सरकार के समय पड़ोसी देशों के साथ नये सिरे से संबंधों को सुधारने या स्थापित करने की पहल की गयी।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (National Democratic Alliance) की सरकार ने सत्तारूढ़ होने के कुछ समय बाद ही मई, 1998 में परमाणु परीक्षण सम्पन्न किये, लेकिन परमाणु आयुध के सन्दर्भ में 'पहले उपयोग नहीं' (No first use) की नीति की घोषणा कर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं निःशस्त्रीकरण के सिद्धांतों में फिर आस्था दर्शाई। पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध सुधारने के भी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रयास किए गए। वाजपेयी के द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने हेतु प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का आंभ वर्ष 2003 में किया गया।

सन् 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (United Progressive Alliance) की सरकार बनी, जिसमें कॉंग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। सन् 2014 तक के इनके कार्यकाल में न केवल भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई वरन् भारत-अमरीका परमाणु समझौता भी सम्पन्न हुआ।

पी.वी. नरसिंहा राव ने जहाँ 'पूर्व की ओर देखो नीति' का नवोन्मेष किया, वहीं सन् 2014 में म्यांमार में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत रूचि के कारण इसे 'पूर्व में सक्रिय होने की नीति' (Act East Policy) में बदलने का श्रम किया है।

भारत चाहता है कि इसके जरिए वह पूरे एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अपने बेहतर सम्बन्धों को स्थापित करे।



अटल बिहारी वाजपेयी और बिल किलन्टन

भारत : विदेश सम्बन्ध

भारत—पाकिस्तान सम्बन्ध

सन् 1947 में भारत—पाकिस्तान के रूप में दो मुल्कों के जन्म के साथ ही इनके आपसी सम्बन्धों में घृणा, अविश्वास और वैमनस्य नजर आया। देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे करवाये, जिससे हजारों की संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी जमीन और सम्पत्ति छोड़ भागकर भारत आ गए। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतों का एकीकरण सम्बन्धी विवाद हो, त्रण की अदायगी के उत्तरदायित्व का प्रश्न हो, शरणार्थियों की समस्या हो, नहरी पानी विवाद हो, पाकिस्तान द्वारा 'जिहाद' नीति का अनुसरण या सैनिक गुटबन्दियों में शामिल होने का प्रश्न हो, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने का मामला हो, सर क्रीक विवाद हो या सियाचिन विवाद इन सभी ने भारत—पाक रिश्तों में कड़वाहट लाने का काम किया है।

सर क्रीक (Sir Creek) गुजरात में कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान में सिन्ध की सीमा पर स्थित एक ज्वारीय नदी चैनल (Tidal estuary) है। भारत—पाक सीमा के बीच स्थित यह स्थल किस देश की सीमा में आता है, अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है।

सागर तल से लगभग 6 हजार मीटर की ऊँचाई पर हिमालय में भारत—पाक—चीन सीमा पर स्थित 'सियाचीन हिमनद' (Siachen Glacier) उचित सीमा निर्धारित नहीं किए जा सकने के कारण भारत—पाक के बीच अभी भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है।

कश्मीर रियासत भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या रही है। यहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्मी था परन्तु शासक एक हिन्दू महाराजा हरिसिंह थे। अक्टूबर, 1947 में उत्तर—पश्चिम सीमा प्रान्त के कबायलियों एवं अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के शासक ने भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की। भारतीय सेनाएं कश्मीर भेजी गयी और अन्ततः कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया। इस समय कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान के हाथ में रह गया, जिसे 'पाक अधिकृत कश्मीर' (Pak Occupied Kashmir) कहा जाता है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को 'आजाद कश्मीर' कहता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद—370 के अन्तर्गत कश्मीर को 'विशेष राज्य' का दर्जा दिया गया था। सन् 2019 में अनुच्छेद—370 के अधीन यह दर्जा समाप्त कर दिया गया है।

जूनागढ़ रियासत के मुस्लिम नवाब ने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी, जबकि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिन्दू थी। रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य कर दिया। सन् 1947 में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जूनागढ़ भारत में सम्मिलित कर लिया गया।

हैदराबाद रियासत का निजाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने का स्वर्ज संजोये था। पाकिस्तान के सहयोग और निजाम के आशीर्वाद से वहाँ लूटमार और मारकाट जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणामस्वरूप भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। सन् 1948 में 'ऑपरेशन पोलो' (Operation Polo) कूटनाम से कार्यवाही कर हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर लिया गया।

पंजाब के राजनीतिक विभाजन के कारण यहाँ की पाँच नदियों— सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब के पानी के बँटवारे से सम्बन्धित विवाद उठ खड़ा हुआ। अन्ततः सन् 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रश्न पर एक समझौता 'सिन्धु—जल सन्धि' (Indus Waters Treaty) पर हस्ताक्षर हुए।

सन् 1965 में गुजरात स्थित कच्छ के रण (Rann of Kutch) को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया। यह संघर्ष पाकिस्तान के 'ऑपरेशन जिब्रल्टर' (Operation Gibraltar) की प्रतिक्रियास्वरूप प्रारम्भ हुआ। पाकिस्तान ने कच्छ के रन के साथ-साथ कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारम्भ कर दी थी। पाकिस्तानी सेना ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार कर भारतीय भू-भाग पर आक्रमण कर दिया। भारत ने सफल जवाबी कार्यवाही की।

अन्ततः सितम्बर, 1965 में दोनों के बीच युद्ध बन्द हुआ। सोवियत संघ के प्रमुख अलेक्सेई कोजिगिन (Alexei Kosygin) के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुहम्मद अयूब खान (Muhammad Ayub Khan) और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) के बीच 10 जनवरी, 1966 को 'ताशकन्द घोषणा' (Tashkent Declaration) पर हस्ताक्षर हुए, जो कि एक शान्ति समझौता (Peace Agreement) है।



ताशकन्द समझौता

सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का स्वतंत्र देश के रूप में उदय होने के बाद भारत ने एकतरफा युद्ध-विराम की घोषणा कर दी। युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुलिफकार अली भुट्टो (Zulfikar Ali Bhutto) और भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी (Indira Gandhi) के बीच 3 जुलाई, 1972 को 'शिमला समझौता' (Shimla Agreement) हुआ। इस समझौते द्वारा दोनों देश अपने सभी आपसी विवादों को 'द्विपक्षीय बातचीत' (Bilateral negotiations) के द्वारा बिना किसी बाहरी शक्ति अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के, आपस में सुलझाने को सहमत हुए।

भारत ने सन् 1984 में कश्मीर धाटी में सोपोर शहर के पास झेलम नदी पर तुलबुल झील के मुहाने पर बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा। यहीं पर भारत द्वारा तुलबुल नौपरिवहन परियोजना (Tulbul Navigation Project) को प्रारम्भ किया गया। पाकिस्तान इसे सन् 1960 की सिन्धु जल सन्धि (Indus Waters Treaty-1960) का उल्लंघन मानते हुए शुरू से ही इस परियोजना का विरोध कर रहा है।

भारत जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलीहार पनबिजली परियोजना (Baglihar Hydroelectric Power Project) का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना की परिकल्पना सन् 1992 में की गई थी। सन् 1996 में इसके अनुमोदन के बाद सन् 1999 में इस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने इस परियोजना के डिजाइन मापदण्डों में सिंधु जल सन्धि-1960 का उल्लंघन किया है, अतः वह चाहता रहा है कि भारत परियोजना का निर्माण कार्य रोक दे।

दिल्ली-लाहौर बस, जिसका आधिकारिक नाम 'सदा—ए—सरहद' (Sada-e-Sarhad) है, एक यात्री बस सेवा है, जिसके फरवरी, 1999 में उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा की, जहाँ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 'लाहौर घोषणा' (Lahore Declaration) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सभी प्रकार के आतंकवाद की निन्दा करना, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए शिमला समझौते के तहत नियमित द्विपक्षीय वार्ता करना एवं एक—दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का पालन

करना जैसी बातों पर सहमति प्रकट की गई।

मई, 1999 में जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठिए भेजकर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (Line of Control : LOC) का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना एवं उनके द्वारा समर्थित घुसपैठियों से कारगिल क्षेत्र खाली करवाने के लिए भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' (Operation Vijay) चलाकर 'कारगिल युद्ध' (Kargil War) में ऐतिहासिक विजय हासिल की।

जुलाई, 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निमन्त्रण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत-पाक शिखर वार्ता के लिए भारत पहुँचे। सन् 2001 की 'आगरा शिखर वार्ता' (Agra summit) के दौरान संयुक्त घोषणा-पत्र में कश्मीर को मुख्य मुददे के रूप में शामिल करने के सवाल पर दोनों पक्षों में गतिरोध उभरकर सामने आया, जिसके चलते वार्ता टूट गई। इसी कारण आगरा सम्मिट पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं हुए।

13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद भवन परिसर में आतंकी हमले से भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों में गम्भीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमले में पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-ताइबा (Lashkar-e-Taiba) एवं जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) का हाथ होने के प्रमाण मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अखिल्यार किया। भारत के सीमा सुरक्षा बल ने सन् 2003 में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर-इन-चीफ गाजी बाबा की हत्या कर दी।

शान्तिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए भारत-पाक द्वारा सन् 2005 में श्रीनगर-मुज़फ़राबाद (Srinagar-Muzaffarabad) के मध्य 'कारवां-ए-अमन' (Karvan-e-Aman) यात्री बस सेवा प्रारम्भ की गई। मुज़फ़राबाद पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) की राजधानी है।

दिल्ली-अटारी (भारत) से वाघा-लाहौर (पाकिस्तान) के बीच शुरू 'समझौता एक्सप्रेस' (Samjhauta Express) रेलगाड़ी के बाद भारत-पाक के बीच दूसरी यात्री रेलगाड़ी सन् 2006 में कराची-खोखरापार (पाकिस्तान) से मुनाबाव (बाड़मेर, राजस्थान) के बीच 'थार एक्सप्रेस' (Thar Express) शुरू की गई। ये कदम भारत-पाक के बीच घटते तनाव के प्रतीक थे।

भारत में आतंकी हमलों ने भारत-पाक के बीच तनाव को फिर से चरम पर पहुँचा दिया। 2 जनवरी, 2016 को पंजाब में पठानकोट वायु सैनिक अड्डे पर आतंकी हमला, 18 सितम्बर, 2016 को उड़ी (जम्मू-कश्मीर) के सैनिक कैम्प पर आतंकी हमला और 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला करके पाकिस्तान ने भारत के जनमानस को ललकारा। 28 सितम्बर, 2016 की रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए नियंत्रण रेखा के पार भारतीय फौज ने साहसिक सर्जीकल स्ट्राइक (Surgical Strike) की। 26 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक (Air Strike) कर पाक को भारत ने करारा जवाब दिया।

भारत-चीन सम्बन्ध

भारत सन् 1947 में स्वतंत्र हुआ और उधर सन् 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। भारत ने न केवल साम्यवादी क्रान्ति का स्वागत किया, वरन् गैर-साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की। सन् 1954 में भारत-चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों को चीन को सौंप दिया और इसी समझौते की प्रस्तावना में 'पंचशील के सिद्धान्तों' की रचना की गयी थी। स्वतंत्र भारत में 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' का नारा बहुत लोकप्रिय रहा, परन्तु शीघ्र ही यह स्थिति

बदलने लगी। जहाँ भारत की विदेश नीति शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित है, वहीं माओ नीति शक्ति को बन्दूक की नली से प्राप्त करती है।

तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है और पच्चास के दशक में तिब्बत में बड़े पैमाने पर चीनी शासन के विरुद्ध दलाई लामा समर्थित विद्रोह हो गया, जो सन् 1959 तक चलता रहा। चीन सरकार ने कठोरता के साथ इस विद्रोह को कुचल डाला। सन् 1959 में दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण ली और इसके पश्चात् एक बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आये। चीनी सरकार ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य बताया और कहा कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है।

दलाई लामा को भारत में शरण देना जैसी तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। वह अपनी विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना चाहता था। इसी सोच के मद्देनजर साम्यवादी चीन ने अक्टूबर, 1962 में भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेनाओं ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। टिङ्गी दल की भाँति वे भारतीय चौकियों पर टूट पड़े। 21 नवम्बर, 1962 को एकाएक चीन ने अपनी ओर से एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में चीन को न केवल विजय मिली वरन् इसके बाद चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ हो गयी।

डोकलाम (Doklam) एक पठार और घाटी वाला क्षेत्र है, जो उत्तर में चीन की चुम्बी घाटी (Chumbi Valley), पूर्व में भूटान की हा घाटी (Ha Valley) और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। तीनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व वाले इस स्थल को भूटान ने अपने मानचित्र में दिखा रखा है, जबकि चीन इस पर अपना दावा करता है। चीन वहाँ ऐसी सड़कें बना रहा है, जिस पर टैंक भी चल सकते हैं। यदि इस पठार पर चीन का कब्जा हो गया, तो उसके लिए भारतीय सीमा में घुस पाना आसान होगा। डोकलाम को लेकर जून, 2017 में भारत-चीन के बीच सीमा पर तनातनी शुरू हो गई थी।

चीन को यह पसन्द नहीं है कि भारत उसका प्रतिद्वन्द्वी बने। भारत के चीन के साथ कई विवाद जारी हैं। दोनों के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा (McMahon Line) को चीन नहीं मानता है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भू-भाग पर भी चीन अपना दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले 'नेफा' (NEFA : North East Frontier Agency) कहा जाता था। चीन द्वारा पूर्वी जम्मू-कश्मीर में अक्साई चिन (Aksai Chin) पर कब्जा किया हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की ओर से रेल लिंक लाइन बिछाई जा रही है। पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह (Gwadar Port) और चीन के झिनजियांग (Xinjiang) को जोड़ने वाला चीन-पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर (China-Pakistan Economic Corridor) गिलगित-बालिटस्तान से गुजरता है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। यह भारत की सम्प्रभुता के लिए चिन्ता का विषय है। चीन ने भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group) की सदस्यता का विरोध किया है। आतंकवादी मसूद अजहर के मामले में भारत के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुरक्षा परिषद् में कई बार वीटो का प्रयोग किया है। चीन लम्बे समय से न केवल पाकिस्तान का हर क्षेत्र में विशेष तौर पर हथियारों की आपूर्ति में सहयोग कर रहा है, वरन् भारत के कई अन्य पड़ोसी देशों में बन्दरगाह बना रहा है, जिसे भारत की घेराबन्दी माना जा सकता है। हिन्द महासागर में चीन द्वारा भारत को घेरने की नीति 'मोतियों की माला' (String of Pearls) के नाम से जानी जाती है।

भारत—बांग्लादेश सम्बन्ध

सन् 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही भारत—बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गये। सन् 1972 में भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीब—उर रहमान के बीच एक पच्चीस वर्षीय मैत्री सन्धि हुई, जिसे 'मित्रता, सहयोग और शान्ति की भारत—बांग्ला सन्धि' (Indo-Bangla Treaty of Friendship, Cooperation and Peace) के नाम से जाना जाता है,


जिसके द्वारा दोनों देशों ने एक—दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक—दूसरे की सम्प्रभुता एवं अखण्डता का सम्मान करने, विश्व—शान्ति और सुरक्षा को दृढ़ बनाने का संकल्प लिया।

नव—मूर द्वीप (New Moore Island) बंगाल की खाड़ी में सन् 1970 में उभरा एक छोटा निर्जन द्वीप है। बांग्लादेश इसे 'दक्षिण तलपट्टी' (South Talpatti) कहता है और भारत इसे 'पुर्बाशा' (Purbasha) की संज्ञा देता है। तेल और प्राकृतिक गैस के अस्तित्व पर अटकलों के चलते यह द्वीप भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव का बिन्दु बना।

मुहुरी नदी (Muhuri river) भारत एवं बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम त्रिपुरा में होता है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर यह वहाँ फेनी नदी में मिल जाती है। सन् 1974 में बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के अनुसार मुहुरी नदी के पानी की मध्य रेखा ही त्रिपुरा—नोआखली क्षेत्र (Tripura-Noakhali sector) में भारत—बांग्लादेश की सीमा रेखा है। यहाँ 44—45 एकड़ जमीन के बारे में भारत—बांग्लादेश के बीच विवाद है, जो 'मुहुरी नदी सीमा—विवाद' के नाम से जाना जाता है।

भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया—उर रहमान के बीच गंगा के पानी के बँटवारे के सन्दर्भ में सन् 1977 में एक पाँच वर्षीय समझौता हुआ। यह समझौता गंगा के पानी के बँटवारे की समस्या का स्थायी समाधान नहीं था। अतः बिना नवीनीकरण के यह समझौता सन् 1982 में समाप्त हो गया।

चकमा शरणार्थियों (Chakma refugees) की समस्या ने भारत और बांग्लादेश के सम्बन्धों ने अक्सर तनाव पैदा किया है। ज्यादातर चकमा बौद्ध धर्मावलम्बी हैं। मूलतः पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के निवासी रहे चकमा भारत के उत्तर—पूर्वी राज्यों विशेषकर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं असम में शरणार्थियों के रूप में जिन्दगी गुजारने को मजबूर हैं। सन् 1960 के दशक में चकमाओं ने पूर्वी पाकिस्तान के चिटगाँव पहाड़ी इलाके से पलायन किया। चकमाओं के एक समूह ने 'शान्ति वाहिनी' नामक बांग्लादेशी शक्तियों के साथ सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया। इस संघर्ष ने भारत में इन शरणार्थियों की संख्या बढ़ा दी। यद्यपि सन् 1997 में बांग्लादेशी सरकार के साथ चकमा शरणार्थियों की वापसी को लेकर समझौता हुआ था। बांग्लादेशी सरकार ने त्रिपुरा में रह रहे चकमा शरणार्थियों की वापसी एवं उनके पुनर्वास का वायदा किया परन्तु भय के कारण चकमा शरणार्थी बांग्लादेश जाना नहीं चाहते। इस प्रकार विस्थापित चकमाओं की समस्या आज भी बनी हुई है।



इन्दिरा गाँधी और शेख मुजीब—उर रहमान

पूर्वी हिमालय से निकलने वाली तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सन् 1983 में भारत और बांग्लादेश में तीस्ता जल समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों देश सूखे मौसम के दौरान तीस्ता नदी के पानी के तदर्थ आधार पर बँटवारे पर सहमत हो गये, परन्तु यह एक अस्थायी समझौता था।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बीच सन् 1996 में फरक्का में गंगाजल बँटवारे से सम्बन्धित 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत प्रावधान था कि अगर गंगा में पानी का प्रवाह 70 हजार क्यूसेक तक या उससे कम हो तो दोनों देशों को 50–50 प्रतिशत पानी मिलेगा, 70 हजार क्यूसेक से ऊपर से लेकर 75 हजार क्यूसेक तक पानी का प्रवाह हो तो 35 हजार क्यूसेक बांग्लादेश को और शेष पानी भारत को तथा 75 हजार क्यूसेक से ऊपर पानी का प्रवाह हो तो 40 हजार क्यूसेक पानी भारत को और शेष बांग्लादेश को मिलेगा।

तीन बीघा गलियारा (Tin Bigha Corridor) भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारतीय भू-भाग है, जो सन् 2011 में बांग्लादेश को पट्टे पर दे दिया गया, ताकि बांग्लादेश के दाहग्राम–अंगारपोटा परिक्षेत्रों (Dahagram–Angarpota enclaves) को सीधे भू–मार्ग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की सीमा पर स्थित तीन बीघा गलियारे पर भारतीय सम्प्रभुता रहेगी।

पूर्वोत्तर के आतंकियों को बांग्लादेश में पनाह देना, भारत–बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार बाड़ बनाने की योजना, गंगा–ब्रह्मपुत्र लिंक नहर बनाने के प्रश्न पर सहमति न होना जैसे मुद्दे ऐसे हैं, जिनके चलते भारत–बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आज भी मौजूद है।

भारत–श्रीलंका सम्बन्ध

भारत और श्रीलंका एक–दूसरे के पड़ोसी देश हैं और इन दोनों को पाक जलडमरुमध्य (Palk Strait) पृथक् करता है। भारत और श्रीलंका के मध्य शुरुआती विवाद भारतीय प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका चूँकि ब्रिटेन का उपनिवेश था, अतः वहाँ के अधिकांश भारतीय प्रवासी ब्रिटेन द्वारा चाय और रबड़ की खेती पर काम करने हेतु बसाये गये थे। सन् 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने बाद इन्हें वहाँ मताधिकार एवं अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया। प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका सरकार का यह व्यवहार आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण था। इस समस्या के समाधान के लिए सन् 1954 में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री जान कोटलावाला और पं. नेहरू के बीच एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू–कोटलावाला समझौता (Nehru-Kotelawala Pact) कहते हैं।

श्रीलंका में भारतीय प्रवासियों की नागरिकता के मुद्दे पर सन् 1964 में भारतीय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री सिरिमावो भण्डारनायके के बीच एक समझौता हुआ, जिसे भण्डारनायके–शास्त्री समझौता (Bandaranaike-Shastri Pact) कहते हैं।

भारत–श्रीलंका के बीच कच्छदीव टापू (Katchathieevu Island) विवाद का मुददा रहा है। यह टापू भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच एक छोटा–सा निर्जन द्वीप है, जिस पर दोनों देश अपना अधिकार जताते थे, क्योंकि इस द्वीप के आस–पास तेल के काफी बड़े भण्डार होने की आशा की जाती थी। सन् 1974 में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत इस पर भारत ने श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया।

1980 के दशक से भारत–श्रीलंका सम्बन्धों को प्रभावित करने वाला मुख्य मुददा श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है। तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं। श्रीलंकाई तमिलों के आन्दोलन का मूल कारण वहाँ के बहुसंख्यक सिंहलियों द्वारा उनके प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति रहा। भारत

श्रीलंका के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन जयवर्द्धने की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीतियाँ अपनायी, निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या की तथा सन् 1987 में श्रीलंकाई सेना ने जाफना पर चौतरफा हमले किये, तब दक्षिण भारतीय तमिल समुदाय उत्तेजित हो गया। भारत ने तमिल नरसंहार की भर्त्ता की। भारत ने सन् 1987 में मानवीय आधार पर जाफना की पीड़ित जनता के लिए राहत सामग्री भेजनी चाही, तो श्रीलंका ने भारतीय नौकाओं को सीमा में घुसने नहीं दिया, अतः भारत ने खाद्य सामग्री और दवाएँ जाफना प्रायद्वीप पर विमान से गिराने का निर्णय लिया। श्रीलंका ने भारत की हवाई राहत की तीखी आलोचना की।

29 जुलाई, 1987 भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने के बीच भारत—श्रीलंका शान्ति समझौता (Indo-Sri Lanka Peace Accord) हुआ, जिसे राजीव—जयवर्द्धने समझौता भी कहते हैं। इसके तहत भारतीय शान्ति सेना (Indian Peace Keeping Force) श्रीलंका भेजी गयी। IPKF द्वारा वहाँ 'ऑपरेशन पवन' (Operation Pawan) चलाया गया, जिसका उद्देश्य तमिलों के गढ़ जाफना को घेरकर तमिल चीतों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना था। तमिलों का प्रमुख संगठन 'लिटटे' (Liberation Tigers of Tamil Eelam : LTTE) था। रणसिंघे प्रेमदासा के श्रीलंकाई राष्ट्रपति बनने के बाद जनवरी, 1989 से भारतीय शान्ति सेना की श्रीलंका से वापसी शुरू हो गयी।

श्रीलंका में बढ़ते चीनी प्रभाव तथा वहाँ के बन्दरगाहों के निर्माण आदि के लिए चीनी विशेषज्ञों की उपस्थिति आज भी भारत के लिए चिन्ता का विषय है, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। श्रीलंका ने अपने हंबनटोटा बन्दरगाह को 99 वर्षों की लीज पर चीन को दिया है। कोलम्बो बन्दरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए चीन ने तकरीबन एक अरब डॉलर की लागत से श्रीलंका के हंबनटोटा बन्दरगाह का विकास किया है। गौरतलब बात यह है कि यह निवेश श्रीलंका को कर्ज के रूप में दिया गया था, परन्तु इस बन्दरगाह से श्रीलंका को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया। माना जा रहा है कि यह बन्दरगाह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) में अहम भूमिका निभा सकता है। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।

भारत—नेपाल सम्बन्ध

नेपाल हिमालय की तराई में बसा एक छोटा—सा देश है, जो भारत और चीन के मध्य एक मध्यवर्ती राज्य (Buffer state) का कार्य करता है। मध्यवर्ती राज्य एक ऐसे देश को कहा जाता है जो शक्तिशाली दो प्रतिद्वन्द्वी देशों के बीच स्थित होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार सामरिक महत्त्व के कारण एवं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल की अवहेलना नहीं कर सकती थी। अतएव प्रारम्भ से ही भारत सरकार ने नेपाल की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने की नीति अपनायी। सन् 1947 में नेपाल के आग्रह पर भारत सरकार ने एक भारतीय राजनीतिज्ञ श्री प्रकाश (Sri Prakash) को नेपाल का संविधान तैयार कराने में सहायता हेतु नेपाल भेजा। तिब्बत में चीन की गतिविधियाँ बढ़ने से नेपाल की सुरक्षा के बारे में भारत की चिन्ता बढ़ गयी। इसी के मद्देनजर जुलाई, 1950 में शान्ति और मित्रता की भारत—नेपाल सन्धि (Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship) हुई। नेपाल इस सन्धि को अपनी सम्प्रभुता का हनन मानता है और यदा—कदा इसका विरोध भी करता रहा है। वस्तुतः भारत—नेपाल सम्बन्धों में तनाव का मूल कारण सन्धि में भारत को दिए गए कुछ अधिकार रहे हैं।

भारत का इरादा नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का न होकर नेपाल की घटनाओं का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर चिन्ता करना एवं सतर्क रहना स्वाभाविक था। आरम्भ में नेपाल का झुकाव भारत की ओर था, लेकिन सत्तर के दशक में भारत की शक्ति से चिन्तित होकर उसने अपनी नीति में बदलाव

किया। सन् 1976 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री तुलसीगिरि भारत आये तो उन्होंने भारत और चीन के सन्दर्भ में 'समदूरी सिद्धान्त' (Equidistant Theory) पर बल दिया, लेकिन भारत इस बात पर बल देता रहा कि नेपाल के भारत से विशिष्ट सम्बन्ध है, अतः सिद्धान्त अनुचित है। भारत द्वारा नेपाल के प्रति हमेशा 'द्विस्ताम्भीय नीति' अपनाई गई, जो नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र के अस्तित्व के साथ पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बल देती थी।

नेपाल में सन् 2008 में राजशाही समाप्त हो गई और देश को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सन् 2014 में नेपाल यात्रा की और नेपाल की मदद एवं विकास के लिए HIT फार्मूला दिया, जिसका अर्थ है, H अर्थात् Highways (राजमार्ग), I अर्थात् Information-ways (सूचना मार्ग) और T अर्थात् Transways (संचार मार्ग)। मोदी की यह यात्रा 4-C अर्थात् सहयोग (Cooperation), सम्पर्क (Connectivity), संस्कृति (Culture) और संविधान (Constitution) पर आधारित थी। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने तथा विश्व में सम्भावित बड़ी हाईड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति के रूप में नेपाल के महत्त्व के मद्देनजर भारत को नेपाल के साथ अपने रिश्तों में और प्रगाढ़ता लानी चाहिए।

भारत-भूटान सम्बन्ध

पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान हमारा पड़ौसी देश है। अगस्त, 1949 में भारत-भूटान सम्झौता (India - Bhutan Treaty) हुई, जिसमें दोनों देशों ने चिरस्थायी शान्ति और मित्रता को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस सम्झौते के अनुसार भारत ने भूटान के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप का वचन दिया। सम्झौते के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भूटान सरकार विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह को मार्गदर्शक के नाते मानने के लिए सहमत है। भारत-चीन युद्ध के बाद भूटान ने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया। भारत और भूटान के बीच कुछ मनमुठाव सन् 1949 की भारत-भूटान मैत्री सम्झौते की धारा 2 की व्याख्या को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि विदेशी मामलों में भूटान को भारत की सलाह-मशविरा से ही चलना पड़ेगा।



मनमोहन सिंह और जिग्मे सिन्धे वांगचुक

भूटान की कृषि, सिंचाई, सड़क परियोजनाओं में भारत ने निरन्तर सहयोग दिया है। भूटान की चुक्खा जलविद्युत परियोजना (Chukha Hydropower Project), ताला जलविद्युत परियोजना (Tala Hydropower Project), कुरिछु जलविद्युत परियोजना (Kurichhu Hydropower Project), पुनात्सांगछु जलविद्युत परियोजना (Punatsangchhu Hydroelectric Project), मांगदेछु जलविद्युत परियोजना (Mangdechhu Hydroelectric Project) आदि प्रमुख परियोजनाओं में भारत का सहयोग रहा है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार तथा विकास भागीदार बना हुआ है।

भारत-अमेरिका सम्बन्ध

स्वाधीनता से पूर्व भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई विशेष सम्पर्क नहीं था, क्योंकि ये

देश बहुत दूर स्थित हैं और फिर भारत में अंग्रेजी शासन जान—बूझकर भारत को दूसरे देशों से सम्पर्क में नहीं आने देना चाहता था। सन् 1893 में स्वामी विवेकानन्द अमरीका गए जहाँ शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारत और अमरीका एक—दूसरे के सम्पर्क में आने लगे। कुछ प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों ने अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी जैसे बी.आर. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण आदि।

नेहरू युग में भारत—अमरीका सम्बन्धों की नींव पड़ी। स्वतंत्र भारत की गुट—निरपेक्षता की नीति प्रारम्भिक काल में अमरीकी शासकों की समझ से परे रही। भारत दोनों महाशक्तियों से मैत्री चाहता था और दोनों से आर्थिक सहायता चाहता था। अमरीका ने शीत—युद्ध की राजनीति में साम्यवाद के परिरोधन हेतु नाटो, सीटो जैसी सैनिक सन्धियों का निर्माण किया, जबकि इसके विपरीत, भारत हर प्रकार के युद्ध का विरोधी रहा है, चाहे वह गर्म युद्ध हो या फिर शीत युद्ध।

सन् 1947 में भारत ने कश्मीर विवाद समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया तो अमरीका ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। सन् 1949 में चीन में साम्यवादी क्रान्ति हुई तो भारत ने अमरीका की परवाह किए बगैर सन् 1949 में ही साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी। सन् 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान भारत ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया और सुरक्षा परिषद में अमरीकन प्रस्ताव का समर्थन किया। अमरीका द्वारा सन् 1954 में पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता कर उसे बहुत अधिक मात्रा में सैन्य सामग्री देना शुरू किया गया, तब भारत—अमरीका सम्बन्धों में अत्यधिक कटुता भी उत्पन्न हुई।

सन् 1960 में जॉन एफ. कैनेडी के अमरीकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत—अमरीकी सम्बन्धों में मधुरता आई। अक्टूबर, 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब भारत के अनुरोध पर कैनेडी ने बिना किसी शर्त के पर्याप्त मात्रा में भारत को युद्ध सामग्री भेजी। भारत एवं अमरीका के बीच हुए एक समझौते के तहत अमरीका ने भारत को तारापुर में आण्विक शक्ति का संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता दी। साठ के दशक में भारत में खाद्यान्न का विकट संकट उपस्थित होने पर पी.एल. 480 के अन्तर्गत अमरीका ने बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की।

सन् 1965 में भारत—पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमरीकन शस्त्रास्त्रों के प्रयोग के कारण भारत—अमरीकी सम्बन्धों में उग्रता पैदा हो गई। इस युद्ध के दौरान अमरीकी रुख भारत विरोधी रहा।

सन् 1966 में लालबहादुर शास्त्री के देहान्त के बाद इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। अमरीकी अनुरोध पर सन् 1967 में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमरीका की यात्रा की। अमरीका की दबाव नीति के कारण कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला। पश्चिमी एशिया संघर्ष में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अरब राष्ट्रों के पक्ष का समर्थन किया, जबकि अमरीका ने इजरायल को प्रबल समर्थन दिया। सन् 1969—70 में वियतनाम के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। भारत उत्तर वियतनाम पर अमरीकी बमवर्षा का विरोधी रहा है।

सन् 1971 में बांग्लादेश संकट एवं भारत—पाक युद्ध प्रारम्भ होने के बाद अमरीकी ने युद्ध प्रारम्भ करने का सम्पूर्ण दोष भारत पर लगाते हुए भारत की आर्थिक सहायता बन्द करने की धमकी दी।

अमरीका ने भारत के विरुद्ध 'युद्धपोत राजनय' (Gunboat diplomacy) का प्रयोग करते हुए सातवाँ जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत को प्रत्यक्षतः धमकी दी।

हिन्द महासागर स्थित एक छोटा सा टापू डिएगो गार्सिया (Diego Garcia), जो कि ब्रिटेन के अधिकार में था, जिसे बाद में अमरीका ने खरीद लिया, पर सत्तर के दशक में अमरीका ने अपना एक आधुनिक नौ-सैनिक अड्डा बनाने का निश्चय किया, जिसके चलते भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया और भारत-अमरीकी सम्बन्धों में कटुता आ गई। सन् 1974 में भारत ने जब पोखरण में आण्विक परीक्षण किया तो अमरीका में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई।

मोरारजी देसाई ने सन् 1978 में कैम्प डेविड में हुए मिस्र-इजरायल समझौते का स्वागत जरूर किया, किन्तु साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक इजरायल, अधिकृत अरब जमीन खाली नहीं करता, पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।

सन् 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने अमरीका के 'स्टार वार कार्यक्रम' (Star War Programme) की कटु आलोचना की थी। भारत-चीन सम्बन्ध सुधारने में सन् 1988 की राजीव गांधी की चीन यात्रा का खास महत्व है। उन्होंने चीन के साथ साहसिक दृष्टिकोण अपनाया और नए रिश्तों की शुरूआत की। विज्ञान, तकनीकी, उड़डयन के क्षेत्र में कई समझौते किए।

प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के समय अमरीका ने अप्रैल, 1991 में 'स्पेशल 301' (Special 301) के अन्तर्गत भारत पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया।

पी.वी. नरसिम्हा राव के समय भारत द्वारा प्रारम्भ किए गए आर्थिक उदारीकरण के उपायों का अमरीका ने स्वागत किया। भारत ने बदले परिप्रेक्ष्य में अपनी विदेशी नीति में परिवर्तन किए। अमरीका के प्रिय रहे इजरायल के साथ भारत ने राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए, लेकिन परमाणु अप्रसार सन्धि के मामले में भारत का रुख यथावत रहा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह वर्तमान स्थिति में परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि यह सन्धि समानता के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है।

प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल के समय जून, 1997 में भारत और अमरीका के बीच प्रत्यर्पण सन्धि (Extradition Treaty) पर हस्ताक्षर हुए।

भारत ने मई, 1998 में जब सफल परमाणु परीक्षण किया तो अमरीका ने कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए। बाद में अमरीका ने भारत के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबन्धों को आंशिक रूप से उठाने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल विलंटन ने मार्च 2000 में भारत की यात्रा की, तो सितम्बर, 2000 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमरीका यात्रा पर रहे। यहाँ पर दोनों के बीच सम्बन्ध फिर मधुरता की ओर बढ़े।

डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत-अमरीकी सम्बन्धों में प्रगाढ़ता और नई सक्रियता आयी। अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश एवं भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बीच सन् 2005 एवं सन् 2006 में सम्पन्न परमाणु सहयोग समझौते को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विधेयक को अमरीकी कांग्रेस ने पारित कर दिया, जिससे हेनरी हाइड कानून- 2006 (Henry Hyde Act- 2006) अस्तित्व में आया। अमरीका अपने इस नए कानून के अन्तर्गत भारत को असैनिक उद्देश्यों के लिए परमाणु सहायता उपलब्ध कराने के लिए द्विपक्षीय समझौता '123 समझौता' (123 Agreement) सम्पन्न कर सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत-अमरीका द्विपक्षीय सम्बन्धों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और आतंकवाद से लड़ने में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। सन् 2017 में नरेन्द्र मोदी ने अमरीका की यात्रा की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से आतंकवाद, रक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर

चर्चा की। भारत और अमेरिका निस्संदेह हर क्षेत्र में काफी करीब आ रहे हैं, लेकिन एनपीटी एवं सीटीबीटी जिस पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जिसकी अपेक्षा अमेरिका को है तथा विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत व अमेरिका के हित मेल नहीं खाते हैं और सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के प्रश्न पर अमेरिकी चुप्पी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों में मतभेद चल रहे हैं।

भारत—सोवियत संघ / रूस सम्बन्ध

सन् 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। सन् 1922 से सन् 1991 तक इसका आधिकारिक नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ (Union of Soviet Socialist Republics : USSR) रहा। इस देश को व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्चेव, लियोनिद ब्रेजनेव और मिखाईल गोर्बाच्योव जैसा योग्य नेतृत्व मिला। शीत युद्ध के दौर में भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध हमेशा मधुर रहे।

9 अगस्त, 1971 को भारत ने 'शान्ति, मैत्री और सहयोग के लिए भारत—सोवियत संधि' (Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Co-operation) पर 20 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए। इस संधि में यह प्रावधान था कि किसी देश में सैनिक खतरे के उपरिथत होने पर तत्काल ही आपसी सलाह—मशविरा तथा यथोचित जवाबी कार्रवाई करने के लिए सहयोग किया जाएगा।

सोवियत संघ से परम्परागत मैत्री के मद्देनजर सन् 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने विरोध करने में बहुत संयम से काम लिया।

मिखाईल गोर्बाच्योव ने 'ग्लास्नोस्त' (Glasnost) और 'पेरेस्ट्रोइका' (Perestroika) के सिद्धान्त लागू किये। प्रतिफल यह हुआ कि 26 दिसम्बर, 1991 को सोवियत संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अवतरित हुआ। चूंकि सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ सम्बन्ध थे, अतः दक्षिण एशिया में शान्ति बनाए रखने के लिए भारत और रूस के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक था।

जनवरी, 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने भारत की यात्रा की। इस समय भारत और रूस के मध्य कई मुद्दे बकाया थे, जिनका हल निकला, जिनमें रुपये—रूबल विनिमय दर और भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति प्रमुख हैं। येल्तसिन ने भारत को यह आश्वासन दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव सामने आने पर उसके पक्ष में वोट देंगे। कश्मीर मुद्दे पर रूसी मत हमेशा यही रहा है कि उनका देश इसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच से उछालने के खिलाफ है। भारत ने अत्यन्त विकसित किस्म के सुखोई-30 एमकेआई (Sukhoi-30 MKI) युद्धक विमानों की खरीद के विषय में रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कारगिल मसले पर रूस द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, कि वह घुसपैठियों को वापस बुला ले।



राजीव गांधी और मिखाईल गोर्बाच्योव

वर्तमान रूसी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने भी विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की सशक्त और न्यायोचित दावेदारी के प्रति रूस के समर्थन की पुनः पुष्टि की। रूस ने भारत के तारापुर संयंत्र हेतु यूरेनियम की आपूर्ति पर सहमति व्यक्त की। भारत ने कुडनकुलम में चार रिएक्टर बनाने के बारे में रूस से समझौता कर दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण इस्तेमाल की दीर्घकालिक भागीदारी की ओर कदम बढ़ाए।

शीत-युद्ध के जमाने में तत्कालीन सोवियत संघ हमारा सबसे विश्वस्त मित्र हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के साथ हमारे रिश्तों में थोड़ा ठण्डापन आया, लेकिन बाद में रिश्ते वापस प्रगाढ़ता की ओर बढ़ते गए। भारत और रूस एक-दूसरे को समझाने लगे हैं। दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में रक्षा का स्थान सबसे ऊपर है। जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद, सुरक्षा परिषद का विस्तार आदि मुद्दों पर दोनों के मध्य समान दृष्टिकोण पाया जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न—

1. प्रसिद्ध भाषण 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' (Tryst with Destiny) किन्होंने दिया ?

(अ) महात्मा गाँधी ने	(ब) पं. जवाहर लाल नेहरू ने
(स) सरदार वल्लभ भाई पटेल ने	(द) डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने
2. 'बांगुंग सम्मेलन' (Bandung Conference) कब आयोजित हुआ ?

(अ) 1947 ई.	(ब) 1950 ई.
(स) 1954 ई.	(द) 1955 ई.
3. निम्न में से किसका सम्बन्ध गुट निरपेक्ष आन्दोलन (Non-Aligned Movement) से नहीं है ?

(अ) पं. जवाहर लाल नेहरू	(ब) जोसिप ब्रोज टीटो
(स) गमाल अब्देल नासिर	(द) निकिता खुश्चेव
4. किस अनुच्छेद के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को 'विशेष राज्य' का दर्जा प्राप्त था ?

(अ) अनुच्छेद-352	(ब) अनुच्छेद-356
(स) अनुच्छेद-370	(द) अनुच्छेद-371
5. भारत ने 1948 ई. में 'ऑपरेशन पोलो' (Operation Polo) कूटनाम से सैनिक कार्यवाही किस रियासत में की ?

(अ) जूनागढ़	(ब) हैदराबाद
(स) कश्मीर	(द) मणिपुर
6. पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया ?

(अ) 1947 ई. में	(ब) 1954 ई. में
(स) 1961 ई. में	(द) 1971 ई. में

17. निम्न में से किस मुद्दे ने भारत—पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा नहीं किया है ?

(अ) सरक्रीक विवाद	(ब) सियाचीन हिमनद विवाद
(स) क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति	(द) तुलबुल नौ परिवहन परियोजना
18. भारत ने सुखोई-30 एमकेआई (Sukhoi-30 MKI) युद्धक विमान किस देश से खरीदे ?

(अ) रूस	(ब) फ्रांस
(स) इजराइल	(द) अमेरिका
19. दिल्ली—लाहौर यात्री बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या है ?

(अ) सदा—ए—सरहद	(ब) कारवां—ए—अमन
(स) समझौता एक्सप्रेस	(द) थार एक्सप्रेस
20. दक्षेस (SAARC) का सचिवालय कहाँ स्थित है ?

(अ) ढाका (बांग्लादेश) में	(ब) थिम्पू (भूटान) में
(स) काठमांडू (नेपाल) में	(द) नई दिल्ली (भारत) में
21. '123 समझौता' (123 Agreement) का सम्बन्ध किन देशों से है ?

(अ) भारत और रूस	(ब) भारत और अमेरिका
(स) भारत और चीन	(द) भारत और ब्रिटेन
22. मैकमोहन रेखा (McMahon Line) किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है ?

(अ) भारत और पाकिस्तान	(ब) भारत और अफगानिस्तान
(स) भारत और चीन	(द) भारत और म्यांमार
23. किस भारतीय राज्य को पहले 'नेफा' (NEFA : North East Frontier Agency) कहा जाता था ?

(अ) असम	(ब) पश्चिम बंगाल
(स) सिक्किम	(द) अरुणाचल प्रदेश

अतिलघूतरात्मक प्रश्न—

1. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ ?
2. भारत ने सन् 1968 की परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT) पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए ?
3. 'पाक अधिकृत कश्मीर' (PoK) से क्या अभिप्राय है ?
4. 'सिन्धु—जल सन्धि' पर कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुए ?
5. दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण पर चीनी प्रतिक्रिया क्या रही ?
6. नेहरू—कोटलावाला समझौता (Nehru-Kotewala Pact) किस सन्दर्भ में था ?
7. ताशकन्द घोषणा (Tashkent Declaration) पर कब और किन के बीच हस्ताक्षर हुए ?
8. 'युद्धपोत राजनय' (Gunboat diplomacy) से क्या आशय है ?
9. गुजराल सिद्धान्त (Gujral Doctrine) क्या है ?

10. कारगिल युद्ध का परिणाम क्या रहा ?
11. 'तीन बीघा गलियारा' किन देशों के बीच चर्चा में रहा ?
12. डोकलाम (Doklam) क्यों चर्चित रहा ?
13. 'मोतियों की माला' (String of Pearls) नीति से क्या अभिप्राय है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
2. वर्तमान में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की क्या प्रासंगिकता है? लिखिए।
3. सन् 1962 के भारत—चीन युद्ध पर टिप्पणी कीजिए।
4. 'पंचशील' (Panchsheel) सिद्धान्तों के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए।
5. श्रीलंका की तमिल समस्या पर भारत का रुख क्या रहा?
6. चकमा शरणार्थियों की समस्या से आप क्या समझते हैं?
7. बगलीहार पनविजली परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं?
8. 'दक्षेस' (SAARC) पर टिप्पणी कीजिए।
9. सरक्रीक (Sir Creek) और सियाचीन हिमनद (Siachen Glacier) विवाद क्या है?
10. भूटान की किन परियोजनाओं में भारत का सहयोग रहा है?
11. 'पूर्व की ओर देखो नीति' (Look East Policy) से आप क्या समझते हैं?

निबंधात्मक प्रश्न—

1. भारत—पाक के बीच सन् 1965 और सन् 1971 के युद्धों का वर्णन कीजिए।
2. सन् 1949 की चीनी साम्यवादी क्रान्ति से सन् 1962 में भारत से युद्ध तक भारत—चीन सम्बन्धों पर लेख लिखिए।
3. श्रीलंका की तमिल समस्या और इसके समाधान में भारत की भूमिका का विवेचन कीजिए।
4. बांग्लादेश के उदय से वर्तमान तक भारत—बांग्लादेश के बीच विवादित मुद्दों का उल्लेख कीजिए।
5. भारत—पाकिस्तान और भारत—चीन के बीच वर्तमान में विवाद के मुद्दे कौनसे हैं? विस्तार से बताइए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

पुस्तक	लेखक
1. भारतीय विदेश नीति	— जे. एन. दीक्षित
2. भारत की विदेश नीति	— पुष्टेश पंत
3. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	— वी. एन. खन्ना
4. आजादी के बाद का भारत	— बिपिन चन्द्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी
5. 1971 - A Global History of The Creation of the Bangladesh - Srinath Raghavan	
6. हरित क्रान्ति की पीली पत्तियाँ	— डॉ. आर. एल. यादव
7. सपना जो पूरा हुआ	— वर्गीज कूरियन, गौरी साल्वी
8. शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009	
9. सूचना का अधिकार अधिनियम—2005	
10. Land Reforms in India	— M. L. Sharma
11. India After Gandhi	— Ramchandra Guha
12. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था	— आर. के. देव
13. भारतीय अर्थव्यवस्था	— नीलांजन बानीक

Website :-

- www.isro.gov.in
- www.uidai.gov.in
- www.nrega.nic.in
- <http://nhrc.nic.in/press-release/right-food-fundamental-right>